हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 1982

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार 17 मार्च, 1982

		पृश्ठ संख्या
	तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
	नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)19
	अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)24
	औचित्य प्रश्न –	
	समिति के सभापति द्वारा समिति के बहुमत से स्वीकृत हुई रिपोर्ट को सदन में पेश न करने सम्बन्धी	(3)34
	ध्यानाकर्शण सूचना –	
	ओलावृश्टि से किसानों की फसलें बर्बाद होने सम्बन्धी	(3)35
	वक्तव्य –	

(i)	राजस्व मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना सम्बन्धी	(3)39
	नेमिंग आफ मैम्बर	(3)48
	वाक आउट	(3)49
	नेमिंग आफ मैम्बर	(3)51
	वाक आउट	(3)52
	वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(3)52
	नेम किए गए सदस्यों को सदन में वापिस बुलाना	(3)53
	वक्तव्य (पुनरारम्भ)	(3)54
(ii)	सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा पौंग डैम से भी डैम को मशीनरी की शिफ्टिंग तथा थीं डैम से हरियाणा की बिजली के हिस्से सम्बन्धी	(3)60
	इन्कवायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करना	(3)61
	राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)63
	अनैक्सचर	(3)85

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 17 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़, में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Reduction of Electricity Meter Fee

***2631. Ch. Ude Singh Dalal**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the electricity meter fee in the State; if so, the time by which such proposal is likely to materialise?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh): No.

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, पौने तीन करोड़ रूपये सालाना बिजली पर डियूटी से जो आमदनी होती थी, वह

तो इन्होंने माफ कर दी लेकिन गरीब हरिजनों, गरीबों और कंगालों पर मीटर फीस लगा दी। चाहे कोई गरीब आदमी बिजली जलाए या न जलाए उसे यह पैसे देने ही पड़ेंगे। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी परपोजल है कि इस पर दोबारा विचार किया जाएगा और बढ़ाई हुई दर को समाप्त किया जाएगा?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह कोई रैलैवैंट सप्लीमेन्टरी तो है नहीं और न ही कोई फीस बढ़ायी गयी है।

श्री अध्यक्ष: मीटर रैन्ट कितना है।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, एक फेस के मीटर पर एक रूपया पर मन्थ और तीन फेस के मीटर पर तीन रूपए पर मन्थ मिनिमम चार्जिज हैं।

श्री अध्यक्ष: यह चार्जिज तो बहुत मामूली हैं।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं क्लीयर कर देता हूं कि पहले एक मीटर पर पौने तीन रूपये फीस थी चाहे कोई कितनी ही बिजली जलाए और अब इन्होंने हरिजनों के मुहल्लों में केवल चार बल्ब लगा दिये और कह दिया कि हमने इतनी स्ट्रीट लाइटस दे दी हैं और अगर उस गांव में 1200 घर हैं तो बिली भी उन्हीं से 1200 रूपये वसूल करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बिजली तो जलती है केवल 40 रूपए की, और वसूल किये जाते हैं 1200 रूपए। यह जो हरिजनों के नाम से

लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यह गलत बात है। यह जो लूट मचा रखी है, इसको सरकार कब खत्म करेगी ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं जरा बता देता हूं कि हमारी मन्शा केवल हरिजन मुहल्लों में स्ट्रीट लाईटस देने की नहीं है बल्कि सारे प्रान्त में ही हमारा लक्ष्य बिजली सप्लाई करने का है। चार साल का हमने टारगेट फिक्स किया है कि हर गली गली में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इसलिये एक रूपया फी मीटर के हिसाब से हमने हर बिल पर लगा दिया है ताकि अलग से बिल किसी को न जाए। इससे सारे गांव को भी सुविधा होगी। इस प्रोग्राम के तहत हमने अब 5634 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचा दी है ओर 31 मार्च तक 1700 गांवों में दूसरी बिरादरी के भाईयों को भी पूरी तरह से बिजली की रोशनी दे दी जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो चार साल का लक्ष्य है, वह पूरा हो जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो एक रूपया मीटर फीस का बढ़ाया गया है, क्या यह अकेले गांवों में ही लगाया गया है या शहरों में भी लगाया गया है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि केवल हरिजनों के लिये बिल की

बात नहीं है। हमने तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि के फ्री स्ट्रीट लाईटस का प्रबन्ध किया है और इस पर नार्मल चार्जिज लिये जाते हैं। यह चार्जिज केवल गांवों से ही लिये जाते हैं शहरों से नहीं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या यह बात सही है कि – रेट 2.75 रूपए से बढ़ाकर अब 5.75 रूपये कर दिये गये हैं?

सरदार तारा सिंह: यह गलत है। दिसम्बर, 1979 के बाद कोई पैसे नहीं बढ़ाये गये।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी–अभी मिनिस्टर साहब ने बड़ा इन्नोसेन्ट सा जवाब दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को यह कहकर कि हमने हरिजनों के मुहल्लों में बिजली लगानी है, और भी कम्पलीकेटिड कर दिया है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पहले पर मीटर के हिसाब से कितनी दर ली जाती थी और अब बढ़ाकर कितनी दर लेने का निर्णय सरकार ने किया है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले ही यह जिक्र किया है कि दिसम्बर, 1979 के बाद कोई दर नहीं बढ़ायी गयी है। जो रेटस दिसम्बर, 1979 के हैं, वही चल रहे हैं।

Mr. Speaker: How much is the meter rent?

सरदार तारा सिह: स्पीकर साहब, एक फेज का एक रूपये पर मन्थ और 3 फेज का 3 रूपये पर मन्थ के हिसाब से चार्ज किया जाता है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान) मैंने सिम्पल सा प्रश्न पूछा था कि पहले किस हिसाब से मीटर दर ली जाती थी और अब बढ़ाकर सरकार ने कितनी दर लेने का फैसला किया है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल इन्होंने पहले नहीं पूछा, इसलिये यह सारी सूचना मेरे पास यहां पर नहीं है, मैं इनकी सेवा में बाद में पेश कर दूंगा।

Dr. Mangal Sein: Sir, this question should be postponed as it is an important one.

Ch. Ram Lal Wadhwa: This is the only solution, sir.

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने यहां पर बताया कि सरकार की मन्शा केवल हरिजन बस्तियां में ही लाईट देने की नहीं हैं बल्कि सारे हरियाणा प्रान्त में ही बिजली सप्लाई करने का सरकार का लक्ष्य है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके नोटिस में है कि हरिजनों के नाम से दूसरे पिछड़ी जाति के लोगों से, गरीबों से पैसे वसूल किये जा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि अभी तक पूरी तरह से लोगों को बिजली की सुविधाएं नहीं

दी गई हैं और यू ही लोगों से चार्जिज वसूल किये जा रहे हैं। केवल 10 बल्ब अगर लगाये गये हैं तो भी सारे गांव से पैसे वसूल किये जा रहे हैं।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, पहली बात यह है कि हरिजन बस्तियों के नाम से कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। जो हमने स्ट्रीट लाईटस लगवायी हैं, वे इम्पार्टैंट जगहों पर लगवाई हैं जैसे डंगरों के हस्पताल हैं, पंचायत घरों के आगे आदि। मतलब यह कि जो–जो इम्पार्टैंट प्वायंटस हैं, उन पर लाईटस लगायी गयी हैं, स्पेसीफिकली हरिजन बस्तियों में ही लाईटस नहीं दी गयी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हरिजन बस्तियों के नाम से कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है बल्कि स्ट्रीट लाईटस या कामन प्लेसिज के नाम से कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है बल्कि स्ट्रीट लाईटस या कामन प्लेसिंज के नाम से लिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि जो इम्पार्टैंट पब्लिक प्लेसिज पर सरकार की तरफ से लाईटस लगायी गयी हैं, इनका बिल ग्राम पंचायत को भेज दिया जाए और लोगों से डायरैक्ट इसके चार्जिज न लिये जाएं पंचायतें ही इन बिलों की पेमेंन्ट करें?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, पहले यह प्रोसीजर था कि पंचायत के कहने के ऊपर ही हम कनैक्शन दिया करते थे, लेकिन कुछेक पंचायतों ने अपने बिलों की पेमैन्ट भी नहीं की और न ही बल्ब बदले जिससे कारण सारा ही काम काज ठप्प हो गया। चूंकि सरकार की पालिसी थी कि हर गांव में स्ट्रीट लाईटस दी जाएगी, इसलिये सरकार ने 3 करोड़ 60 लाख रूपये की लागत से स्ट्रीट लाईटस का काम किया, इसके लिये हमने 1 रूपये फी मीटर फीस लगाई है।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब मंत्री महोदय महेन्द्रगढ़ में गये थे तो उनकी नालेज में यह बात लायी गयी थी कि यहां पर हरिजन बस्तियों में बिजली का प्रबन्ध नहीं हुआ है। वहां पर हरिजन बस्तियां दो हिस्सों में बंटी हुई हैं जिनमें से एक में बिजली है और दूसरी में नहीं है। वहां पर बिजली पहुंचाने की कोशिश कब तक की जाएगी? दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि जिन जगहों पर लाईटस पहुंचा दी गई हैं वहां पर बल्ब नहीं हैं या खराब पड़े हैं, वहां पर कितने दिनों तक बल्बों को रिपलेस कर दिया जाएगा?

सरदारा तारा सिंह: स्पीकर महोदय, यह बात दुरूस्त है कि राव साहब ने जब मैं नारनौल गया था, यह बात बतायी थी। लेकिन मुश्किल यह है कि एक–एक गांव में पांच पांच, छः छः जगह हरिजनों ने मकान बना रखे हैं। यहां तक कि खेतों में भी उन लोगों ने मकान बना रखे हैं और वे चाहते हैं कि हर जगह

पर लाईटस का प्रबन्ध हो। सरकार की तो यह नीति है कि हर गांव में लाईटस का उचित प्रबन्ध हो। हमारा इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है और हम इस बारे में सर्वे भी करवा रहे हैं कि जहां पर 40–50 घर हों वहां पर लाईटस का प्रबन्ध करवा दिया जाए।

आवाजें: स्पीकर साहब, यह बड़ा जरूरी मसला है, इस पर आधे घंटे की डिस्कशन होनी चाहिये।

Mr. Speaker: I an not convinced. Next question.

Science Classes in the Colleges

***2647. Ch. Har Swarup Bura**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start science classes in those Government and private colleges in the State where such classes do not exist at present w.e.f. the academic session of 1982-83?

शिक्षा मंत्री (चौ. देसराज): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

चौ. हरस्वरूप बूरा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि राज्य में कितने प्राइवेट और सरकारी कालेज ऐसे हैं जिनमें साइंस की पढ़ाई नहीं कराई जाती?

चौ. देसराज: 40 प्राइवेट कालेजिज हैं और 17 सरकारी कालेजिज हैं, जहां साइंस सब्जैक्ट पढ़ाने का इंतजाम नहीं है।

श्री गुलजार सिंह: क्या शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि जिन प्राइवेट और सरकारी कालेजों में विज्ञान का विशय पढ़ाया नहीं जाता वहां ऐसा करने में क्या बाधा है?

चौ. देसराज: जहां तक प्राइवेट कालेजों में यह विशय न पढ़ाने की बात है उसके लिये हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है? सरकारी कालेजों में पिछले साल हमने दो कालेजों में यह विशय पढ़ाने का इंतजाम किया ओर इस साल एक कालेज जटौली में कर रहे हैं। अगले साल भी हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा कालेजों में यह विशय पढ़ाया जाए।

कामरेड शंकर लाल: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हं कि प्राइवेट कालेज हों, चाहे गवर्नमैंट कालेज हों, जो एम.ए. की क्लासिज हैं वह कई कालेजों में नहीं हैं। आई.टी.आईज. के अन्दर भी कई ट्रेडज नहीं हैं। जिला सिरसा में भी ऐसी कोई क्लास नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष: इनका मतलब पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिज से है।

चौ. देसराज: यह काम तो यूनिवर्सिटी के अन्डर आता है।

राव राम नारायण: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि नाहड़ कालेज जो एक रूरल कालेज है और वह चारों तरफ से और म्यूनिसिपल एरिया से कम से कम 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां साईस का विशय पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे?

चौ. देसराज: नाहड़ कालेज हमने अभी टेक ओवर किया था। अगर फंडज अवेलेबल हुए तो वहां पर अगले साल यह विशय देने की कोशिश करेंगे।

श्री मूल चन्द जैन: अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि 40 प्राईवेट कालेजों ओर 17 सरकारी कालेजों में साईस का सब्जैक्ट नहीं पढ़ाया जाता। इससे जाहिर है कि इस विज्ञान के जमाने में एजुकेशन मिनिस्टर केवल साईस के लेक्चरर ओर इक्विपमैंट प्रोवाइड न करने के कारण देहात के बच्चों को इस विशय से वंचित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये प्राईवेट कालेजों को ग्रांट देने से डरने हैं। आपको इसके लिए कितना रूपया चाहिए जो आप यह प्रोवीजन नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब तो यही है कि ये हमारे देहात के बच्चों को विज्ञान से महरूम रखना चाहते हैं?

चौ. देसराज: स्पीकर साहब, जैन साहब को शायद पता नहीं होगा कि एक कालेज में साइंस स्टाफ तथा इक्विपमैंट देने के लिए साढ़े सात लाख रूपया खर्च होते हैं।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, जिस वक्त आप एजुकेशन मिनिस्टर थे तो आपने आश्वासन दिया था कि हरियाणा में जब भी कोई नया कालेज खुलेगा तो पहले सोनीपत में खुलेगा। इस वक्त सोनीपत में दो प्राइवेट कालेज हैं लेकिन इनमें साइंस का विशय नहीं पढ़ाया जाता। सोनीपत जिला भी है लेकिन वहां पर एक भी सरकारी कालेज नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा में कोई नया कालेज खोला गया है अगर हां, तो सोनीपत में क्यों नहीं खोला गया?

श्री अध्यक्ष: वैसे तो इस सप्लीमैंटरी का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है फिर भी अगर मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं।

चौ. देसराज: सोनीपत में पहले से ही काफी कालेज हैं इसलिये जरूरत नहीं समझी गई कि वहां पर गवर्नमैंट कालेज खोला जाए।

चौ. रिजक राम: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने प्राइवेट और सरकारी कालेज हैं जिनमें साइंस का सब्जैक्ट पढ़ाया जाता है?

चौ. देसराज: सारी स्टेट में 69 प्राइवेट कालेज हैं, 31 गवर्नमैंट कालेज हैं और 18 ट्रेनिंग कालेज हैं।

श्री भले राम: अभी मंत्री जी ने बताया कि 40 प्राइवेट कालेज तथा 17 सरकारी कालेज ऐसे हैं जिनमें साइंस का विशय

नहीं पढ़ाया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि इन 40 और 17 में से कितने–कितने कालेज देहात में हैं और कितने–कितने शहरों में हैं?

चौ. देसराज: इसके लिये अलग से नोटिस चाहिए।

श्री मूल चन्द मंगला: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कई कालेजों में साइंस का विशय पढ़ाने का प्रोवीजन तो है लेकिन वहां पर साइंस के अध्यापक नहीं हैं। क्या सरकार के विचाराधीन है कि ऐसे कालेजों में पूरा स्टाफ और सांइस इक्विपमैंट दिया जाए?

चौ. देसराज: हमारी स्टेट में ऐसा कोई कालेज नहीं है जहां पर साइंस पढ़ाई जाती हो और वहां पर साइंस के अध्यापक न हों। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो मैम्बर साहब मेरे नोटिस में लाएं।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कई जिले ऐसे भी हैं जहां सारे जिले में कोई भी साइंस का कालेज नहीं है, अगर ऐसे जिले हैं तो क्या ऐसी नीति अपनाई जाएगी कि हर जिले में कम से कम एक कालेज ऐसा हो जहां साइंस का विशय पढ़ाया जाए?

चौ. देसराज: सारी स्टेट में सिवाए सिरसा जिले के हर जिले में साइंस कालेज हैं। सिरसार जिले में भी अगले साल ऐसा

कालेज खोलने की कोशिश करेंगे जिसमें साइंस का विशय पढ़ाया जाएगा।

चौ. हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, कफद प्राइवेट मैनेजमैंटस अपना कुछ पैसा लगा कर अपने कालजों में साइंस क्लासिज स्टार्ट करना चाहती हैं। यदि सरकार की तरफ से उनको 60–70 परसैंट पैसे की मदद मिल जाए तो बाकी 30–40 परसैंट पैसा वे अपना खर्च कर सकती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी?

चौ. देसराज: स्पीकर साहब, सरकार की ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। यदि कोई प्राइवेट मैनेजमैंट अपने कालेज में साइंस क्लाज स्टार्ट करना चाहती है तो सरकार उसको मैंचिग ग्रांट दे सकती है।

District Revenue Officers

***2649. Ch. Jagjit Singh Pohloo**: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government of appoint/promote District Revenue Officers at the District Headquaters in the State; if so, the time by which such appintment/promotions are likely to be made?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): जी हां, निकल भविश्य में यह नियुक्तियां किए जाने की संभावना है।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है 'यैस'। स्पीकर साहब, जून से आगे यह सरकार नहीं चल सकती। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने समय के अन्दर–अन्दर डी.आर.ओ. की अप्वायंटमैंट या परमोशन हो जाएगी और परमोशन पर क्या कंडीशन होगी? (व्यवधान व शोर)

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब, जून से आगे यह सरकार चले जा न चले लेकिर जून से पहले–पहले हम यह काम कर देंगे।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रानत में ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें डी.आर.ओज. पोस्टिड नहीं हैं?

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डी.आर.ओ. पोस्टिड नहीं हैं।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर सहाब, मैंने मंत्री जी से परमोशन में कंडीशन के बारे में पूछा था उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: परमोशन में क्या कंडीशंज होगी, यह इस सवाल का पार्ट नहीं है। यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं बनती। (शोर)

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, सप्लीमैंटरी क्यों नहीं बनती? यह सप्लीमैंटरी बनती है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री जी से अलग से मिल लेना। वह आपको बाद में बता देंगे।

Journeys by Haryana Government Aeroplane

***2590. Dr. Mangal Sein**: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) the names fo persons who travelled from Delhi to Hissar by an aeroplane owned by Haryana Government on the 18th November, 1981;

(b) names of the persons, referred to in part (a) above who also went back from Sirsa to Delhi on the same day by the same aeroplane; and

(c) the names of persons out of those referred to in part (a) above who paid fare for the said Journey?

Home Minister (Sh. Kanhiya Lal Poswal):

(a) the name of persons who travelled from Delhi to Hissar are :-

1. Sh. Harpal Sing, President, Haryana Pradesh Congress(I) Committee.

2. Sh. Rajiv Gandhi, M.P.

3. Sh. Arun Nehru, M.P.

4. A gunman of Sh. Rajiv Gandhi, M.P.

(b) All the four above mentioned persons travelled in the same aircraft from Sirsa to Delhi. In addition to these, Ch. Bhajan Lal, Chief Minister, Haryana was also on board.

(c) The President, Haryana Pradesh Congress (I) Committee paid the charges for hiring this aircraft.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है कि हरियाणा सरकार के एयर क्राफ्ट में सफर करने वाले 4 महानुभावों का खर्चा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस (आई) कमेटी के प्रैजीडैंट ने वहन किया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ कितना खर्चा वहन किया है और कब किया है?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, कुल खर्चा 3599 रूपये 60 पैसे हुआ है और यह पैसा 9.5.1981 को चैक के जरिए जमा करवाया गया है।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, जिस समय यह जहाज सिरसार से दिल्ली गया तो क्या यह बात सही नहीं है कि उस जहाज को श्री राजीव गांधी ने चलाया ओर पायलेट ने नहीं चलाया?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, उस जहाज को पायलेट चला कर ले गया था। श्री राजीव गांधी ने नहीं चलाया। (शोर)

श्री अध्यक्ष: यदि किसी आदमी के पास लाईसैंस है और वह जहाज को चलाता है तो इसमें क्या जुर्म है? (शोर एवं विघ्न)

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, उस जहाज को श्री राजीव गांधी ने चलाया था। (शोर)

श्री अध्यक्ष: जिस आदमी के पास लाईसैंस होगा वही जहाज चला सकता है, दूसरा कैसे चला सकता है? (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, बस को ड्राइवर ही चलायेगा जिसकी डयूटी होती है या कोई दूसरा आदमी भी चला कर ले जा सकता है? (शोर)

चौ. संत कंवर: स्पीकर सहाब, यदि श्री राजीव गांधी ने उस जहाज को नहीं चलाया हो तो यह बता दें वरना हरियाणा सरकार की तरफ से जहाज ले जाने के लिए यह कंडीशन है कि एक पायलेट और चार सवारियां ही जिनके नाम अभी मंत्री जी ने बताए हैं सफर किया है। लेकिन इनके अनुसार उस जहाज में एक पायलेट, चार सवारियां ओर एक हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सफर किया था जो कुछ मिलाकर 6 सवारियां बनती हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जहाज उस कंडीशन को तोड़ कर नहीं चलाया गया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, जहाज को चलाने के लिए एक ही पायलेट की मैनडेटरी कंडीशन है। (शोर)

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस जहाज में जो सवारियां गई थीं उनका कुल कितना खर्चा आया था जो जमा करवाया गया और जहाज की उड़ान पर कितना खर्चा आया?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब पहले ही आ चुका है।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब,ख मैं आपके जरिए मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार इसी किराये पर इन एयर क्राफ्टस को और दलों के लिये अवेलेबल करेगी?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, जो बात पब्लिक इन्ट्रैस्ट में होती है उसके लिये हम जरूर अवेलेबल करते हैं मिसाल के तौर पर जब मदर टैरेसा यहां पर तशरीफ लाई तो उनको भी जहाज प्रोवाइड यिका गया था।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं इन बात को थोड़ा क्लीयर कर देता हूं। इन हवाई जहाजों को इस्तेमाल करने की केवल हरियाणा की ही बात नहीं है। कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री को भी जरूरत पड़ी तेा हमने उनको भी दिया है। कई बार सैंटर के मिनिस्टरों को भी जरूरत पड़ी तो उनको भी दिया है। यहां तक कि एक बार श्री राज नारायण ने भी जहाज इस्तेमाल किया है और बहुगुणा जी ने भी इस्तेमाल किया है।

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, चौ. संत कंवर को पायलेट के बारे में क्या पता इनको झोटा बग्घी का तो तजुर्बा हो सकता है। जहाज को तो ट्रेंड पायलेट ही चला सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय इन चार–पांच आदिमियों ने उस जहाज में सफर किया उस मौके पर ट्रकों में कितने लोगों ने सफर किया था?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, बाकायदा रेट तक किया हुआ है। हवाई जहाज खाली चण्डीगढ़ से देहती गया और देहली से वापस आया। इसका किराया भी शामिल किया गया है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं की गई।

10.00 बजे

श्री सुरेन्द्र सिंह ओझला: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1977 से 1980 तक जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इस जहाज द्वारा कितने ऐसे लोगों ने जो मिनिस्टर नहीं हैं या हमारे हरियाणा राज्य के नहीं हैं और हरियाणा के हवाई जहाज को हरियाणा में और गैर सरकारी काम से बाहर ले गये, हैं, दौरा किया है। कया उसका किराया उनकी तरफ से आ चुका है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: इसके लिए तो अलग से नोटिस चाहिए।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: सर, इस समय पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है।

चौ. भजन लाल: यह बात ठीक है कि अब तक उस समय का पूरा किराया हमारे पास नहीं आया है। श्री राजनारायण की तरफ इस जहाज द्वारा यात्रा किये जाने का 60 हजार रूपया बकाया रहता है इस संबंध में हम उनको कई बार लिख चुके हैं। लेकिन अभी उन्होंने इस पैसे को जमा नहीं करवाया है। हम उनको ओर भी लैटर लिख रहे हैं। हमारी यही कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी वह पैसा उनसे वसूल कर लिया जाये।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि इस जहाज द्वारा लौटती बार भी मुख्यमंत्री जी साथ–साथ आए थे। कया आप बतायेंगे कि उसमें कुल कितनी सीटें थीं? मुझे मालूम है कि उस हवाई जहाज के अन्दर दो पायलेट होने जरूरी हैं जबकि एक पायलेट को छोड़ कर आए हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरा पायलेट कौन था?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: इस हवाई जहाज को हमारा ही एक पायलेट लाया था। दूसरा पायलेट तो हमने अपनी सुविधा के लिए रखा हुआ है।

Harijan Chaupal in 'Dera Nau Gaja'

***2671. Sh. Bhagi Ram**: Will the Minister for Transport be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the foundation stone fot the construction of Harijan Chaupal in 'Dera Nau Gaja' near Rania in District Sira was laid during the year 1978; and

(b) if so, whether the aforesaid chaupal has bene constructed; and, if not, the reasons therefor?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): (क) नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के दृश्टिगत प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि डेरा नौ गजा नजदीक रानिया में जिस समय श्री प्रीत सिंह राठी मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय उन्होंने एक मानसरोवर बनाये जाने का पत्थर रखा था। इसी के साथ–साथ उन्होंने वहां पर हरिजन चौपाल बनाये जाने के लिए 10 हजार रूपये देने की घोशण भी की थी। वहां पर अमृत सरोवर नाम का पत्थर अब भी लगा हुआ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह दोनों बातें ठीक नहीं हैं?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भूतपूर्व मंत्री महोदय न 10 हजार रूपये की ग्रान्ट अपने स्वैच्छिक कोटे से देने की घोशणा की थी न कि हरिजन कोटे से।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हं कि हरिजन चौपाल बनाये जाने का क्या क्राईटेरिया है। इस काम के लिए सरकार की तरफ से कितनी सहायता दी जाती है?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है कि प्रत्येक गांव में हरिजन चौपालें बनाई जायें। हरिजन चौपाल बनाये जाने के लिए यही क्राईटेरिया है कि उस गांव के लोग 10 हजार रूपया मैंचिंग ग्रान्ट के रूप में सरकार के पास जमा करवा दें।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में हरिजन चौपालें नहीं हैं और न ही लोग 10 हजार रूपया इक्ट्ठा कर सकते हैं और वहां पर हरिजन चौपाल बनाई जानी जरूरी हैं, क्या वहां पर सरकार हरिजन चौपाल बनायेगी?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: ऐसा प्रबन्ध करने का मामला सरकार के विचारधीन है।

श्री भले राम: मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि यह अमृत सरोवर क्या है? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस मंगगाई के जमाने में चूंकि 10 हजार रूपये में चौपाल नहीं बनती, यह सरकार इस राशि को बढ़ाने के बारे में वियार करेगी?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, मेरे भाई अमृत सरोवर को मतलब तो चौ. प्रीत सिंह राठी जी से पूछ सकते हैं क्योंकि वे इनके पास ही बैठे हैं लेकिन दूसरे प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगी। हरिजन चौपाल के लिए अभी तक हम 10 हजार रूपये ही दे पाएंगे लेकिन आगे के लिए हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: अभी ऐसा करने का विचार नहीं है।

चौ. गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का एक सदस्य गुम हो गया है। कृपया उसका पता लगवाया जाए कि वह कहां गया है। (विघ्न एवं शोर)

चौ. उदय सिंह दलाल: लगता है कि कहीं बारह बांध कर रखा होगा। (शोर)

चौ. गंगा राम: कहीं उसे बोंडिड लेबरर तो नहीं बना दिया। (शोर)

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, प्रीत सिंह राठी जी जब मिनिस्टर थे तो इन्होंने उस चौपाल के लिए 10 हजार रूपये देने की अनाउंसमैंट की थी लेकिन वह पैसा उस गांव को नहीं मिला। क्या यह सरकार अब वह रूपया उस गांव को देगी ताकि वे लोग हरिजन चौपाल वहां बना सकें?

श्री अध्यक्ष: श्री प्रीत सिंह राठी जी ने वह रूपया अपने डिसक्रिशनरी फंड में से अनाउंस किया होगा।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, जैसा आपने फरमाया, श्री प्रीत सिंह राठी जी जब मंत्री थे तब उन्होंने अपने डिसक्रिशनरी फंड से यह पैसा देने की अनाउंसमैंअट की थी, लेकिन वे इस पैसे को भेज नहीं पाए। खैर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि यदि गांव वाले अब हरिजन चौपाल बनाना चाहेंगे और एप्लीकेशन देंगे तो भजन लाल सरकार वहां चौपाल बनाने के लिए तैयार है।

उप श्रम मंत्री (चौ. लाल सिंह): स्पीकर साहब, इन्होंने वैसे ही शोर मचा रखा है। सरकार ने हर डी.सी. के पास हरिजन चौपालों के लिए पैसा रखा हुआ हैं इनको चाहिए कि ये अपने हिस्से का पैसा वहां जमा करवा दें और सरकार के हिस्से का पैसा वहां से ले लें। इसमें शोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है।

चौ. गया लाल: स्पीकर साहब, इस समय काफी संख्या में हरिजन चौपालें अधूरी पड़ी हैं। क्या ऐसी चौपालों को पूरा कराने के लिए कुछ और पैसा देने का सरकार का कोई विचार है?

श्री अध्यक्ष: चौ. गया लाल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सरकार को इस पर अवश्य गौर करना चाहिए।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, इसके बारे में अर्ज यह है कि जब सबको यह पता है कि हरिजन चौपाल

बनाने के लिए बीस हजार रूपये निर्धारित हैं इसलिए इतनी बड़ी चौपाल बनाने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जो इस राशि में न बन सके। लेकिन फिर भी मैं हाउस को यह बताना चाहती हूं कि यदि किसी मंत्री या एम.एल.ए. के यहां की चौपाल अधूरी पड़ी है तो उसे हम अपने स्वैच्छिक कोटे से भी धनराशि देकर बनवाने का प्रबंध कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, चौ. गया लाल जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। कई जगह चौपालें/पंचायत घर पूरे नहीं हुए हैं। (विघ्न) उन सभी को पांच–पांच हजार रूपया और देकर के पूरा करवा देंगे। (प्रशंसा)

श्री अध्यक्ष: पंचायत घर के बारे में तो मैं भी रिकोमैंड करूंगा कि सरकार अपने आर्किटैक्ट वगैरा से एक स्टैन्डर्ड नक्शा बनवा दे ताकि 20–25 हजार रूपये के अन्दर–अन्दर ही उस स्टैन्डर्ड नक्शे के अनुसार काम पूरा हो जाए।

Metalled Roads in Darba Kalan Constituency

***2680. Ch. Jagdish Kumar Baniwal**: Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state whether the link roads between Ding and Bodiwali and between Bhambhoor Khurd and Bham bhoor Kalan Villages in Dabra Kalan constituency of District Sirsa have been made metalled roads; if not, the reasons therefor?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर रामपाल सिंह): डींग से बोदीवाली सड़क की लम्बाई 4.30 किलोमीटर की है। इसमें से 3. 40 किलोमीटर की लम्बाई को पक्का किया जा चुका है। बची हुई 0.90 किलोमीटर की लम्बाई के बारे में भूमि अभिग्रहण की कार्यवाही जारी है। इस बची हुई लम्बाई को भूमि अभिग्रहण होते ही पक्का करने की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

2. भम्बूर खुर्द तथा भम्बूर कलां गांवों के बीच सड़क बनाने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चौ. जगदीश कुमार बेनिवाल: अध्यक्ष महोदय, यह सड़क सन् 1979 से रूकी हुई है। जबसे चौ. भजन लाल जी की सरकार आई है तबसे यही बात बताई जाती है कि भूमि अभिग्रहण की कार्यवाही जारी है लेकिन वास्तविकता यह हे कि इसे पक्का करने की सही मायनों में इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। पिछले बजट सैशन में भी इन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि 3.6.81 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हाउस में आश्वासन देने के बाद भी इसे अब तक क्यों पूरा नहीं किया गया?

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, भूमि अभिग्रहण करने के लिए कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। इस लैंड को एक्वायर करने के लिए दफा चार का नोटिस देने के बाद दफा पांच के तहत औबजैक्शन्ज इन्वाइट किए गए। औबजैक्शंज 17.9.

81 को ओवर रूल हुए हैं। अब सैकशन 6 की कार्यवाही पूरी करने के लिए कागज तैयार हो रहे हैं। यह कार्यवाही पूरी होते ही ज्यों ही कम्पनसैशन–पे हो जाएगा इस सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा।

Mr. Speaker: The hon. Member seems to feel very much perturbed about this matter. It is now a question of only 0.90 K.M. length. I would request the Hon. Minister to take it up on priority basis.

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, गवर्नमैंट की इस काम को पूरा करने की इंटैन्शन बिल्कुल क्लीयर है। जब हमने इतना काम कर दिया है तो 0.90 किलोमीटर के टुकड़े को रोकने का क्या फायदा। लेकिन यह बात मैं क्लीयर करना चाहता हूं कि कानूनी कार्यवाही करने के बाद, कम्पनसेशन देने के बाद ही हम इस काम को पूरा कर पाएंगे।

चौ. जगदीश कुमार बेनिवाल: अध्यक्ष महोदय, यह सड़क सन् 1979 में चौ. देवी लाल की सरकार ने शुरू की थी लेकिन जब से चौ. भजन लाल जी की सरकार आयी हे तब से एक इंच सड़क भी नहीं बनायी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक काम शुरू कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर महोदय ने बताया है कि जमीन नहीं मिल रही है। जमीन मिलने पर कम्पलीट कर दी जाएगी।

चौ. जगदीश कुमार बैनिवाल: स्पीकर साहब, मेरे हल्के की सभी सड़कें बनानी बन्द की हुई हैं और इन्हें जान–बूझ कर बन्द किया हुआ है।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरे दोसत कल कब्जा जमीन का दिलवा दें, हम कल ही वहां पर काम शुरू कर देंगे।

चौ. कर्म सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो, सड़कें सन् 1976 में बनायी गई थीं और उन सड़कों के लिए जो जमीन सरकार ने ली थी उसका अभी तक मुआवला क्यों नहीं दिया गया है, यह कब तक दे दिया जायेगा?

कंवर राम पाल सिंह: इनके लिए आप सैपरेट नोटिस दें, जवाब दे दिया जायेगा।

श्री रघुनाथ गोयल: स्पीकर साहब, जो सड़कें टूटी हुई हैं और खड्डे पड़ चुके हैं क्या मंत्री महोदय उनकी मुरम्मत कराने या फिर ने बनाने का प्रबन्ध करेंगे?

श्री अध्यक्ष: इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

कंवर राम पाल सिंह: जो सड़कें टूट जाती हैं या खड्डे पड़ जाते हैं, उनको नयी बनाने का तो कोई सवाल नहीं है। रिपेअर और मेनटेनैन्स हम हर साल करते हैं।

Contituency-wise Water Supply Schemes in the State

***2711. Rao Ram Narain**: Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state –

(a) the constituency-wise number of water supply schemes undertaken in the State after June, 1977 to-date;

(b) the constituency-wise expenditure incurrec on the schemes as referred to in part (a) above;

(c) the progress so far made in the water supply schemes in Salhawas constituency; and

(d) the present position of Jhamri water supply scheme togetherwith expenditure incurred thereon?

Mr. Speaker: I have granted extension to reply to this question on the request of the Food & Supplies Minister. The communication received in this connection is as under:-

***Interim Reply**

D.O. No. 35/7/82-PH (4)

"Sh. Lachhman Singh

Food & Supplies Minister

March 12, 1982

My dear Col. Rao Ram Singh Ji

The information relating to Starred Assembly Question No. 2711 asked by Rao Ram Narain, M.L.A. regarding constituency-wise Water Supply Schemes in the State, admitted for answer on 17-3-1982 in not readily available with the Deaprtment. It will require atleast 10 days to collect this information from the fiedl offices. I would, therefore, request that this question may kindly be fixed for some day after 27th of March, 1982.

With kind regards.

Yours sincerely,

Sd/-

(Lachhman Singh)

Col. Rao Ram Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

डा. मंगल: यह एक्टैंशन कब तक के लिये दी है?

श्री अध्यक्ष: तीस मार्च को इसका जवाब आ जायेगा।

Hathni Kund Barrage Project

***2729. Ch. Satvir Singh Malik**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state –

(a) the dates on which sanctions were accorded by the Government of India and Haryana Government for Hathni Kund Barrage Project;

(b) the number of circles working on Hathnikund Barrage together with the date from whcih these are working; and

(c) the total expenditure incurred on Hathni Kund Barrage Project uptil 15-3-1982 togetherwith the amount spent on establishment, transport, petrol and manchinery, separately?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृति दिनांक 22.11. 1979 को प्रदान की गई थी परन्तु भारत सरकार से क्लीयरैंस अभी प्राप्त होनी है।

(ख)	आंशिक रूप से एक परिमंडल को सौंपे गए कार्य की तिथि	1.4.1975 से 22.11. 1978
	पूर्ण रूप से एक परिमंडल को सौंपे गए कार्य की तिथि	23.11.1978 से आजतक

(ग) हथनी कुंड बैराज परियोजना पर 15 मार्च, 1982 तक 446.27 लाख रूपये व्यय किए गए जबकि इसमें से निम्न मदों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

1	स्थापना	93.88 लाख रूपये
2	ट्रांसपोर्ट	3.50 लाख रूपये
3	पैट्रोल	2.70 लाख रूपये
4	मशीनरी	222.11 लाख रूपये

(इसमें दूसरी परियोजनाओं और विभाग में से ली गई मशीनरी की लागत भी सम्मिलित है।)

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

डा. मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया है कि इस प्रोजैक्ट की मंजूरी हरियाणा सरकार ने 22.11. 1979 को की थी परन्तु भारत सरकार से कलीयरेंस अभी प्राप्त होनी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी तक वहां से कलीरेंस क्यों नहीं मिली और न मिलने के क्या कारण हैं?

दूसरे अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ताकि कलीयरेंस जल्दी से जल्दी मिल जाये?

सरदार तारा सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, इस प्वायंट पर सैन्ट्रल वाटर पावर कमीशन के चेयरमैन के साथ कई मटिंगे हुई हैं इन मीटिंगों में हरियाणा सरकार, यू.पी. सरकार और सैन्ट्रल सरकार के अधिकारी शामिल हुए हैं। इस प्रोजैक्ट की मंजूरी में यू.पी. सरकार की ओर से अड़चन डाली जा रही है। पिछले महीने एक प्वायंट तय हो गया है। उसकी मंजूरी आ गई है कि कौन सी जगह पर हथनी कुंड बैराज बनना है, वह कितने पैरामीटर का होगा इसके लिए 20.3.83 तक मियाद रखी गई है जिस पर तीन चीफ इंजीनियरज डिसाइड करके बताऐंगे कि यह प्रोजैक्ट कितने पैरामीटर का बनना चाहिए। इसमें केवल दूसरे ही तीन इंजीनियर होंगे। हरियाणा और यू.पी. के इंजिनियर नहीं होंगे। इनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही वहां पर काम चालू होगा।

चौ. संत कंवर: अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया है कि इस प्रोजैक्ट के बारे में एक प्वायंट तय हो गया है। हरियाणा यू.पी. और केन्द्रीय सरकार के बीच यह बात तय हो गई है कि यह बैराज कहां बन यानि किस जगह पर बने। मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने जो प्रोपोजल भेजी थी कि यह बैराज इस जगह बनाना चाहिए ओर यू.पी. सरकार ने अपनी और से प्रोपोजल भेजी थी कि इस जगह बनना चाहिए, फिर दोनों सरकारों के बीच में केन्द्रीय

सरकार आयी तो अब जो मन्जूरी आयी है वह कौन सी जगह की आई है? क्या हरियाणा सरकार के चीफ इंजीनियर ने जिस साईट की प्रोपोजल भेजी थी उसी जगह बनाया जा रहा है या उससे दूसरी जगह पर? अगर उससे अलग जगह पर बनाया जा रहा है तो उससे हरियाणा के हिस्से का कितना पानी कम होगा?

सरदार तारा सिंह: यह तकरीबन वही जगह है जिसे हरियाणा सरकार ने प्रोपोज किया था।

चौ. संत कंवर: मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि तीन जगहें प्रोपोज की गई थी। एक हरियाणा सरकार ने दूसरी यू.पी. सरकार ने ओर तीसरी केन्द्रीय सरकार ने, इनमें से कौन सी जगह बनाया जा रहा है?

सरदार तारा सिंह: जो हरियाणा सरकार ने बतायी थी वहीं पर बन रहा है। जो प्रोपोजल हमने भेजी थी इसे तीन दफा इग्जामिन किया गया था। यह वही जगह है जहां हरियाणा सरकार ने डिमांड की थी। केन्द्रीय सरकार ने भी यही कहा कि यह बैस्ट जगह है, इसी जगह बनाया जाए।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: यह जो खारा प्रोजैक्ट यू.पी. सरकार बना रही है अगर यू.पी. सरकार ने इस प्रोजैक्ट के द्वारा अपनी नहर में जमुना का पानी डाल दिया तो फिर इस हथनीकुंड बैराज की क्या जरूरत रहेगी? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि आज तक इस प्रोजैक्ट की सैन्ट्रल गवर्नमैंट से जब आप

कलीयरेंस नहीं करा पाए हैं तो फिर गरीब किसानों का साढै चार करोड़ रूपया क्यों जाया किया गया और उन पर क्यों बोझ डाला गया है?

सरदार तारा सिंह: यह जो यू.पी. सरकार वाले खारा प्रौजैक्ट बना रहे हैं, इस पर भी हरियाणा सरकार की ओर से आब्जैक्शन हुए हैं। हमने इस बारे में री–प्रेजेन्टेशन दी हुइ है कि खारा प्रोजैक्ट से पानी ईस्टर्न जमुना की तरफ न जाए बल्कि खारा प्रोजैक्ट का पानी पावर हाउस से निकलने के बाद दरिया जमना में आए जहां पर हथनी कुंड बैराज बनना है। मुख्यमंत्री जी इस बारे में लगातार री–प्रेजेन्टेशन करते रहे हैं। मेम्बर साहब का शक गलत है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से जागरूक है और सैन्ट्रल सरकार भी यह कभी बरदाश्त नहीं करेगी कि हरियाणा का शेयर यू.पी. सरकार गोल–मोल ढंग से उधर ले जाएं।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: अगर वे अपना प्रोजैक्ट बना रहे हैं तो अपनी नहर भी बनायेंगे और उसमें डाल कर पानी ले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपका सवाल फयूचर की भावना से सम्बन्धित है। ऐसा नहीं होगा।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही सारी बात क्लीयर कर देता हूं। जहां तक खारा प्रोजैक्ट का ताल्लुक है, उस पर यू.पी. सरकार बिजली पैदा करना

चाहती है। वहां पर उन्हें पानी का फाल मिलता है, उस फाल में से बिजली पैदा करना चाहते हैं। वहां पर उन्हें पानी का फाल मिलता है, उस फाल से मिलता है, उस फाल से वे बिजली पैदा करना चाहते हैं। पानी लेने का कोई मसला नहीं है। पानी लेने के बारे में न कोई स्कीम है और न ही यह प्रोजैक्ट इस बात के लिये है कि इससे वे उस साइड में पानी ले जायेंगे। जहां तक हथनी कुंड बैराज के बनने का सवाल है वह उस जगह बनेगा जहां पर नीचे से पीन गुजर रहा है। जहां तक हथनी कुंड बैराज की जगह का ताल्लुक है कि वह कहां पर बनना चाहिए इस बारे में ऐसे प्रोजैक्टों के बारे में पूरा में एक इन्स्टीच्यूट है जो इनडिपैन्डैन्ट बौडी है। सारे देश में प्रोजैक्टों के बारे में वहीं पर एग्जामिनेशन होता है कि कहां पर कौन सी जगह बैराज बनना चाहिए। पूनाप इंस्टीच्यूट की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला करने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दो महीने में इसका फैसला हो जाएगा।

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, the question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे पर तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Employment Office at Ateli

***2736. Rao Bansi Singh**: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open and Employment Office at Ateli;

(b) if so, the time by which the aforesaid office is likely to be opened; and

(c) if not, the reasons thereof?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी):

(क) जी नहीं।

(ख) ऊपर ''क'' क अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने केवल उन्हीं तहसील/सब–तहसील मुख्यालयों पर नए रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है जहां पर इस समय रोजगार कार्यालय नहीं हैं ताकि सभी तहसीलों/सब–तहसील मुख्यालयों को कवर किया जा सके।

अटेली न तो तहसील है और न ही सब–तहसील मुख्यालय है इसलिये अटेली में रोजगार कार्यालय खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Old Age pension to the Farmers

***2743. Sh. Hira Nand Arya**: Will the Minister of State for Public Works (B & R) be pleased to state –

(a) the number of persons who are being given old age pensioin under the Social Welfare Scheme by the Haryana Government;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give old-age persion to all the farmers, agricultural labourers and artisan of more than 60 years of age in the State; and

(c) if not, the reasons therefor?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया):

(क) 14995।

(ख) नहीं।

(ग) वित्तीय साधनों की कमी के कारण।

Cement distributed in Rural and Urban areas in the State

***2753. Sh. Mani Ram**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) the total quantity of cement received in the State during the year 1981-82; togetherwith the total quantity of cement distributed in rural areas and urban areas separately (with percentage); and

(b) the total quantity of the cement, referred to in part (a) above, distributed in each sub-division?

Food and Supplies Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a)	The required information is as under:	
	Total quantity of cement received in the State during 1981-82 for public sale (upto 28-8-82)	138506.85 tonnes
(i)	Quantity distributed in rural areas.	71039.60 tonnes i.e. 51.29%
(ii)	Quantity distributed in Urban areas including quantity issued to industries/serving defence personnel.	67467.25 tonnes i.e. 48.71%
(b)	A statement is laid on the Table of the House.	

STATEMENT

Sr. No.	**Name of Sub-Division**	**Qty. distributed**
1	2	3
1	Ambala	5148.00
2	Naraingarh	1012.00
3	Jagadhri	5012.00
4	Kalka	6306.00
5	Bhiwani	2199.80
6	Ch. Dadri	2228.00
7	Siwani	662.00
8	Ballabgarh	11357.72
9	Palwal	4801.13
10	Ferozepur Zhirka	862.00
11	Nuh	1749.00
12	Gurgaon	7904.50
13	Hissar	7602.00
14	Hansi	1614.00
15	Fatehabad	1802.00
16	Tohana	1730.00

17	Narwana	3762.40
18	Jind	4879.70
19	Safidon	1079.60
20	Karnal	7267.00
21	Panipat	7093.00
22	Kaithal	4746.50
23	Guhla at Cheeka	2796.50
24	Thanesar	7598.00
25	Narnaul	2861.00
26	Mahendergarh	1933.00
27	Rewari	3231.00
28	Rohtak	6148.00
29	Jhajjar	2181.00
30	Bahadurgarh	1783.00
31	Sirsa	7840.00
32	Dabwali	2303.00
33	Sonepat	6332.00
34	Gohana	2682.00
	Total	138506.85

Quantity of Cement and Kerosene oil for Yamunanagar

***2769. Smt. Dr. Kamal Verma**: Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state –

(a) the quantity of cement and kerosene oil alloted for Yamunanagar during the last six months togetherwith the quantity thereof actually received; and

(b) the manner of distribution of the aforesaid commodities?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए)	वांछित सूचना निम्न प्रकार है:–		
		अलाट की गई मात्रा	प्राप्त हुई मात्रा
(i)	सीमेंट	1341 टन	823 टन
(ii)	मिट्टी का तेल	मिट्टी के तेल की एलोकेशन थोक विक्रताओं को आयल कम्पनियों द्वारा पिछले वर्श की	7957 किलो लीटर्ज

		सप्लाई को आधार रखकर तथा उसमें 5 प्रतिशत वृद्धि करके की जाती है।	

(बी) (i) सीमेंट निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा सीमेंट परमिट जारी किये जाते हैं:–

(i) शहरी क्षेत्रों में उप–मंडल नागरिक अधिकारी।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी।

(iii) उद्योग धंधों के लिये जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र / कार्यकर्ता मैनेजर, यमुनानगर।

(iv) कृशि कार्यों के लिये असिसटैन्ट प्लान्ट प्रोटैक्शन अधिकारी।

(v) मिट्टी का तेल परचून डीलर्ज तथा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 लीटर प्रति सप्ताह या 20 लीअर प्रति मास जारी किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न एंव उत्तर

Wheat Seed

574. Sh. Inderjit Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) the total quantity of wheat seed procured or purchased by the Haryana Government and the source from where it has been procured or purchased;

(b) whether the seed so procured/purchased was certified by the seed Certification Agency;

(c) on what price the Seed was procured/purchased and on what price it has been supplied to the farmers; and

(d) the agency through which the Seed has been distribued.

कृशि मंत्री (श्री शमशेर सिंह): (क) हरियाणा सरकार गेहूं के प्रमाणित बीज की खरीद और प्राप्ति का कार्य नहीं करती है। हरियाणा बीज विकास निगम गेहूं के प्रमाणित बीज को बढ़ाने, प्राप्त करने तथा उसके खरीद का कार्य अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत, हरियाणा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से करता है। रबी, 1981–82 के दौरान प्रमाणित गेहूं के

बीज की निम्नलिखित मात्रा राज्य में किसानों में वितरण के लिए स्टाक की गई थीः–

किस्म का नाम	मात्राा (क्विंटलों में)
कल्याण सोना	772
डब्ल्यू.एच. 147	37976
डब्ल्यू.डी. 2009	6342
एच.डी. 2204	11784
एच.डी. 1553 (सोनालिका)	4295
सी.–306	40359
	2955
कुल	104483

(ख) हां जी, सारा बीज राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया था।

(ग) हरियाणा बीज विकास निगम के किसानों से कच्चा बीज अपने बीज विकास उत्पादन कार्यक्रम के तहत 175/– रूपए से लेकर 178/– रूपये प्रति क्विंटल, सभी किस्मों के लिए, प्राप्त किया था, सिवाय सी–306 जोकि बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत 200 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्राप्त किया था और किसानों को यह बीज प्रोसैसिंग, प्रमाणीकरण करके तथा थैलियों में डालकर दिया गया था। राज्य सरकार ने 20 रूपए प्रति क्विंटल की दर से सबसीडी दी थी और इसका विक्रय मूल्य रबी, 1981–82 के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किया गया थाः–

क्रमांक	विवरण	दर
1	डब्ल्यू.एच. 147, एच.डी. 2009 एच.डी. 2204 कल्याण सोना	110 रूपये प्रति 40 कि. ग्रा. की थैली
2	डब्ल्यू.एच. 157 तथा एच.डी. 1553 (सोनालिका)	135 रूपये प्रति 50 कि. ग्रा. की थैली
3	सी.–306	120 रूपये प्रति 40 कि. ग्रा. की थैली

(घ) बीज वितरण की वर्तमान नीति अनुसार गेहूं का प्रमाणित बीज हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा उनके बिक्री केन्द्रों तथा विक्रेताओं हरियाणा सहकारिता आपूर्ति व विपणन फैड्रेशन तथा हरियाणा कृशि उद्योग निगम के माध्यम से वितरण किया गया था। इसके अतिरिक्त इफको ने 3500 क्विंटल प्रमाणित बीज हजो उन द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था, हरियाणा राज्य में बेचा। रबी 1981–82 के दौरान राज्य में कुछ 82517 क्विंटल गेहूं का प्रमाणित बीज बेचचा गया था।

Damage to Crops by the White Grub

575. Sh. Inderjit Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact that an in sect called 'White Grub' is fast developing and causing serious damage to crops like pulses, groundnut, guar etc. in the State particularly in district Mohindergarh;

(b) if so, the details of steps if any taken to control the spread of the aforesaid disease;

(c) the district wise total area of crops so far affected by 'White Grub' in the State; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to give relief to the farmes of the affected areas in the State?

कृशि मंत्री (श्री शमशेर सिंह):

(क) जी हां।

(ख) प्रभावित क्षेत्र के किसानों को सलाह दी गर्ठ है कि यान्त्रिक तरीकों द्वारा अभियान के रूप में कीड़ों के विस्तार पर नियन्त्रण करें जिसमें रात्रि के दौरान सफेद सूंडी के कीड़ों को एकत्रित करके विनाश करना निहित है।

(ग) वर्श 1981 में इस कीड़े से महेन्द्रगढ़ जिलें में 6526 हैक्टेयर तथा भिवानी में 612 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ बताया गया था।

(घ) जबकि विभाग लगातार सलाह और नियन्त्रण उपायों पर जोर देता है वर्तमान में प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राहत देने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

Industrial units set up by Indians settled in Foreign Countries

580. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the number of industrial units registered with the Industries Department, Haryana by the Indians settled in Foreign Countries after the present Chief Minister's tour of Foreign countries; and

(b) the number of applications received and units, as referred to in part (a) above, set upt in each district of Haryana along with the names of said units, capital invested or proposed to be invested, separately?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) सोलह।

(ख) 386।

भाग ''क'' निर्दिश्ट यूनिटों के बारे में विस्तारपूर्वक सूचना दी जाती है:–

	गुड़गांव	**प्रस्तावित निवेश (रूपये लाखों में)**
1	मै. रकुशका मैडीकल इन्स्टरूमेन्ट, डुण्डाहेड़ा	65.00
2	मै. स्विस परीसिशियन टूलिंग इंजीनियर, डुण्डाहेड़ा	45.00
3	मै. जे.के.सेखरी डुण्डाहेड़ा	40.00
4	मै. शेरवुड इण्डस्ट्रीज डुण्डाहेड़ा	30.00

5	मै. ए.के. सक्सैना डुण्डाहेड़ा	30.00
6	मैं. जैन कोमार (प्रा.) लि.	60.00
7	मैं. बरीको परीसिशियन इन्जीनियर (प्रा.) लि.	37.45
8	मै. मारी गोल्ड इन्जीनियरज (प्रा.) लि. गुड़गांव	13.12
	फरीदाबाद	
1	मै. इन्डस्ट्रीयल फरजिंगज फरीदाबाद	16.45
2	मै. वन्दना इन्डस्ट्रीयल फरीदाबाद	3.70
	सोनीपत	
1	मै. गौरव पोटाटो चिप्स कम्पनी (प्रा.) लि. सोनीपत	42.85
	जगाधरी	
1	मै. शुभर मैटल रोलिंग मिल्ज जगाधरी	11.37
2	मै. सी.बी. आटो कम्पोनैन्टस प्रा. लि. यमुनानगर	6.53
	जींद	

1	मै. लोकोब इन्टप्राईसिस प्रा. लि. जीन्द	38.89
	रोहतक	
1	मै. पाल इन्जीनियरिंग वर्कस	2.45
	बहादुरगढ़	
1	मै. रोहित टैक्सटाईलज बहादुरगढ़	1.00

Strength of Employees

581. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the district-wise total strengh of Government employees as on 19-1-1982 togetherwith the total strength of employees working in the Haryana Civil Secretariat and those working in the Public Undertakings at Chandigarh, separately;

(b) district-wise number of employees who joined 'Bandh Call' given by Trade Unions, on 19-1-1982 together with similar information in respect of the employees working in the Civil Secretariat and in the public Univertakings separately; and

(c) the action, if any, initiated by the State Government against such employees, as referred to in part (b) above separately?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेश लाभ नहीं होगा।

(ख) अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार केवल महेन्द्रगए जिले के एक सरकारी कर्मचारी ने 19.1.1982 को हड़ताल में भाग लिया।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में वर्णित कर्मचारी बारे मामला विचाराधीन है।

Persons detained under National Security Act

584. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Home be pleased to state the names of the persons alongwith their addresses detained under the National Secruity Act, in the State together with the reasons for their detention separately?

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): राज्य में किसी व्यक्ति को नैशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अन्तर्गत नजरबन्द नहीं किया गया।

Construction of Chaupals

585. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state –

(a) the total amount of grants/loans given for the construction of Chaupals for the persons belonging to

Scheduled Castes and Backward Classes togetherwith the number of Chaupals constructed in each place in the State, during teh years, 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to-date) separately; and

(b) whether any applications are still pending for the sanction of grants/loans for the construction of such chaupals; if so, their number togetherwith the names of places where such chaupals are to be constructed and reasons for delay; if any, involved in deciding each case?

Interim Reply

D.O. No. 18-SW(4)-82

"Shakuntla Bhagwaria

State Social Welfare Minister,

March 15, 1982

Subject: Unstarred A.Q. No. 585, asked by Ch. Ram Lal Wadhwa, M.L.A. regarding total expenditure incurred on Harijan Chaupals from 1979-80 to 1981-82 due ton 17-3-82.

Respected Col. Sahib,

Kindly refer to the Unstarred A.Q. No. 585, asked by Ch. Ram Lal Wadhwa, M.L.A. regarding the total expensiture incurred on Harijan Chaupals in the State from 1979-80

todate. The requisite information is being collected from the Deputy Commissioners and it will take some time to collect the same. It is, therefore, requested that the extension of two weeks may kindly be granted.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Shakuntla Bhagwaria)

Col. Rao Ram Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Construction of Roads out of the Fund of Marketing Board/Marketing Committees

616. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) whether the State Agriculture Marketing Board/Marketing Committees in the State have made funds available to the P.W.D. (B & R) for construction of roads in the rural areas; if so, the amount made available by each Market Committee and the names of link roads approved alongwith the names of their tehsils, for which the funds will be spent;

(b) the creiterian; if any, fixed for selecting the proposed roads; and

(c) the amount left with State Agriculture Marketing Board/Marketing Committee as referred to in part (a) above after advancing the amount for the said purposes as on 1.4.81 and 28.2.81?

Interim Reply

"Subject: Unstarred Assembly Question No. 616 asked by Sh. Mool Chand Jain, M.L.A. regarding construction of Road out of the Fund of Marketing Board/Marketing Committees.

The Unstarred Assembly Question No. 616 appearing in the list of Unstarred Questions on the 17th March, 1982 in the name of Minister for Agriculture, is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Agriculture Minister,

Haryana

To

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

U.O. No. 1363-Agri. II(5)-82/677 Chandigarh, dated the 15-3-82"

Enquiry against Ahir Education Society, Rewari

621. Swami Agnivesh: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether the Government is empowered to hold an enquiry about the irregularities committed in the accounts of any private educational institutions and

(b) if so, whether any enquiry has been conducted or ordered on the complaints received about Ahir Education Society, Rewari?

शिक्षा मंत्री (चौ. देस राज):

(क) राज्य सरकार केवल उन्हीं अराजकीय शिक्षा संस्थाओं द्वारा लेखा में की गई अनियमितताओं के बारे में जाचं पड़ताल कर सकती है जो सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं।

(ख) क्योंकि अहीर शिक्षा सोसाइटी, रिवाड़ी द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाएं सरकार से किसी प्रकार की सहायता

अनुदान प्राप्त नहीं कर रही है, इसलिए इन संस्थाओं के विरूद्ध जांच पड़ताल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Appointment of an Educational as Vice Chancellor of Kurukshetra

662. Swami Agnivesh: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to appint and educationist as Vice-Chancellor of Kurukshetra University; and

(b) if so, the time by which such appointment will be made?

शिक्षा मंत्री (चौ. देस राज): (ए तथा बी) मामला कुलपति के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। निर्णय की तिथि अंकित करना इस समय संभव नहीं है।

Minimum wages for the workers during the years 1982

636. Swami Agnivesh: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state –

(a) whether the Government have fixed any minimum wages for the year 1982 for the workers working in different industries in the State; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the details of the factors/basis taken into consideration while fixing the minimum wages?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी):

(क) भिन्न–भिन्न शेडयूल्ड एम्पलाएमैंटस में न्यूनतम वेतन समय–समय पर निर्धारित किए जाते रहे हैं तथा ये वेतन कन्जयूमर प्राईस इन्डैक्स नम्बर के साथ जोड़े जाते रहे हैं। यह वर्श 1982 में भी लागू होते हैं और अब इनमें संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए स्टैन्डर्ड वर्किंग क्लास फैमिली की कम से कम खुराक, कपड़ा, मकान की आवश्यकतओं को तथा ईधन, रोशनी और अन्य फुटकर खर्चो को ध्यान में रखा जाता है।

Possession of Land to Harijans

637. Swami Agnivesh: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the possession of Agricultural land has since been given to those Harijans to whom it was allotted during the last five years; if not, the number of such persons amongst them who have not been given possession so far and the time by which it will be given to them?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): पिछले पांच वर्शो के दौरान कुल 8815 हरिजनों को हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के अधीन कृशि भूमि अलाट की गई है। इनमें से 6879 को वास्तविक कब्जे दे दिए गए हैं। शेश 1936 अलाटियों मे ंसे 1674 के केसों में विभिन्न न्यायालयों के बन्दी आदेश लागू हैं और इस कारण कब्जे नहीं दिये जा सकते, 262 अलाटी ऐसे हैं जिनको शीघ्रातिशीघ्र कब्जें दे दिये जायेंगे।

Reservation for the Posts of Constables

630. Ch. Jai Narain: Will the Minister for Home be pleased to state whether the reservation for Scheduled Castes for the posts of Constables in each district is complete; and not, the time by which it will be completed?

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): नहीं, केवल थोड़ी कमी है सारे राज्य में उनकी प्रतिशतता 17.07 है। सभी जिलों में सिपाही के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए नियत आरक्षण को पूरा करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयन्न किए जा रहे हैं। परन्तु भर्ती के लिए कद तथा छाती के माप में एक–एक इंच की छूट तथा शैक्षणिक योग्यताओं में छूट दिए जाने के बावजूद भी अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवार प्रापत नहीं हो रहे हैं। नियत आरक्षण शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाएगा जबकि सही योग्यताओं वाले उम्मीदवाद मिल जाएंगे।

Appointment on Ad-hoc basis

631. Ch. Jai Narain: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state the number of Clerks and Meter Readers appointed on ad-hoc basis in the Haryana State Electricity Board during the period from 1979 to-date?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने वर्श 1979 से अब तक बोर्ड के अति आवश्यकत परिचालक कार्यों को पूरा करने के लिए 279 निम्न श्रेणी लिपिकों और 24 मीटर रीडर्ज की तदर्थ नियुक्ति की है।

Regularisation of Work Charged/Daily Wages Employees

623. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Public Works (B & R) be pleased to refer to reply to un-starred question No. 548 answerred on 22nd September, 1981 and the steps taken so far in regularising the services of those work charged employees who have completed 5 years service on 31-12-1980 and also 31-12-1981?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): जिन कर्वचार्जड कर्मचारियों ने दिसम्बर 1981 तक 5 वर्श की सेवा पूर्ण कर ली है उनकी सेवायें नियमित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Work Charged and Daily Wages Employees in HUDCO

624. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Finance be pleased to refer to reply to un-starred question No. 547 answered on 22nd 22nd September, 1981 and the steps taken so far in regularising the services of those work charged employees who have completed 5 years service on 31-12-1980 and also 31-12-1981?

वित्त मंत्री (चौ. खुर्शीद अहमद): मामला विचाराधीन है।

Work Charged Employees in Public Health Department

625. Sh. Mool Chand Jain: Will the Mininster for Food and Supplies be pleased to refer to reply to un-starred question No. 546 answered on 22nd September, 1981 and the steps taken so far in regularising the services of those work charged employees who have completed 5 years service on 31-12-1980 and also 31-12-1981?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री लछमन सिंह): 31.12.81 को 5 वर्श की सेवा अवधि पूरी करने वाले वर्कचार्जड कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न सरकार के तीव्रता से विचारधीन है। इस सम्बन्ध में सरकार ने भवन तथा मार्ग शाखा, सिंचाई विभाग तथा जन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियन्ताओं की एक कमेटी गठित की है जो कि वर्क चार्जड कर्मचारियों जिनकी सेवा अवधि दिसम्बर, 1981 तक 5 वर्श तथा अलग से 4 वर्श की पूर्ण हो चुकी

हैं को नियमित करने के लिये अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी।

Comrade Shanker Lal: * * * * (Interruptions and noise)

Mr. Deputy Speaker: Nothing should be recorded which has been said without my permission.

चौ. राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस स्वामी आदित्यवेश के खिलाफ दिया है कि उन्होंने सेम जरनी के लिए दो गवर्नमैंट एजेन्सीज से टी.ए. बिल वसूल किया है। (व्यवधान एवं शोर)

Mr. Deputy Speaker: That is under consideration.

स्वामी अग्निवेश: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी जीरो आवर में कुछ कहना चाहता हूं। हथीन में .....(शोर)

चौ. गंगा राम: स्वामी आदित्यवेश को तो गिरफतार करवा कर, पुलिस केस बनाया जाना चाहिए। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: अभी पर प्रिविलेज मोशन का फैसला होना बाकी है। इसलिए please sit down.

औचित्य प्रश्न –

समिति के सभापति द्वारा समिति के बहुमत से स्वीकृत हुई रिपोर्ट को सदन में पेश न करने सम्बन्धी।

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। विशय यह है कि इस हाउस की सारी कमेटीज बहुत इम्पौर्टेंट हैं। वह कमेटीज इम्डोपैडेंट तौर पर बनी हुई हैं। एक दफा अगर कोई कमेटी किसी प्वायंट के डिसीजन पर पहुंच जाए, तो क्या उसके तो क्या उसके बाद बहुमत द्वारा दी गई रिपोर्ट को कमेटी का चेयरमैन हाउस में पेश करने से विदहोल्ड कर सकता है?

Mr. Deputy Speaker: I reserve my ruling.

श्री हीरा चन्द आर्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सबार्डीनेट लैजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट क्या इस हाउस में पेश हो रही है या नहीं?

Mr. Deputy Speaker: You come to my chamber, I will let you know the position.

स्वामी अग्निवेश: * * * *

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी, आप मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं। Nothing will be recorded. Kindly take your seat.

चौ.गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा एडजर्नमेंट मोशन था कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तकरीबन 400 करोड़ रूपये के घाटे में जा रहा है .....

श्री उपाध्यक्षः वह तो मैंने डिस–अलाऊ कर दिया है।

चौ. गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर बड़ा घपला हो रहा है, उसे जरूर मंजूर किया जाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्षः चौ. गंगा राम जी, आप बैठिये। मैंने आपको बता दिया है कि वह डिस–अलाऊ हो चुका है।

कामरेड शंकर लालः डिप्टी स्पीकर साहब, जींद के अन्दर एक हजार के करीब एडहौक कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। उनको पुलिस द्वारा पकड़ कर गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको पीटा भी जा रहा है। वहां पर 9 साल की लड़की के साथ ज्यादती की गई लेकिन दोशियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। (व्यवधान एवं शोर)

ध्यानाकर्शण सूचना –

ओलावृश्टि के किसानों की फसलें बर्बाद होने सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे चौ. हरस्वरूप बूरा, चौ. राम लाल वधवा, सर्वश्री हीराम चन्द आर्य, रण सिंह माल, जय नारायण वर्मा तथा अजीत सिंह, डा. मंगल सैन, श्री मूल चन्द जैन, सर्वश्री संत कंवर, भले राम तथा शिव प्रसाद, श्री जगदीश कुमार बैनिवाल, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री बीरेन्द्र सिंह और श्री गंगा राम, एम. एल.राज. की तरफ से हेल स्टोर्म से किसानों की फसलों को हुए

नुकसान के बारे में और उन्हें ज्यादा मुआवजा दिये जाने के बारे में काल अटैन्शन मोशन के नोटिसिज प्राप्त हुए हैं, मैं इन्हें स्पीकार करता है। चौ. हरस्वरूप बूरा जी का नोटिस सबसे पहले प्राप्त हुआ था, इसलिए वे अपना नोटिस पढ़ दें। उसके बाद मंत्री महोदय अपनी स्टेटमैंट देंगे। फिर जिस साहेबान के नाम ये काल अंटैन्शन नोटिसिज हैं, वे इस पर बारी–बारी एक–एक, दो–दो सवाल पूछ सकते हैं।

चौ. हरस्वरूप बूरा: मैं, इस महान् सदन के ध्यान में, दिनांक 28 फरवरी, 1982 की शाम तथा एक मार्च 1982 की सुबह की आमतौर पर हरियाणा के ज्यादातार क्षेत्रों तथा विशेशतया सारी मेहम सब–तहसील में ओलावृश्टि से किसानों की सारी फसलें बर्बाद होने संबंधी, एक अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला लाना चाहता हू। इस कुदरती आफत के कारण गेहूं, चने तथा सरसों की फसलें जमीन पर बिद गई हैं तथा किसानों के पास सिवाए आंसूओं के कुछ नहीं बचा है। मैं इस महान सदन के द्वारा सरकार से यह निवेदन भी करूंगा कि जहां पर, क्रमशः 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, मुआवजे की राशि को, 100 रू., 200 रू. तथा 300 रू. प्रति एकड़ से बढ़ाकर 300 रू., 400 रू. तथा 500 रू. प्रति एकड़ कर दिया जाए। मेहम निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 40 गांवों में फसलों का 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

मैं राज्य सरकार से चालू सत्र के दौरान, जब सरकार को सुविधाजनक हो, इसका उत्तर देनै की प्रार्थना भी करता हूं।

चौ. राम लाल वधवा: मैं इस सदन का ध्यान एक अति–आवश्यक और लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में जोरदार बारिशें हुई हैं और अब भी लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। विशेशतया अम्बाला, कुरूक्षेत्र, करनाल, सोनीपत तथा रोहतक जिलों में भारी वर्शा हुई है और ओलावृश्टि हुई है जिसके कारण सारे प्रान्त और विशेशतया ऊपरलिखित जिलों में फसलें नश्ट हो गई हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है और ओलावृश्टि से भी गेहूं और चेन की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे किसानों और सामान्य जनता में अशान्ति और असंतोश फैला हुआ है। करनाल जिले में पहले भी बारिश के कारण फसलों को कीड़ा लग गया था। लेकिन अब हाल की बारिश से बची हुई फसलों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। यह एक अति गंभीर मामला है और प्रान्त की अर्थ व्यवस्था और सामान्य प्रशासन से संबंध रखता है। मैं संबंधित मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे सदन को विश्वास में लेते हुए अपना वक्तव्य दें कि सरकार ने फसलों को बचाने के लिए क्या पग उठाये हैं और बारिश और ओलावृश्टि से जो हानि हुई है उसके लिए किसानों को राहत देने के लिए क्या पग उठाये गए है। यह हाल ही का मामला है। इसलिए इस पर तुरन्त वक्तव्य देकर सदन को इस संबंध में उठाये गये पग से सूचित करने की कृपा करें।

सर्वश्री हीरा नन्द आर्य, रण सिंह मान, जयनारायण, तथा अजीत सिंह: इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के इस मामले की ओर दिलाना चाहते हैं कि लगभग सारे प्रान्त मे इस समय बड़ी फसलों की शीत लहर तथा ओलावृश्टि से भारी हानि हुई है। झज्जर तथा भिवानी जैसे बरानी इलाकों में जहां कई सालों के कहत का प्रकोप रहा है लोगों की स्थिति और भी विकट हो गई है। इसलिए सरकार तुरनत राहत कार्य प्रारम्भ करे तथा किसानों को फसलों के नुकसान का पूरा मुआवजा दे। साथ ही इस मामले में की गई कार्यवाही के बारे में इस महान सदन को सूचित करे।

डा. मंगल सैन: इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों में हरियाणा के समूचे प्रदेश में भयंकर आंधी, तूफान, भीशण वर्शा और ओलावृश्टि से खड़ी फसलों की तब ही हो गई है। सरकार ने किसानों को तुरन्त राहत देने के लिये क्या कदम उठाये हैं। इस ध्यानाकर्शण द्वारा वह सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकृश्ट करते हुए जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस दिशा में क्या–क्या कदम उठाये हैं।

श्री मूल चन्द जैन: इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से ओलावृश्टि तथा लगातार वर्शा से

हरियाणा के विस्तृत क्षेत्र में रबी की खड़ी फसल को बहुत ज्यादा हानि हुई है तथा किसानों को भारी नुक्सान हुआ है।

जबकि सरकार ने खेतों में खड़े पानी को बाहर निकालने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है,

जबकि खड़े पानी को यदि बाहर नही निकाला गया तो गेहूं की फसल पूर्णतया नश्ट हो जाएगी, तथा

जबकि किसानों की खराब हुई फसलों की गिरदावरी संबंधी उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है।

इन सभी तथ्यों के कारण यह एक अत्याधिक लोक महत्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए सरकार से निवेदन किया जाता है कि वह सदन में एक वक्तव्य दे।

इसलिए यह ध्यानाकर्शण प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सर्वश्री संत कंवर, भले राम, शिव प्रसाद: यह महान सदन लोक महत्व के इस विशय पर चर्चा करना चाहता है कि हरियाणा के कई जिलों में बहुत ओले पड़े हैं जिससे किसानों की फसल पूर्णतया नश्ट हो गई है इसलिए उनको तुरन्त आर्थिक मदद से कम से कम 1000 रूपए प्रति एकड़ दिया जाना चाहिए तथा ''फूड फार बर्फ'' की ''स्कीम'' लागू की जावे ताकि ओलों से हुए नुक्सान को लोग बर्दाश्त कर सकें। इसलिए इस पर तुरन्त चर्चा की जावे।

श्री जगदीश कुमार बेनीवाल: मैं सदन का ध्यान एक बहुत जरूरी और लोक महत्व के इस मसले की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में फरवरी के आखरी हफ्ते में शीत लहर के कारण सिरसा जिला के दड़बा कलां हल्का और बाकी जिले में और हिसार, भिवानी, रोहतक व महेन्द्रगढ़ के रेतीले इलाका में चने व सरसों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। इससे किसानों और जनता में भारी अशान्ति और रोश फैला हुआ है। जिला सिरसा में पहले भी फसलें खराब हो चुकी हैं इसलिए संबंधित मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सदन को विश्वास में लेते हुए अपना वक्तव्य दें कि सरकार ने शीत लहर से हुए नुकसान से राहत देने के लिए क्या पग उठाए हैं यह हाल ही का मामला है इसलिए इस पर तुरन्त वक्तव्य देकर सदन को इस संबंध में उठाए गए पग से सूचित करने की कृपा करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह: इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में पिछले कई दिनों से लगातार जोरदार वर्शा तथा ओलावृश्टि हो रही है। जिसके परिणामस्वरूप सारे राज्य में विशेशकर भिवानी, रोहतक, सोनीपत, करनाल तथा कुरूक्षेत्र के जिलों में गेहूं, चने तथा सरसों की फसलों को भारी क्षति हुई है। सारे राज्य के किसानों में तथा अधिकांश लोगों में अत्याधिक बैचेनी तथा असंतोश व्याप्त है।

यह एक अत्यावश्यक लोक महत्व का तथा हाल ही का मामला है जिसका राज्य में किसानों की आर्थिक–स्थिति से सीधा संबंध है। वह संबंधित मंत्री से इस संबंध में किसानों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे पगों के बारे में वक्तव्य देने का निवेदन करते हैं।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि लगभग सारे राज्य में तथा विशेशकर हांसी निर्वाचन–क्षेत्र के गांवों मदनहेड़ी, गढ़ी सोरखी तथा सिंघवा आदि में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार उन किसानों को, जिनकी सारी फसलें ओलावृश्टि तथा शीत लहर से खराब हो गई हैं, इस प्राकृति आपदा के प्रकोप से बचाने के लिए पूरा मुआवजा दे।

चौ. गंगा राम: इस गरिमामय महान सदन का ध्यान लोक महत्व के अत्यावश्यक विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि तिथि 28.2.82 से लेकर लगभग तिथि 5.3.82 तक हरियाणा प्रान्त के विभिन्न जिलों में भयंकर ओलावृश्टि हुई तथा भयंकर वर्शा व तेज रफ्तार हवाएं चलीं जिसके परिणामस्वरूप किसानों की फसलें गेहूं, चना, सरसों, गन्ना तथा तारामीरा इत्यादि पूर्णतया नश्ट हो गई और इस प्रदेश का किसान वर्ग बर्बादी की राहों पर आ खड़ा हुआ है। आज तमाम किसान त्राहि–त्राहि चिल्ला रहे हैं। हरियाणा के किसानों की करोड़ों रूपयों की फसलें मिट्टी में मिल गई हैं

विशेशतया जिला सोनीपता में तहसील गोहाना के 70 प्रतिशत गांव इस विनाश लीली की चपेट में आ गए हैं। अतः वह इस सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे कठिनतम समय में किसानों की भूरपूर सहायता की जाए। इसलिए वह सरकार से मांग करते हें कि जिस किसान की फसल का खराबा 75 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक का है उन्हें प्रति एकड़ 1000 रूपएं मुआवजा दिया जावे। 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक के खराबे पर यह दर 700 रूपये प्रति एकड़ हो तथा 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक के खराबे पर यह दर 500 रूपए प्रति एकड़ की जावे। उनकी दूसरी मांग यह है कि ऊपर लिखित सभी फसलों का आबयाना पूर्णतया माफ किया जावे तथा जितनी भी इस वक्त की सरकारी कर्जो की किस्ते हैं वे सिगित की जायें एवं इस स्थगन की अवधि का ब्याज न लिया जावे। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्गो, किसानों तथा हरिजनों को अनाज प्राप्त करवाने हेतू ''काम के बदले अनाज'' स्कीम लागू की जावे। गेहूं, चने के खराबे पर जैसे मुआवजा दिया जाता है, उसी प्रकार गन्ने के खराबे पर भी मुआवजा दिया जावे जो कि सरकार ने अभी तक एलान नहीं किया है। सस्ते दामों पर किसानों को पशुओं के लिए चारा दिया जावे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस विशय पर यथायोग्य सोच–विचार कर यथोचित उत्तर देगी एवं किसानों के इस मकान कश्ट निवारण में पूरा–पूरा सहयोग करेगी।

चौ. संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने अपने काल अटैन्शन मोशन में एक हजार रूपए प्रति एकड़ मुआवजा की डिमांड की है।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार की तरफ से जब जबाव आएगा तो आप क्वैश्चन पूछ लेना। (शोर एवं व्यवधान) अगर सब लोग पढेंगे तो सदन का बहुत समय लगेगा। सरकार की तरफ से उत्तर आने पर जिन सदस्यों के नोटिस आए हुए हैं वे प्रश्न पूछ सकते हैं। अग रैवेन्यू मिनिस्टर स्टेटमैंट देंगे।

वक्तव्य –

(i) राजस्व मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना संबंधी

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): राज्य में फरवरी–मार्च के दौरान भारी तथा लगातार वर्शा और ओलों से 28 फरवरी से 2 मार्च, 1982 के बीच पकी हुई फसलों को काफी हानि पहुंची। अन्दाजन 2.74 लाख हैक्टेचर फसली क्षेत्र को मामूली से लेकर अति अधिक तक हानि हुई हैं। यद्यपि इस खराब मौसम का प्रभाव सारे राज्य में हुआ है परन्तु भिवानी, रोहतक तथा सोनीपत जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जिलावार फसलों की हानि का ब्यौरा संलग्न है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हानि के वास्तविक आंकड़े गिरदावरी के समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध किये जा सकते हैं। सरकार स्थिति से पूर्णतया जागरूक है और निम्नलिखित पग तत्काल उठाये हैं:–

(क) सभी जिलों की ओलावृश्टि से प्रभावित क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर गिरदावरी करने और उसे 20–3–1982 तक समाप्त करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सम्बन्धित सर्कल राजस्व अधिकारी 30–3–1982 तक उसकी शत प्रतिशत जांच करेंगे ताकि वास्तविक हानि के आंकड़ों के इन्द्राज में हेराफेरी की सम्भावना कम से कम हो। उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) उपायुक्त तथा मण्डलीय आयुक्तों की क्रमशः 25 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत चैकिंग करने के लिए आदेश दिए गए हैं।

(ख) गिरदावरी समाप्त होने के बाद जब ग्रामों में अनुदान बांटा जायेगा तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पिछले वर्श की भान्ति यह काम उच्च पद के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किया जाचे ताकि राशि के वितरण में हेराफेरी तथा गबन रोका जा सके।

(ग) ओलावृश्टि से हुई हानि के उपलक्ष में पिछले वर्श दिए गए अनुदान की दर तथा आधार पर अब भी अनुदान देने की घोशणा पहले ही की जा चुकी है।

(घ) ज्यों ही गिदावरी समाप्त होगी राज्य सरकार प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्र को राहत देने के लिये भारत सरकार को वित्तीय ज्ञापन भेजेगी। इसी दौरान भारत सरकार को 10 करोड़ तथा तदर्थ अनुदान देने की प्रार्थना की गई है।

(ड.) सिचाई विभाग को जहां अधिक पानी ज्यादा क्षेत्र में खड़ा है, को खेतो से यथासंभव निकालने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं। जिन किसानों के खेतों में पानी खड़ा है और खेतों के नजदीक ड्रैन्ज या चैनलज नहीं है, सिचाई विभाग पानी निकालने के लिए पम्प उपलब्ध करेगा बशर्ते कि साथ वाले किसानौं के खेतों को कोई हानि न हो। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित किसान को डीजल या बिजली का वास्तविक खर्च स्वयं सहन करना होगा।

क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि गेहूं की फसल को अत्याधिक बीमारी नहीं है यद्धपि कुछ लू समट रस्ट व बन्ट की बीमारियां देखने में आई हैं। चनों की फली व दाने में कुछ कालापन आने की संभावना है कीड़ों की बीमारी की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्राथमिक अनुमानों के अनुसार यह आशा की जाती है कि ओलावृश्टि, अधिक वर्शा, तूफान तथा बीमारी की लौजिंग के कारण गेहूं तथा चनों की पैदावार में चार–चार लाख टन की और तिलहन में 35000 टन की कमी की संभावना है।

उत्पादन में कुछ हानि 170 करोड़ रूपए की है।

राज्य सरकार ओलावृश्टि से हुई हानि के उपलक्ष में भूमि जोतकर तथा आबियाना का स्थगन व माफी के रूप में राहत देगी और वर्श 1981 की दर पर अनुदान भी दिया जाएगा।

कृशि विभाग द्वारा भी बड़े पैमाने पर प्रमाणित बीज बांटें जायेंगे।

ब्यौरा

क्रमांक	जिले का नाम	प्रभावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	रोहतक	77953
2	करनाल	4362
3	गुड़गांव	11500
4	सोनीपत	49796
5	सिरसा	1200

6	भिवानी	92190
7	अम्बाला	200
8	कुरूक्षेत्र	160
9	महेन्द्रगढ़	6441
10	हिसार	14113
11	फरीदाबाद	15930
12	जीन्द	200
	जोड़	274045

चौ. राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि पटवारियों के जरिये गिरदावरी कराई जाएगी। पिछली बार भी हाउस में यह बात आई थी कि पटवारी गिरदावरी में गड़गड़ करते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी और ऐजेन्सी द्वारा गिरदावरी कराने के लिए सरकार विचार करेगी ताकि गड़बड़ होने की कोई गुंजाईश न रहे।

चौ. शेर सिंह: डिप्टी स्पीकर महोदय, जहां तक गिरदावरी करने का सवाल है वह तो पटवारी ही करेगा थानेदार तो करेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने पब्लिक रिलेशंज

वालों को यह कहा है कि वे रेडियो और अखबारें के माध्यम से यह प्रचार करा दैं कि जिस–जिस गांव की गिदावरी हो वहां पर किसान मौके पर होने चाहिए और वहां का सरपंच और नम्बरदार भी वहां पर होना चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): डिप्टी स्पीकर महोदय, गिरदावरी के बारे में चर्चा हुई है कि गिरदावरी में गड़बड़ होती है। यह बात कुछ हद तक ठीक है और कुछ शिकायतें ऐसी मिली भी हैं। हमने इस सम्बन्ध में हिदायतें जारी की है कि सौ फीसदी गिरदावरी की चैकिंग तहसीलदार करेगां 25 परसैन्ट चैकिंग एस. डी.एम. करेगा। यह मौके पर हर हालत में देखेगा कि पटवारी ने गिरदावरी ठीक की है या नहीं की है। दस परसैन्ट डिप्टी कमिश्नर चैक करेगा और दो परसैन्ट कमिश्नर चैक करेगा कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई हेराफेरी तो नहीं हुई है। एक बात जिसका रैवेन्यू मिनिस्टर ने जिक्र नहीं कया है उसके बारे मे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने फैसला किया है कि जिस किसान का नुक्सान हुआ है उसको मुआवजा देना चाहिए। जहां कहीं 75 परसैन्ट नुक्सान हुआ हैं वहां पर चार सौ रूपया फी एकउ़, जहां पर 50 परसैन्ट से 75 परसैन्ट नुक्सान हुआ है वहां पर दो सौ रूपया फी एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां पर फसल ओले की वजह से तो खराब नहीं हुई है बल्कि सर्दी या पानी की वजह से फसल

खराब हो गई है वहां पर भी गिरदावरी करवा रहे हैं और वहां पर आबियाना और मालिया माफ किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्षः काल अटैन्शन मोशन देने के बारे में जो नाम मैंने पढ़कर सुनाए हैं, वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृपया वे सदस्य अपने नम्बर के लिए इंतजार करें।

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं सरकार से पूछना चाहताह हूं कि जहां पर ओलावृश्टि के कारण तो नुकसान नहीं हुआ है बल्कि शीत लहर के कारण नुक्सान हुआ है विशेश रूप से महेन्द्रगढ़ और भिवानी में, क्या वहां पर भी सरकार मुआवजा देने पर विचार करेगी? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पटवारी या तहसीलदार जो गिरदावरी करें और उस गिरदावरी की जो लिस्ट तैयार की जाए, क्या गांव के लोगों को इक्ट्ठा करके यह बताया जाएगा कि किसका कितना नुक्सान है जिससे कि लोगौं को पता लग जाए कि कही कोई गड़बड़ तो नहीं की गई है?

चौ. शेर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, पहले सवाल का तो जवाब यह है कि प्राकृतिक प्रकोप से किसी भी तरह नुक्सान अगर हो जाए तो सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी। किसी भी प्रकोश से नुक्सान का मुआवजा देना सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। सरकार सब फसलों के नुक्सान का मुआवजा नहीं दे सकती। प्राकृतिक प्रकोप से जो नुक्सान होता है उन्हीं फसलों का मुआवजा सरकार देगी। डिप्टी स्पीकर महोदय, आपको

याद होगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम ऐसी स्कीम बना रहे हैं जिसमें फसलों का बीमा किया जाएगा और कई ब्लाक्स में या सब–डिविजनों में यह स्कीम लागू हुई है। हरेक वजह से फसल के नुक्सान का मुआवजा तो एल.आई.सी. ही दे सकती है।

दूसरी बात यह है कि जो गिरदावरी पटवारी करेगा उसके बाद सैट–परसैन्ट तहसीलदार चैकिंग करेगा। फिर एस.डी.एम. करेगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्पर करेगा ओर उसके बाद कमिश्नर करेगा। हमने रेडियो और अखबारों के माध्यम से भी यह प्रचार करवाया है कि गिरदावरी के टाईम पर कोई किसान गैर हाजिर न रहे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर महोदय, अगर कहीं से कोई शिकायत आएगी कि पटवारी ने गड़बड़ की है तो हम फाइनैंशियल कमिश्नर को चैकिंग के लिए भेजने के लिए तैयार हैं।

श्री रण सिंह मान: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रेतीले क्षेत्रों में रहने वाले जिन किसानों ने अपनी जमीनों को अपने कुंओं या टयूबवैल्ज से पानी दिया है और जिन्होंने बिजली के बिलों की पैमेंट भी कर रखी है, उन लोगों का जो नुक्सान हुआ है, उनको कम्पैनसेट करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

चौ. भजन लाल: यहां पर कम्पैनसेशन देने की बात की गयी है। मैं आनरेबल मेम्बर की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसलों को सर्दी की वजह से खराबा हुआ है उस जगह का आबियाना या मालिया माफ कर यिदा जाएगा। जहां आबियाना नहीं है, वहां का मालिया माफ हो जाएगा।

श्री रण सिंह मान: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा सवाल तो बड़ा ही सीधा था। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है कि जिन किसानों ने कुंओं या टयूबवैलों से अपने खेतों को पानी दिया है और इलैक्ट्रीसिटी चार्जिज भी पे कर दिये हैं, केवल सवा छः एकड़ जिनके पास जमीन है, मालिया लगता ही नहीं है और जिन लोगों की फसलों को शीत लहर के कारण नुक्सान हुआ है, उन लोगों को किस तरह से सरकार कम्पैनसेट करना चाहती है, इस बारे में क्या क्राईटेरिया है?

चौ. शेर सिंह: यह देखना तो बिजली बोर्ड का काम है।

कृशि मंत्री (श्री शमशेर सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, छोटे किसान, जिनके पास 5 एकड़ जमीन है या इससे कम जमीन है, उनके लिए फसलों का बीमा करने का भी प्रोग्राम है और उसमें 50 परसेन्ट बीमे का प्रीमियम सरकार देती है, इसलिये हर किसान को इसका फायदा उठाना चाहिए।

चौ. पीर चन्द: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मंत्री जी कुछ बोल रहे थे, चूंकि जवाब पूरा नहीं आया था, इसलिये मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता था। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री जयनारायण वर्मा: अभी मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री महोदय ने बताया है कि जिन किसानों की फसलें शीत लहर, ओलावृश्टि से और प्राकृतिक प्रकोप के कारण तबाह हो गई हैं, उन किसानों को सरकार की तरफ से काफी राहत दी जाएगी। मैं इन से यह जानना चाहता हूं कि जो सवा 6 एकड़ के छोटे भूमि मालिक हैं उनको तो पहले ही मालिया नहीं लगता, फिर आप किस तरीके से उनको कम्पैनसेट करेंगे? दूसरी बात यह है कि जो मजदूर हैं, सीरी हैं या अन्य कारीगर हैं, जोकि इन जमीन के ऊपर ही निर्भर करते हैं, इन लोगों को कम्पैनसेट करने के लिए आप क्या प्रोवीजन कर रहे हैं?

चौ. शेर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर किसी को बुखार न हो तो उसे इजैक्शन लगाने की क्या जरूरत है? जहां पर आलरैडी मालिया नहीं लगता है तो फिर और रिलीफ देने का सवाल ही नहीं उठता है। उसका मालिया तो अपने आप ही माफ हो गया।

चौ. भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल वैलिड है कि जो गांव का किसान है, गरीब आदमी है, सीरी है, उसका जमीन मालिकों की जमीन में तीसरा, चौथा या पांचवा हिस्सा होता है और जमीन का जो मालिक होता है उसी को उसी जमीन का मुआवजा मिलता है। कानून में बड़ी भारी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी हमने डिप्टी कमिश्नर साहेबान को इस तरह की क्लीयर हिदायतें जारी कर दी हैं कि सीरी का जो हिस्सा खेत में होता है, उसको भी उसकी रेशो के अनुसार मुआवजा दिलवाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी पूर्ण सहानूभूति ऐसे लोगों के साथ है ओर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अने हिस्से के मुताबिक पूरा मुआवजा दिलाया जाए।

चौ. अजीत सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो गिरदावरी की जाती है वह मालिक खितौनी के हिसाब से की जाती है या कि मौके के हिसाब से की जाती है?

चौ. शेर सिंह: यह मौके पर की जाती है।

चौ. अजीत सिंह: नहीं की जाती है। पटवारी घर पर ही बैठकर कर रहे है। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि कई जगहों पर ओलावृश्टि के कारण या प्राकृतिक प्रकोप के कारण से पशुओं का भी नुक्सान हुआ है। सिवाना गांव मे 20 भेड़ें मर गई हैं, क्या ऐसे केसिज में भी सरकार लोगों को मुआवजा देगी?

चौ. शेर सिंह: गिरदावरी तो मौके पर होती है। अगर कोई मालिक ही बाहर बैठे हों तो फिर हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम इंक्वायरी वगैरह भी करवाते हैं कि गिरदावरी ठीक हुई है कि नहीं। अरग कोई ऐसी वैसी बात आनरेबल मैम्बर हमारे नोटिस में लाएंगे तो उस पर शीघ्र ही एक्शन किया जाएगा। इससे अगली बात आनरेबल मैम्बर ने पशुओं के मरने पर मुआवजा देने की भी पूछी है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें ऐसे लोगों के साथ दिली हमदर्दी है जिनके पशु मरे हैं, लेकिन मुआवजा देने की बात सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने फरमाया है कि सरकार 200, 300 और 400 रूपये की राशि कम्पैनसेशन के तौर पर उन किसानों को देगी जिनकी फसलें प्राकृतिक प्रकोप के कारण नश्ट को गई हैं। साथ ही किसानों के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा कि हमें इन लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सीरी हैं, बेजमीन हैं, लैन्डलैस किसान हैं, उनको सरकार किस रेशों से कम्पैनसेशन दिलवायेगी। क्या सरकार ने इस बारे में कोई कानून बनाया हुआ है या कोई और नीति निर्धारित की हुई है? दूसरी बात यह है कि 200, 300, 400 रूपये का मुआवजा जो दिया जा रहा है, उसको बढ़ाकर कम से कम 500, 700, 1000 कर दिया जाएगा, इस बात को सारी अपोजीशन और रूलिंग पार्टी के मैम्बर साहेबान भी महसूस कर रहे हैं कि यह परसैन्टेज की रेशो इस

प्रकार बढ़नी चाहिए। यह भी साथ बाताने का कश्ट करें कि यह राशि कब तक गांवों में दे दी जाएगी?

चौ. भजन लाल: डिप्टी स्पीकर सहब, डा. मंगल सैन जब भी खड़े होते हैं तो कोई न कोई लच्छेदार बात कह देते हैं। इन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के साथ दिखावे की हमदर्दी रखती है। आज की इस सरकार ने किसानों को अच्छे भाव दिलवाये हैं और आज की सरकार ने किसानों का नुक्सान पूरा करने में जितनी मदद दी है शायद ही इससे पले किसी ओर सरकार ने किसानों का नुक्सान पूरा करने में जितनी मदद दी है शायद ही इससे पहले किसी और सरकार ने किसानों की मदद की हो। तो यह किस तरह की बातें यहां पर करते हैं। डाक्टर साहब को कया पता कि किसान क्या होता है। डाक्टर साहब एक बात बता दें कि एक एकड़ में बाजरे का बीज या सरसों का बीज कितने किलो पड़ता है (शोर एवं व्यवधान) (हंसी)

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो राजनीति का विशेशज्ञ हूं। उस बारे में, मैं बता सकता हूं, कि ये किस प्रकार उधर चले गये हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने इनसे पूछा था कि कब तक ये पैसा किसानों को गांवों में दे देंगे?

11.00 बजे

चौ. भजन लाल: आपने शायद सुना नहीं मैंने अभी बताया था कि कानूनी दिक्कत है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश

है कि उसका हिस्सा उसे दिलाया जाए। गांवों में हमारे सीनियर अफसर जाएंगे वे गांवों के नम्बरदारों और सरपंचों के साथ बैठेंगे। वहां सीरी भी होंगे। वे मालिक को कहेंगे कि यह भी गरीब आदमी है, इसका भी जितने हिस्से का नुक्सान हुआ है उस रेशो से इसको भी मुआवजा का पैसा देना चाहिए। उसको पैसा दिलाने की हमारी पूरी कोशिश होगी।

डा. मंगल सैन: ऐसा करने के लिए क्या कोई कानून है?

चौ. भजन लाल: मैंने पहले ही बताया है कि ऐसा कानून कोई नहीं है।

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इनको आन दी फलोर आफ दि हाउस पर यह अश्योर करना चाहिए कि हम ऐसा कानून बनाएंगे। (शोर)

चौ. भजन लाल: ऐसा कानून कोई नहीं है यह तो भाई चारे की बात है।

श्री मूलचन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि जो स्टेटमैंट अभी रैवेन्यू मिनिस्टर ने पढ़ी और उसके बाद उसकी और भी व्याख्या हुई। उससे जाहिर है कि सिर्फ हेल स्टोर्म के नुक्सान का ही मुआवजा दैंगे। उसके अलावा शीत लहर या खेतों में पानी ठहरने से भी नुक्सान हुआ है। जैसे कुरूक्षेत्र में ज्यादा पानी ठहर गया। ज्यादा

पानी आने से चावल की फसल तो अच्छी हो जाती है लेकिन गेहूं की फसल का नुक्सान हो जाता है। तो पानी ठहरने से जिन किसानों को फसलों का नुक्सान हुआहै उनको यह मुआवजा नहीं देना चाहते। मैं यह बात इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जिन किसानों का पानी ठहरने की वजह से नुक्सान हुआ है वे भी मुआवजे के उतने ही हकदार हैं जितने ओलों की वजह से नुक्सान वाले किसान हैं। दूसरा सवाल मेरा गिरदावरी के मामले में है। पिछले सैशन मे ंभी इस प्रश्न पर एक बहुत माकूल सुझाव आया था और मेरा ख्याल है कि सरकार ने उसको मंजूर भी किया था लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। वह सुझाव यह था कि यह जो मुआवजा मिलता है इसके लिये कुछ किसान तो यह समझते हैं कि अब गंगा वह रही है, हाथ धो लो। जिन लोगों का कोई नुक्सान नहीं होता वे पटवारी से मिल कर गिरदावरी बनवा लेते हैं और जिनका असली नुक्सान हुआ होता है मगर पटवारी को रिश्वत नहीं देते या पटवारी ने उनके साथ कोई कसर निकालनी हो, उनका नुक्सान दिखाया नहीं जाता। इस बारे में यह सुझाव आया था कि जिस तरीके से तहसीलदार, एस.डी.ओ., असिसटैन्ट क्लेक्टर फर्स्ट ग्रेड गांव में जाते हैं .....(शोर व व्यवधान)

आवाजें: आप सवाल पूछें, आपका सवाल क्या है?

श्री मूलचन्द जैन: क्या अकल का ठेका आपने ही ले रखा है? मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से गांव में मुटेशन कल तसदीक सारे ग्रामीणों की हाजिरी मे ंकी जाती है उसी प्रकार

से क्या यह सरकार ओला पीड़ित खेतों की गिरदावारी के मामले में भी सारे गांव को इक्ट्ठा करके हर एक आदमी का नुक्सान बताने के लिये तैयार है कि इतना नुक्सान पटवारी ने लिखा है? अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती तो यह क्रप्शन का एक बड़ा दरवाजा खोलेगी?

श्री उपाध्यक्ष: जैन साहब, अभी मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे शायद उस समय आप कोई नोट तैयार कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि जिस समय मुआवजा दिया जाएगा तो जो गिरदावारी है वह सारे गांव के लोगों के सामने रखी जाएगी जिसमें गांव का नम्बरदार, सरपंच और सीरी तथा किसान भी शामिल होंगे।

श्री मूल चन्द जैन: आपत्ति तो यह है कि मुआवजा बहुत देर बात दिया जाता है ओर तब तक नश्ट हुई फसल का मौका निकल जाता है। (शोर)

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जी ने कह दिया कि अकल को ठेका आपने ले रखा है (शोर) बाबू जी आप वकील हैं कई बार हम आपसे भी अकल मांग लेते हैं। मैं यह कहता हूं कि गिरदावरी जो होती है वह गांव में बैठकर नहीं हो सकती, गिरदावरी तो मौके पर होती है। उसके बाद जब मुआवजा देंगे, वह गांव के सामने दिया जाएगा। जो आपने पहली बात कही थी उसमें बड़ा वजन था कि गेहूं की फसल में पानी खड़ा हो गया

जिससे किसानों को नुक्सान हुआ हैं जिस दिन बरसात हुई थी, हमने उसी दिन हिदायत कर दी थी कि जिस इलाके में बहुत पानी खड़ा है उसे सरकार अपन खर्चे पर निकालेगी। (श्री भागी राज जी की ओर से विघ्न) भागी राम जी, आप सीरी की बात जान सकते हैं, मालिक की बात नहीं जान सकते। दूसरा हमने यह भी किया है ..... (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर हैं हम सी.एस. साहब की तरफ से कही गई यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वे हमारे एक माननीय सदस्य को यह कहें कि वह सीरी की बात को जान सकता है मालिक की बात नहीं जान सकता (शोर)

चौ. भजन लाल: मैं अब भी यह कहता हूं कि वह गरीब आदमी है, हरिजन है, वह सीरी की बात जानता है, उसको पता है कि सीरी किस को कहते हैं। (शोर)

चौ. भजन लाल: मैं अब भी कहता हूं कि सीरी की बात को एक गरीब आदमी ही जानता है, सीरी की बात का बाबू मूल चन्द जैन को क्या पता है कि सीरी किसको कहते हैं। सीरी की बात भागी राम जानेंगे, भले राम जानेंगे। आपको कया पता है कि सीरी किसको कहते हैं? (शोर)

श्री भले राम: अभी सी.एस. साहब ने कहा कि भागी राम जी को इसलिये पता है क्योंकि वे हरिजन हैं। मैं जानना चाहता

हूं कि क्या हरिजन ही सीरी लगते हैं, दूसरा कोई नहीं लगता? (शोर व व्यवधान)

चौ. भजन लाल: गरीब आदमी ही सीरी लगता है। यह बात छिपी हुई नहीं है कि 80 प्रतिशत हरिजन लोग ही सीरी लगते हैं। यह बात हकीकत है। (शोर व व्यवधान)

श्री भले राम: आप गलत बात कह रहे हैं। (शोर व व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इस गरिमामय सदन में लीडर आफ दि हाउस का यह कहना कि भागी राम, ए.बी.सी. या कोई और सदस्य जो हरिजन है या सीरी है वह क्या जाने इस बात की ..... (शोर व व्यवधान)

श्री भले राम: यह हरिजन एम.एल.एज. की बे–इज्जती है, इसलिये हम वाक आउट करते हैं। (शोर व व्यवधान)

नेमिंग आफ मैम्बर

चौ. गंगा राम: मुख्यमंत्री को हरिजन एम.एल.एज. से माफी मांगनी चाहिए ..... (शोर व व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Ch. Ganga Ram Ji, please resume your seat (Interruptions & noise). Please sit down. Ch. Ganga Ram Ji, please sit down (Interruptions & noise).

Mr. Deputy Speaker: I name Ch. Ganga Ram. (Interruptions)

Ch. Ganga Ram: Deputy Speaker Sahib ..... (Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: I have named you. Please leave the House (Interruptions). I order that he should leave the House. (Interruptions)

(The hon'ble Member did not withdraw from the House inspite of repeated requests of the Chair).

Mr. Deputy Speaker: The Sergeant-at-Arms should remove Ch. Ganga Ram from the House.

(At this stage, Ch. Ganga Ram escorted by the Sergeant-at-Arms withdrew from the House).

चौ. गया लाल: उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ने उनको यह कहा कि आपको सीरी के बारे में ज्यादा जानकारी हो सकती है। यह बात मुख्यमंत्री जी की ठीक है क्योंकि ज्यादातर हरिजन ही सीरी होते हैं। हरिजनों को ही पता होता है कि सीरी क्या होता है। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने बाबू मूल चन्द जैन जी के

सवाल का जवाब देते हुए यह फरमाया कि भागी राम आप सीरी के बारे में तो जान सकते हैं, खेत के बारे में आपको क्या पता। डिप्टी स्पीकर साहब, आप रिकार्ड चैक कर लें मुख्यमंत्री का एक हरिजन मैम्बर को यह कहना कि आप सीरी के बारे में जान सकता है खेत के बारे में आपको क्या पता, यह हरिजन मैम्बरज पर बड़ा भारी रिफलैक्शन है। मुख्यमंत्री जी को अपने शब्द विदड्रा करेन चाहिएं और माफी मांगनी चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमें वाक–आउट करना पड़ेगा। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: चौ. बीरेन्द्र सिंह जी आप बैठिए। (शोर एवं विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुख्यमंत्री जी से कहें कि वे अपने शब्द वापिस लें। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: आर्य साहब, आप बैठ जाएं। अभी चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने प्रश्न उठाया कि मैं सदन की कार्यवाही देख लूं। मैं इनके नोटिस में यह बात ला दूं कि मैं उस वक्त यह बात अच्छी तरह से सुन रहा था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वह मैं रीपीट कर देता हूं। इन्होंने यह कहा था कि चौ. भागीराम जी सीरी के बारे में तो जान सकते हैं इनको यह क्या पता कि किन–किन खेतों में कितना पानी खड़ा है। उस बारे में तो किसानों को ज्यादा पता है कि किन–किन खेतों में कितना पानी भरा हुआ है। उस पानी को निकालने का काम सरकार कर

रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी जो कुछ बोलना चाहते थे उस समय चौ. भागी राम जी ने मुख्यमंत्री जी को इन्ट्रप्ट किया और कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि जिन खेतों में पानी खड़ा है उनमें से पानी निकालना शुरू कर दिया है। उस समय मैंने चौ. भागी राम जी से कहा कि आप बैठ जाएं। आप मुख्यमंत्री जी को यह बता दें कि फलां जगह पानी खड़ा है वहां से पानी निकाला जाए। (शोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, यदि मुख्यमंत्री जी अपने कहे हुए शब्द वापिस नहीं लेते और माफी नहीं मांगते तो हम इस बात पर वाक आउट करते हैं। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय लोक दल के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

श्रीमती सुशमा स्वराज: डिप्टी स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया लेकिन जब चौ. भागी राम ने मुख्यमंत्री से यह कहा कि क्या किसी खेत में से पानी निकाला भी है तो मुख्यमंत्री जी ने एकदम कहा कि भागी राम आपको क्या पता खेत की बात का, आप तो यदि सीरी की बात कहें तो जाचती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मुख्यमंत्री जी ने बड़े व्यंग्ग और हंकार के अन्दाज से कही थी। मुख्यमंत्री जी ने यह बात इस तरह से कही जिस तरह से अगर कोई गरीब आदमी हलवे की बात करें तो उसको कह दें कि तुमे हलवे का क्या पता,

सूखी रोटी की बात हो तो मुझे पता हो सकता है। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: सुशमा जी यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। मैं इस प्वायंट आफर आर्डर को ओवर रूल करता हूं। आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न)

स्वामी अग्निवेश: उपाध्यक्ष महोदय, मरेा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके सदन में होते हुए जो बात हुई है उससे न आप प्रसन्न हैं और न ही हम प्रसन्न है। अगर चौ. भजन लाल जी यह कह दें कि मैंने जो भी बात कही है वह कोई दुर्भावनापूर्ण मन्तव्य से नहीं कही तो यह बात यही शांत हो सकती है और यदि नहीं कहते तो इससे जाहिर होता है कि इन्होंने उसी मन्तव्य से कही है। इसलिये इनका इस तरह से व्यंग करना उचित नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है। (शोर)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): आन ए प्वायंअ आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय हाउस में सीरी और किसान की बात हो रही है। अपोजीशन की तरह से एक आवाज आई कि जगन नाथ तेरे को क्या पता सीरी क्या होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने हाथों से छानी काटी हुई है, चाहे मेरे हाथ देख लें। सीरी वह होता है जो

खेतों में हल जोतता है, खेतों में पानी लगाता है और फसलों की कटाई करता है। (शोर)

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order.

Sh. Jagan Nath: Deputy Speaker Sahib .....(Interruptions) * * * *

Mr. Deputy Speaker: I have said this is no point of order. Nothing will be recorded.

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात बीच में रह गई। खेतों में से पानी निकालने की बात का जवाब दे दूं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात पर हाउस में इस तरह की बातें की ताकि इन अपोजीशन के भाईयों की बात अखबारों में आ जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक दल के भाइयों की हरिजनों के साथ जो हमदर्दी है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये हरिजनों को वोट भी नही डालने देते। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 21 जनवरी, 1980 को दिल्ली मे ंजो कुछ किया उसके बारे में सारे हिन्दुस्तान को पता है और विदेशों में भी उसका पता है। (शोर)

चौ. भजन लाल: आपको भी सारा हिन्दुस्तान जानता है। (शोर एवं विघ्न)

डा. मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई मैम्बर, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी जाति या वर्ग विशेश पर

कंटेम्पच्यूअस जैस्चर से यानी व्यंगात्मक शब्दों में अपमान कर सकता है। जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने चौ. भागी राम जी के साथ किया कि वह सीरी की बात समझ सकते हैं बाकी की नहीं समझ सकते। इस बात से सारे हरिजन सदस्यों का अपमान है। (शोर) मुख्यमंत्री जी को अपने शब्द वापिस लेने चाहिएं और माफी मांगनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम वाक आउट करते हैं। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

नेमिंग आफ मैम्बर

कामरेड शंकर लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, ये खेतीहर मजदूर के साथ गरीब वर्ग के साथ और हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। (शोर) इनको ऐसी बात यहां पर हाउस में नहीं कहनी चाहिये थी। (शोर व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाएं नहीं तो आपको भी नेम करना पढ़ेगा। (शोर)

कामरेड शंकर लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, इनको यहां पर सोच–समझ कर बात करनी चाहिये। (शोर व व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Please resume your seat. (Interruptions) Com. Sahib, please sit down. (Interruptions) I name Com. Shankar Lal. I order that he should leavee the House.

(The hon'ble Member did not withdraw from the House inspite of repeated requests of the Chair).

Mr. Deputy Speaker: The Sergeant-at-Arms should remove Com. Shankar Lal from the House.

(At this stage, Com. Shankar Lal escorted by the Sergeant-at-Arms withdrew from the House).

वक्तव्य

श्री बलदेव तायल: आपको पूरी बात तो सुननी चाहिये। (शोर) आप हमारी बात नहीं सुन रहे। मुख्यमंत्री ने श्री भागी राम पर रिमार्क्स किये हैं। आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं भी वाक–आउट करता हूं। (शोर)

(इस समय श्री बलदेव तायल सदन से वाक–आउट कर गये)

श्रीमती सुशमा स्वराज: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर) आपको हमें भी सुनना चाहिए। (व्यवधान व शोर) यदि आप हमारी बात नहीं सुनते तो मैं भी वाक–आउट करती हूं।

(इस समय श्रीमती सुशमा स्वराज सदन के वाक आउट कर गयीं।)

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

चौ. संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्रश्न यह था कि गांवों के अन्दर जो गिरदावरी हो रही है वह ठीक नहीं हो रही है। (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्ष: जो आपके अपना काल अटैन्शन नोटिस दिया है, क्या उसके अन्दर यह डिमांड की है कि गिरदावरी ठीक नहीं हो रही? (व्यवधान व शोर)

चौ. संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि एक एकड़ में गेहूं की फसल खड़ी है और बाकी जमीन खाली पड़ी है तो क्या गिरदावरी सारी जमीन की की जायेगी? (शोर)

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी बात आप अच्छी तरह से सुन लें। जो उत्तर मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस पर भी तो हम सवाल पूछ सकते हैं। (शोर व व्यवधान) We have got every right to ask questions from the Government in connection with the matter arising out of the reply to the Call Attention notice.

Mr. Deputy Speaker: I just read out the motion given by Sh. Sant Kanwar. Sh. Bhalle Ram and Sh. Shiv Prasad. It reads –

"We want to draw the attention of this august House towards the matter of the an urgent public importance that a number of districts of Haryana have been hit by hailstorm as a result of which the crops of farmers have been damaged completely. Therefore, the economic help of at least Rs. 1000 per acre should be given to them immediately and the scheme of 'Food for work' should be omplemented so that the people coudl bear the loss caused from hailstorm."

चौ. संत कंवर: मुख्यमंत्री जी ने अभी एक हरिजन मैम्बर के बारे में कहा था कि वह खेती नहीं करता। गांव में रहते हैं .... (शोर एवं विघ्न)

चौ. पीर सिंह: क्या आपने ही सभी का ठेका लिया हुआ है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: पीर चन्द जी आप बैठ जाइए। (शोर)

चौ. संत कंवर: डिप्टी स्पीकर साहब, जिन गांवों में बहुत ज्यादा ओले पड़ गए हैं और सारी फसल बर्बाद हो गई उससे न केलव किसान ही प्रभावित हुआ है बल्कि गांव के अन्य लोग भी उससे प्रभावित हुए हैं क्योंकि फसल के आधार पर ही गांवों के काफी लोगों को काम मिला रहता है। फसल बर्बाद होने से उनको भी काफी हानि हुई है। गांवों के गरीब लोगों को आज न कहीं से पैसे मिल रहे हैं और न ही अनाज उधार मिल रहा है। उनको काम कके बदले अनाज की स्कीम के तहत पैसे मिलने चाहिएं। चौ. पीर चन्द जी को क्या पता? * * * * (शोर व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये। संत कंवर जी आप बीच में न बोलें क्योंकि सी.एम. साहब ने कुछ कहना है। इसलिए आप चुप रहें और बैठ जाएं। (शोर)

चौ. भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात चौ. संत कंवर जी ने कही है यह काफी वजनदार है। यह बात ठीक है कि जब गांवों की फसल बर्बाद होती है तो उससे काफी लोग प्रभावित होते हैं इसलिये उनकी कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज देने की स्कीम है। हम उनकी सहायता करेंगे। (शोर)

नेम किये गए सदस्यों को सदन में वापस बुलाना

चौ. भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब मेरी आपसे एक रिकवैस्ट है कि कामरेड शंकर लाल जी जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी इसलिये उनको हाउस से बाहर निकाल दिया गया था, आप उन्हें वापस बुला लें।

आवाजें: गंगा राम हो भी वापस बुला लें। (शोर व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप उनकी गारंटी ले लें कि वे हाउस को ठीक चलने देंगे तो वापस बुला सकते हैं। (शोर व व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह: आप दोनों को वापस बुला लें। (शोर व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जैन साहब, आप उनकी गारंटी ले लें कि वे शोर नहीं मचायेंगे तो उनको वापस बुला लेते हैं। (शोर व व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: यदि वह आपकी बात न माले तो आपके पास अपनी पावर तो है ही।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा दोनों को वापस बुला लिया जाये। (शोर व व्यवधान)

श्री कंवल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस में जो काल अटैन्शन मोशन दी जाती है, उसका जवाब सरकार देती है। उस जवाब के ऊपर भी तो हम सवाल पूछ सकते है। (शोर)

चौ. भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि यदि जैन साहब चौ. गंगा राम की गारन्टी ले लेते है कि वे हाउस को ठीक प्रकार से चलने देगे तो उसे भी बुला लिया जाये।

(At this stage Ch. Ganga Ram & Com. Shankar Lal entered the House).

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप क्या रिकवैस्ट करते हैं? इन्होंने तो हमारे अनुरोध पर उनको हाउस में बुलाने के पाहले ही आदेश दे दिए हैं। (शोर व व्यवधान)

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

कामरेड शंकर लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात आपने कही थी, वह मैंने अच्छी तरह से सुनी थी। (शोर) यह सरकार खेतीहर मजदूरों के साथ, छोटे–छोटे कारखानों मे ंजो लोग काम करते हैं उनके साथ और छोटे तबके के लोगों के साथ गरीब किसान के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही। (शोर) जो बात सी.एम. साहब ने श्री भागी राम के बारे में कही थी, वह ठीक नहीं थी। (शोर) ये सारी बातें गलत कह रहे हैं। (शोर व व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Order please.

श्री कंवल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, काल अटैन्शन का जवाब जो गवर्नमैंट की तरफ से आया है उसमें यह कहा गया है कि गिरदावरी करवायेंगे लेकिन यह नहीं बताया गया कि वह गिरदावरी किस तरह से करवाई जाएगी। इस बात का जवाब भी आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने विस्तारपूर्वक बताया है कि हेल स्टौर्म से जिन फसलों को नुक्सान पहुंचा है उसकी गिरदावरी किस प्रकार करवाई जाएगी।

श्री कंवल सिंहः माननीय सदस्य का कहना यह था कि सरकार की तरफ से जो यह बात आई है कि बीस–बीस एकड़ जमीन के खेवट की फसल की ऐवरेज बनवा कर कम्पैनसैशन दिया जाएगा, वह गलत है। इस बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। इस बारे में सरकार का जवाब आना चाहिए।

चौ. भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट की ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है कि खेवट के हिसाब से गिरदावरी होनी चाहिए। मान लो एक आदमी ने चार एकड़ में तो गेहूं बोया है और दो एकड़ में चना बो रखा है। उसमें से अगर एक एकड़ में नुक्सान हुआ है तो उस एक एकड़ की ही गिरदावरी होगी। किसान का वास्तव में जितना नुक्सान हुआ है वही नुक्सान हम देंगे। आज की सरकार की किसान के साथ पूरी–पूरी हमदर्दी है।

चौ. रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं यह बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है। कल जैसे बातचीत हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और स्वामी अग्निवेश ने भी ताईद की थी ओर हम सबने भी इत्तफाक किया था कि यहां शांतिपूर्वक बातचीत होनी चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर भी बहुत शान्ति से बातचीत होनी चाहिए थी। अगर

आप चौ. बीरेन्द्र सिंह, बाबू मूल चन्द जैन ओर डा. मंगल सैन जी से प्रार्थना करें तो शांति से इस सवाल के बारे में सरकार से पूछा जा सकता है और आप जानते हैं कि इस मौके पर जो कुछ भी हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे वे उसकी हां भर लेंगे। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, भागी राम जी के बारे में अगर कोई बात हुई है उसके लिए अगर इधर से प्रायश्चित हो जाए तो भी ठीक है और अगर न भी हो तो भी भागी राम जी ऐसे आदमी नहीं हैं जो इन बातों को महसूस करते हों। (विघ्न) तो मेरी प्रार्थना यह है कि जितने महत्त्व का यह प्रश्न है उतना ही महत्त्व देकर इस पर डिसक्शन होनी चाहिए। इस शोर शर बे से तो कुछ भी पल्ले भी नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि आप इस सम्बन्ध में अपोजिशन के साथ जरूर विचार विमर्श करेंगे।

श्री भले राम: डिप्टी स्पीकर साहब, ओले से वैसे तो सारे प्रदेश में काफी नुक्सान हुआ है लेकिन गोहाना तहसील में बहुत ही ज्यादा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने यह तो बता दिया कि गिरदावरी करवा कर लोगों को कम्पनसेशन दिया जाएगा लेकिन यह नहीं बताया कि फौरी तौर पर उनकी क्या मदद की जाएगी। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां न तो लोगों के पास अनाज है और न खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि गेहूं और सरसों की फसल के अलावा ईख की फसल का भी

नुक्सान हुआ है। इस बात का भी सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। (शोर)

चौ. भजन लाल: सारी बातें का जवाब दे चुके हैं। फसल चाहे ईख की है या कोई और फसल है सारी इसमें शामिल हैं। (विघ्न) मैं कहता हूं कि जो भी फसल खेत मैं खराब हुई है चाहे वह ईख की है, सरसों की है, चने की है या जौ की है, वे सबकी सब इसमें शामिल हैं।

मास्टर शिव प्रशाद: उपाध्यक्ष महोदय, ओला वृश्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसके बदले में सरकार ने कहीं 400 रूपये, कहीं 300 रूपये आर कहीं 200 रूपये देने के लिए कहा है। लेकिन मैं सरकार के नोटिस में एक और बात लाना चाहता हूं। जहां अत्याधिक वर्शा के कारण और बिजली लस्कने के कारण फसलों का नुक्सान हुआ है, जैसे अम्बाला जिले की छछरौली, नारायणगढ़ और कालका आदि तहसीलें है, क्या वहां भी सरकार लोगों की आर्थिक रूप में सहायता करेगी? इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अभी यहां कहा गया कि सरकार लोगों को कहेगी कि सीरीज को भी उनका हिस्सा दि जाना चाहिए। इसके बोरे में मेरा एक सुझाव है। इनको यह पता है कि कहीं सीरी को चौथा हिस्सा, कहीं पांचवां हिस्सा और कहीं तीसरा हिस्सा दिया जाता है। इनको यह भी पता है कि इन्होंने जमींदार को चार सौ रूपये देने हैं या पांच सौ रूपये देने हैं। अगर सरकार सीरी के हिस्से के पैसे सीरी को और जमींदार के हिस्से

के पैसे जमींदार को स्वयं ही दे दे तो मैं समझता हूं कि सीरी को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा और किसान को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगा तो इससे सीरीज और जमीदारों में झगड़ा होगा।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मास्टर शिव प्रसाद जी ने जो बात कही है इसका जवाब भी मैं पहले दे चुका हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी फसल का कौन सी जगह कितना नुक्सान हुआ है। जहां कहीं भी फसल का नुक्सान होगा वहां मालिका और आबियाना माफ किया जाएगा। सीरीज का मैंने पहले भी बताया कि कायदे–कानून में उतना हिस्सा बनता नहीं। आप जानते हैं कि किसान जब फसल बोता है तो एक एकड़ के ऊपर उसका लगभग तीन चार सौ रूपया खर्च हो जाता है। इससे ज्यादा ही खर्च होता होगा कम नहीं। सीरी के जिम्मे यह खर्च नहीं होता बल्कि मालिक को इसे देना पड़ता है। (विघ्न) लेकिन हमदर्दी के तौर पर, भाईचारे के तौर पर पर हम चाहेंगे कि सीरी को भी कुछ मिले। उसको उसका हिस्सा दिलाने की हमारी पूरी कोशिश होगी।

चौ. जगदीश कुमार बैनिवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अने हल्के दड़वा कलां में, हिसार जिले में बार्डर के साथ–साथ और रोहतक जिले में जिन लोगों के पास सवा छः एकड़ में बरानी फसल है या टयूबवैल्ज से चने बोये हुए हैं, उन लोगों की फसल

भी नश्ट हो गई है, उनके नुकसान को किस तरीके से पूरा करेंगे? (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है। (शोर)

चौ. जगदीश कुमार बैनिवाल: अभी जवाब नहीं आया। (शोर)

श्री रण सिंह मान: डिप्टी स्पीकर साहब मैं चीफ मिनिस्टर महोदय को बताया चाहता हूं कि जिन जमीनों पर टयूबवैल्ज से सिंचाई होती है वहां पर लोगों ने चने बोये हुए हैं, उनमें पचास परसैन्ट से ज्यादा नुक्सान है मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनको सरकार किस प्रकार से कप्पनसेट करेगी? दूसरे जिन किसानों का पचार परसैन्ट से ज्यादा नुक्सान हुआ है और उनमें सीरी भी शामिल है तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन सीरीयों को किस प्रकार से मुआवजा दें गे? (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए। जवाब आ चुका है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से यह जवाब आया है कि सीरी को उनके हिस्से के मुताबिक मिलेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जो मुजारे कैश रैन्ट पर हैं यानी जो नकदी लगान देते हैं, उनको किस दर से मुआवजा मिलेगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जहां पर फसल शीत लहर से डैमेज हुई है, वहां पर आबियाना माफ कर दिया जायेगा। मैं

सरकार से जानना चाहूंगा कि अभी मैंने अपने हल्के के चालीस–पचास गांवों का दौरा किया है। वहां पर तहसीलदार ने पटवारियों को यह हुक्म दिया है कि ज्यादा फसल का नुकसान शीत लहर से लिखना है और बीस परसेन्ट से भी कम ओलावृश्टि से लिखना है। सिवानी का इलाका जो मेरी कांस्टीच्यूएन्सी में लगता है, वहां पर लोगों ने कहा कि पटवारी तो बहुत सी गिरदावरी कर चुका है और एक गांव में तो मेरी मौजूदगी में पटवारी ने यह बात भी कर दी कि मैं तो गिरदावरी ठीक कर दूंगा लेकिन मेरी क्या कराओगे। मैं यह बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि क्या डिप्टी कमिश्नर को या तहसीलदार को हुक्म गया है कि जहां पर बीस परसैंट से ज्यादा ओलावृश्टि ने नुकसान हुआ है और शीत लहर से कम नुकसान हुआ है उसे चैक करवाया जायेगा। तीसरे गांव में गिरदावरी करते हुए गांव की औसत निकालने हुए कैसे पता लगेगा कि किस का कम नुकसान है और किसका ज्यादा नुकसान है।

चौ. भजन लाल: चौ. सुरेन्द्र सिंह जी मेरी बात समझे नहीं। जिस प्रकार वे कह रहे हैं ऐसे औसत नहीं निकालनी है। हर खेत में जैसा नुक्सान हुआ है उसकी औसत निकाल कर मुआवजा दिया जायेगा। जहां तक पटवारी की बात है अगर उसकी शिकायत आयी तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पटवारी के ऊपर तहसीलदार है, तहसीलदार के ऊपर एस.डी.एस. है और एस.डी.एम. के ऊपर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हैं। सभी अधिकारी चैक

करेंगे, कोई गल्त गिरदावरी नहीं होगी। क्या ये सारे ही आपस में मिल सकते है। क्या सारे ही बेईमान है? हमारे अधिकारी बहुत ही अच्छे हैं। फिर भी कहीं से कोई शिकायत आयी है तो माननीय मैम्बर साहेबान लिखकर भेजें, फौरी इन्क्वायरी करवायेंगे और इन्साफ देने का पूरा–पूरा प्रयत्न करेंगे।

जहां तक चकौते की बात है उसके बारे भी अर्ज कर दूं। जो जमींदार अपनी जमीन लीज पर देते हैं, अगर उनको पट्टा लिखा हुआ है तो उन्हें मुआवजा मिलेगा।

श्री हरफूल सिंह: मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: आपका क्या प्वायंट आफ आर्डर है? (शोर)

श्री हरफूल सिंह: मैं अपनी पार्टी का लीडर हूं। मुझे भी बोलने का समय मिलना चाहिए। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी पार्टी के लीडर तो हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई मोशन नहीं आयी है इसलिए आपको समय नहीं मिलेगा।

चौ. गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, ओलों से चने, सरसों, गन्ने और गेहूं की फसल नश्ट हो गई। इन हालात में किसान के पास पशुओं के लिए कोई चारा नहीं रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या जिस प्रकार से चौ. देवी

लाल की सरकार ने बाढ़ आने पर जमींदारों को सस्ते दामों पर चारा मोहैया किया था, इसी प्रकार से कम कीमत पर और सबसिडी देकर चारे का प्रबन्ध किया जायेगा?

दूसरा प्वायंट यह है कि गन्ने के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं बताया है। सभी फसलों की गिरदावरी हो रही है लेकिन गन्ने की गिरदावरी नहीं हो रही। सरकार ने रबी की फसल की गिरदावरी का हुक्म दे दिया है लेकिन ईख का नहीं गया। क्या ईख की फसल की गिरदावरी करने का हुक्म भी जारी करेंगे और जो उन्हें नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जायेगा?

तीसरा प्वायंट यह भी है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जितना खराबा है उसकी गिरदावरी को तहसीलदार, एस.डी.एम. और डिप्टी कमिश्नर चैक करेंगे। उसके मुताबिक ही किसान को मुआवजा दिया जायेगा। अगर कोई किसान पटवारी से यह पूछना चाहे कि मेरा कितना खराबा उसने दिखाया है क्या उसके बारे में सरकार की ओर से हुक्म जारी किया जायेगा कि पटवारी किसान को उसका खराबा बता दे। अगर वह नहीं बतलाता है तो क्या उसकी शिकायत तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर को करने के बारे मे भी हिदायत जारी करेंगे।

मैं साथ–साथ यह भी निवेदन करूंगा कि यह भी हिदायत भिजवायी जाये कि हय खराबा पटवारी चौपाल में किसान को दिखलाये।

चौ. भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब मैं सारी बातों के बारे में जवाब दे चुका हूं। जहां तक चारा देने का सवाल है उसके लिए तकावी देने का फैसला किया गया है। जहां पर सस्ती तूड़ी मिलेगी, वह भी देंगे। मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि चारे की इतनी भयंकर समस्या नहीं है। ओले सारी स्टेट में नहीं पड़े हैं। एक महीने तक गेहूं की फसल कटने वाली है और चने की भी 15 दिनों तक कटने वाली है।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चारे की कोई समस्या इतनी भयंकर नहीं है लेकिन फिर भी हम तकाबी देंगे। जो लोग तकाबी लेना चाहे, लेकर, उस तकाबी से अपने पशुओं का गुजारा कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने यह कही कि गिरदावरी खरीफ फसल की हो रही है। माननीय सदस्य को यह भी पता नहीं है कि अब खरीफ की फसल है या रबी की। (व्यवधान व शोर) ..... अब रबी की फसल है। हमने अकेले गेहूं या ईख के लिये ही नहीं, बल्कि जितनी भी अलग–अलग किस्म की फसलें हैं, उन सब की बाकायदा गिरदावरी करने के आदेश दे दिये हैं ताकि जिनका नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिल सके और उनकी मुआवजा मिलेगा। सारी बातों का जवाब पहले ही आ गया है, बार–बार वही सवाल पूछने से सदन का टाईम जाया करने से ज्यादा कोई

फायदा नहीं है। इसलिये मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि अगला आईटम लीजिये।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त आबियाने को माफी की या कोई दूसरी रिलीफ देने की बात की जाती है, जितनी जमीन काश्त होती है, उसका प्रतिशत लिया जाता है या जितना कल्अीवेबल लैंड हैं, उसका लिया जाता है? (व्यवधान) मैं ओलों की बात नहीं करता मैं तो आबियाने और लैंड टैक्स की माफी की बात पूछ रहा हूं।

चौ. भजन लाल: सारी बातों का जवाब आ चुका है।

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, यह गिरदावरी का मामला बहुत गंभीर है। इसके लिये जो कैटेगरी बनाने का तरीका है कि यह एक, दो या तीन कैटेगरी में आयेगा, यह बढ़ा ही गल्त है। मेरा कहना यह है कि इस बात को सर्वे करने के लिये कि किस किसान का नुक्सान कितना हुआ है कोई खेतीबाड़ी के जानकार आदमी होने चाहियें। उनकी एक कमेटी बना दी जाये और वह जो कैटेगरी बना दे 1, 2 या 3 उसको मान लिया जाये। अब क्या होता है कि पटवारी जो फैसला कर देता है कि फलां की जमीन 1, फलां की जमीन 2 या 3 कैटेगरी में आती है, उसको फाईनल समझा जाता है।

श्री अध्यक्ष: आपका क्या सुझाव है?

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा सुझाव यह है कि किसानों की कमेटी बना दी जानी चाहिए जो इस बात का फैसला सर्वे करने के बाद करे कि किस किसान का कितना नुक्सान हुआ है। वह किसानों की कमेटी जो बताये कि फलां जगह इतने परसैंट नुक्सान हुआ है, उसके ऊपर पटवारी के दस्तखत करवा लिये जायें।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमने सैशन शुरू होने से पहले आपके आफिस में, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो एटमासफियर दूशित हो गया है, वहां पर कमिश्नर को वाइस चांसलर लगा रखा है, वहां पर उसने बहुत धांधली मचा रखी है, उसके बारे में लिखकर दिया था ..... (व्यवधान) वहां पर टीचर्ज, स्टाफ और स्टुडैंटस सब बड़े परेशान है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I am examining it.

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, मुझे तो यह कहना है कि कल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि कल सूचियां दे दी जायेंगी, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करना चाहती हूं कि वह सूचियां यहां पर पेश की जायें। (शोर)

श्री अध्यक्ष: कल राव राम नारायण जी के काल अटैन्शन नोटिस * का जवाब देने के लिये इरीगेशन पाव मिनिस्टर ने आज का वायदा किया था। अब वह अपना स्टेटमैंट दैंगे।

(ii) सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा पौंग डैम से थीं डैम को मशीनरी की शिफ्टिंग तथा थीं डैम से हरियाणा की बिजली के हिस्से संबंधी

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh): The Punjab Reorganisation Act, which governs all matters concerning the excution and operation of Bhakra Nangal and Beas Projects stipulates that all projects assets collectively belong to the partner States and can be disposed of in any manner decided by the Bhakra Beas Mangement Board and the Beas Contruction Board.

2. The practice is that whenever any machinery is declared surplus to the needs of the Bhakra Beas Project it can be transferred to any partner State, but with concurrence of all partners, which is formally obtained in meetings of the Board. This machinery is transferred at book value since it is a part of the composite assets collectively belonging to the partner States.

3. It is possible that Punjab might have obtained certain equipemnt and machinery from the surplus pool of the BBMB of RCB. Indeed, Haryana too has obtained some equipment and machinery and proposes to acquire some more for other hydroelectric projects.

4. While the details of such transfers can only be supplied by the BBMB or BCB, no transfer has taken place to the best of our knowledge without abiding by the principles governing such transfers.

5. Haryana Government had explained its position with regard to share in Thein Dam projects including power. It may be reiterated that the basis of Haryana's claim is that as a successor State of earstwhile Punjab it is fully entitled to the water and power benefits. accruing from any utilisation of the surplus Ravi-Beas water. Haryana's right in principle has been accepted and a tentative allocation of 10 per cent from Thein Dam was indicated by the Governemnt of India, as far back as 1973. Haryana has been constitently urging the Government of India to finally determine Haryana's share in the water and power benefits from Bhakra Beas system as well as from all schemes based on teh utilisation of the surplus Ravi-Beas waters.

6. The question relating to Haryana's share in waters to the tune of 3.5 maf having been finally settled and definitely indicative in the tripartite agreement signed by Punjab, Haryana and Rajasthan, under the auspicies of the Government of India, it is Haryana's earnest hope that the remaining question relating to the determination of Haryana's share in power from Thein Dam and other projects will be determined.

7. Chief Minister, Haryana, has been in regular correspondence and was last informed by the Prime Minister that this question was under the Government's active consideration. The complicated question of waters having been settle through the good offices of the Prime Minister and Haryana's share having been fully protected there need be no apprehension in the mind of anyone that Haryana's share in

power, which, in fact, is based on its share in waters, would not be determined to the best advantage of the State.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं इन्होंने अपने जवाब में यह बताया है कि 1973 में 10 प्रतिशत थीं डैम में हमारा बिजली का हिस्सा सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया था। अब उस बारे में लेटैस्ट पोजीशन क्या है?

सरदार तारा सिंह: लेटैस्ट पोजीशन ऐसी है कि इन–प्रिसीपल यह मान लिया गया है कि पानी में पंजाब और हरियाणा का 50:50 प्रतिशत हिस्सा है। हम इस बात के लिये परसू कर रहे हैं किस जितने भी प्रोजैक्टस हैं, जैसे थीं डैम है, आनन्दपुर हाईडल है, मुकेरियां प्रोजैक्ट है, बी.सी.बी. है, इन सब में हमारा हिस्सा 50 प्रतिशत बिजली का हो। इस बारे में मैंने अपने जवाब में यह बताया है कि यह मामला प्राईम मिनिस्टर साहिबा के अन्डर एक्टिव कंसीड्रेशन है।

12.00 बजे

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, इस स्टेटमैंट से यह कलीयर नहीं होता कि थीं डैम में कितनी बिजली जनरेट होगी उसमें से कितनी हमारी होगी और कितना ऐक्सपैंडिचर हमें इन्कर करना पड़ेगा? मैंने अपने काल अटैन्शन मोशन में स्पेसिफिक्ली यह सवाल पूछा था।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने डा. साहब के सवाल के जवाब में स्पेसिफिकली बता दिया है कि जो तीन–चार प्रोजैक्टस हैं हम उनके मुताल्लिक पचास परसैन्ट की रिक्वैस्ट कर रहे हैं। हमने कहा है कि जितना पानी में हमारा शेयर है बिजली में भी उतना ही हमें शेयर मिलना चाहिए। बिजली के बारे में हम यह बात परसू कर रहे हैं।

इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष: अब इन्क्वायरी कमेटी के चेयरमैन, श्री बलदेव तायल, चौ. हुक्म सिंह तथा स्वामी आदित्यवेश, एम.एल.एज. द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध लगाए गए आरोपों तथा प्रत्यारोपों के बारे में जांच समिति को रिपोर्ट पेश करेंगे।

Sh. Baldev Tayal (Chairman One-man Enquiry Committee): Sir, I beg to present the Report of the Enquiry Committee on allegations and counter-allegations levelled by Ch. Hukam sing and Swami Aditya Vesh, M.L.As. against each other. (Interruptions)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती शांति देवी): स्पीकर साहब, 31 जनवरी को चार पेपर्ज मे यह रिपोर्ट शाया हो चुकी है इसलिए इसको प्रैजैन्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। हम इस बारे में कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)। इस

रिपोर्ट को पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके बारे में रूल 274 (1) यह कहना है –

"After the report has been presented, the Chairman or any member of the Committee or any other member may move that the report be taken into consideration, whereupon the Speaker may put the question to the Assembly."

मैंने नोटिस दे दिया है कि इसको एट वन्स कंसीड्रेशन में लिया जाए। (Interruptions)

Mr. Speaker: If you want a discussion on it, give me a notice and I will consider it.

चौ. राम लाल वधवा: मैंने उसी वक्त लिख दिया था और मैंने लिखा है कि ..... be taken into consideration at once.' मैंने रूल 274 के नीचे एट वंस कसिड्रेशन के लिये कहा है। आप रूल 276 देखिए। रूल 276 कहता है .....

Mr. Speaker: It has not reached me.

Ch. Ram Lal Wadhwa: Rule 276 says :-

"A motion that the Report of the Committee of Privileges be taken into consideration shall be accorded the

priority assigned to a matter of privilage under sub-rule (1) of Rule 264 ....."

श्री अध्यक्ष: जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में फैसला हुआ था, मैं उसके अनुसार चलूंगा। आप जो चाहते हैं वह राइटिग में दे दीजिए। It will be examinied and I will give my decision.

चौ. राम लाल वधवा: रूल 276 के नीचे उस बिजनैस को प्रायरिटी दी जा सकती है। यह तो आपके हाथ में है, (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I will examine your request and then give my decision.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपको तो उसी वक्त इजाजत दे देनी चाहिए थी। स्वामी जी ने कहा था कि मुझे फांसी पर लटका देना। जो रिपोर्ट आई है वह सरासर इनके खिलाफ है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, रूल 276 के अन्दर जो वर्ड है, वह ''शैल'' यूज किया गया है।

Mr. Speaker: I have read the Rule. It says –

"..... the Report of the Committee of Privileges be taken into consideration .....".

Ch. Ram Lal Wadhwa: It was Committe of the Privileges, Sir.

Dr. Mangal Sein: It was entirely a Committee of the Privileges, Sir.

Mr. Speaker: It was one-man Enquiry Committee.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, अगर फैक्ट ऐस्टेबलिश हो गया तो किस रूल के मुताबिक आगे परसू करेंगे?

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर सहाब, मैं कौल एण्ड शकधर की किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर औफ पार्लियामैंट के पेज 251 से पढ़कर सुनातया है। इसमें लिखा है—

"(Even though) there is a Committee of Privileges constituted under the rules, yet it is within the powers of the House to constitute other special committees if there are any special circumstances and inquiries to be made. There is nothing inconsistent in that....."

प्रिविलेज के क्वैश्चन के नीचे ही आपने यह सब—कमेटी बनाई थी।

Mr. Speaker: But if you go further, it says:

"the paper or document laid is open to discussion in the House. A member should give notice of the motion seeking discussion thereupon."

Ch. Ram Lal Wadhwa: Therefore, I have given notice. Let it be given consideration at once.

Mr. Speaker: I have to take a decision on that and shall convey the same tomorrow.

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर डिस्कशन रिज्यूम होगी।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहब, गर्वनर एड्रैस पर जो सरकारी बैंचिज की ओर से शुक्रिया का मोशन आया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस संबंध में मैंने कल कुछ बातें कहीं थी कि पिछले वर्श में सरकार की क्या कारगुजारी हुई है। कुछ समय हुआ नेशनल डिवैलपमैंट कौंसिल ककी मीटिंग हुई थी। इसी पार्टी की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर्ज को कुछ बातें कहीं तो जो नेशनल प्रैस में आई हैं। उन्हीं बातों को मैं सरकारी कारगुजारी की कसौटी निर्धारित करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कसौटियां निर्धारित की गई हैं, क्या यह हरियाणा सरकार इन कसौटियों पर पूरी उतरी है। प्रस्ताव में मूवर ने और सैकिन्डर ने कहा कि हमारी सरकार का वर्श 1980–81 का प्लान प्रौजैक्ट 246 करोड़ का था जो 1981–82 में 290 करोड़ रूपए का हो गया और अब हम उसे 319 करोड़ रूपए को करने जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, रूलिंग पार्टी के सदस्यों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में इंफिलेशन बहुत अधिक है। 80–81 में 20 फीसदी थी। अगर 246 करोड़ रूपए में बीस परसैन्ट

इंफिलेशन एड करें तो 290 करोड़ रूपए से भी ज्यादा बन जाता है और 290 करोड़ में बीस परसैंट की बजाए दस परसैंट इंफिलेशन एड किया जाए जोकि 81–82 में था तो 319 करोड़ से ज्यादा बन जाता है। रूपए की जितनी कीमत कम होती है, उतना भी आपका प्लान बजट नहीं बढ़ रहा है। आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो उसी बात पर आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या बातें रखी थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शार्ट फाल कितना हुअउ? जो टारगिट आपने बजट में रखे थे, वह टारगिट पूरे हुए या नहीं? एक उदाहरण मैं यहां पर आपके सामने दे रहा हूं। औडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गयी है और वह रिपोर्ट 1979–80 की है, जब ये पावर मे थे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, औडीटर जनरल की 1979–80 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन्होंने 22, 23 करोड़ रूपया एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसिज पर कम खर्च किया है तो फिर ये इस बात का दावा किस मुंह से करते हैं कि इस सरकार ने किसानों की भलाई के लिये बहुत कुछ किया है और काफी अभी करने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप से गल्ती हो गई है तो आप को मान लेनी चाहिए। उससे आगे चल कर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा हे कि सभी स्टेट के अन्दर पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं। उन पर जो पूंजी लगी है, उनकी रिटर्न क्या है लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गर्वनर साहब के एड्रैस में हरियाणा की पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। इसके साथ साथ मैं यहां यह बताना चाहता हं कि हरियाणा

की स्टेट कारपोरेशनज में बिजली बोर्ड के अलावा 85 करोड़ रूपये की राशि लगी हुई है। शायद हरियाणा ब्रिऊरीज के अलावा कोई ऐसा अदायरा बता दें जिसमें कि लाभ हुआ हो?

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा टेनरी पर लगभग 51 लाख रूपए की राशि लगी है और उस पर लगभग डबल का नुकसान हुआ है और वह फिर भी अब तक बराबर चल रही है और इसका भी गर्वनर साहब के अभिभाशण में कोई जिक्र नहीं आया है। बिजली बोर्ड में भी नुकसान चल रहा है लेकिन इस बारे में भी गर्वनर एड्रैस में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आगे चल कर प्रधानमंत्री ने यह भी कि तमाम रिसोर्सिज को मोबेलाइज करो और ओवर ड्राफ्ट कम करने के लिए कोई साधन जुटाओ। तो साहब इन्होंने क्या साधन जुटाये? पिछले साल एफ.एम. साहब ने एक वायदा किया था। अभी वे बैठे नहीं हैं, उठकर चले गये हैं, हमारे जमाने में एक आर्डिनेन्स इशू किया गया था कि हरियाणा के अन्दर जो बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं, जिन्होंने अपने आफिसिज हरियाणा के बाहर रखे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। सरकार ने तो इन लोगों को सस्ते दामों पर जमीनें देकर फैक्टिरियां खुलवाई और फिर लोगों ने क्या होशियारी की कि अपने दफ्तर हरियाणा की बजाये दिल्ली में खोल लिये। पानी, बिजली और दूसरी चीजों का तो वे लोग हरियाणा में फायदा उठाते हैं और जो टैक्स है, वह दिल्ली में भरते हैं क्योंकि उनके दफ्तर दिल्ली में हैं। ऐसे लोगौं पर कंट्रोल

करने के लिए 1979 अप्रैल मे एक आर्डीनेन्स जारी किया गया था ताकि हरियाणा को राजस्व में घाटा न पड़े पर भजनलाल जी ने आते ही इस आर्डीनेन्स को वापिस ले लिया और जब प्रैशर पड़ा कि इस तरह करने से हरियाणा को लगभग 2 करोड़ का प्रति वर्श नुकसान हो रहा है तो एफ.एम. साहब ने पिछले सैशन में यह वायदा किया कि इस आर्डीनेन्स के मुताबिक, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नया कानून बनाया जाए और इसके लिए भारत सरकार से संविधान में तरमीम करवाई जायेगी लेकिन मैं आज आपके द्वारा डिप्टी स्पीकर साहब इनसे पूछना चाहता हूं कि इस मामले में उन्होंने अब तक क्या किया है?

इसके बाद मैं बिजली की सप्लाई के बारे में भी बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से एग्रीकल्चर सैक्टर में सरकार ने इस मोतियों वाली सरकार ने, जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं, उनके रेटस बिजली की सप्लाई के कम कर दिये। एक टायर बनाने वाली कम्पनी जोकि एक साल में एक करोड़ से जयादा बिजली के यूनिटस का इस्तेमाल करती है, रेट कम करने की वजह से सरकार को हर साल 3 करोड़ रूपए का घाटा हो रहा है। ऐसी किसी बात की तरह इशारा राज्यपाल महोदय के एड्रैस में नहीं था। मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा, मैं तो केवल प्रधानमंत्री की कसौटियों के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपको अपने नाजायज खर्चों को कम करना है। पिछले बजट अभिभाशण में यह लिखा हुआ था कि 49 करोड़ रूपये का घाटा दिखता है,

इसे हम सेविंग करके और सरकारी कर्मचारियों की भर्ती को बन्द करके पूरा करेंगे लेकिन अब सप्लीमैंटरी ग्रान्टस यहां पर पेश हो चुकी है, इस समय इन बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा जब सप्लीमैंटरी ग्रांटस पर बहस शुरू होगी तो मैं बताऊगा की इस सरकार ने किस किस जगह पर फिजूल खर्ची की है। 117 करोड़ रूपए की सप्लीमैंटरी ग्रान्टस यहां हाऊस के पास करवाना चाहते हैं और आप हैरान होंगे कि उसमें नान प्लाड एक्सपेन्डीचर का पैसा ज्यादा है। आज यह सरकार 50 लाख रूपये की लागत से सूरज कुण्ड मे ंमोटल बनाने जा रही है, क्या जरूरत थी, वहां पर इतना पैसा लगाने की। आप एक ओर हरियाणा में अय्याशी के सामान पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं और सारा हाउस जानता है कि हरियाणा के देहाती कालेजों के अन्दर विज्ञान का सब्जैक्ट नहीं है। क्या आज साईस का युग नहीं है? हरियाणा के 40 प्राईवेट कालेजों में यह साईस का सब्जैक्ट नहीं है, 17 सरकारी कालेजों में यह साईस का सब्जैक्ट नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब से इस बारे में पूछा गया तो कहने लगे कि ज्यों–2 फण्डल उपलब्ध होंगे त्यों–2 हम इस विज्ञान के सब्जैक्ट को चालू करते जाएंगे। एक और सवाल के जवाब में एजुकेशन मिनिस्टर महोदय ने बतलाया कि साईस स्टाफ तथा इक्विपमैंट देने के लिए साढ़े सात लाख रू. खर्च होते हैं। डिप्टी स्पीकर महोदय, 17 कालेजिज मैं केवल 127 लाख रूपया खर्च होगा जब कि यह सरकार सूरज कुंड में 50 लाख रूपये की

लागत से एक मोटल बनाने जा रही है जोकि केवल अय्याशी के अड्डे के सिवाये और कुछ नहीं है (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि बाबू मूल चन्द जैन बड़े पुराने पार्लियामेन्टेरियन हैं, उनको कम से कम से कम यहां हाउस में सभ्यता से बात करनी चाहिए। यह जो लफज 'अय्यासी के अड्डे' इन्होंने यहां पर कहे हैं, इनको हाउस की कार्यवाही में से निकाल देना चाहिये। इनको ऐसे भद्दे लफ्ज यहां हाउस में इस्तेमाल नहीं करने चाहिएं। हम भी भद्दी–भद्दी बातें कह सकते हैं। लेकिन हाउस में हम सबको अपनी मर्यादा में रह कर ही बात करनी चाहिए।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो सभ्यता की बात चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां कही, उस बारे में यह कहना चाहता हूं कि मुझे सभ्यता भजनलाल चीफ मिनिस्टर से नहीं सीखनी है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: आपकी हैसियत क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: आपकी क्या हैसियत है, मैं भी जानता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है कि * * * *

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, शोर मचा कर उस हकीकत को ये छिपा नहीं सकते। अय्याशी करने की बात को तो जाने दो और अगर आपको चुभती है तो मैं अपनी तरफ से उसको विद्रड्रा करता हू। (विघ्न) रूलिंग पार्टी के सब मैम्बर सुन लें कि हमारी टूरिजम कार्पोरेशन ने कुछ बिल्डिंगज बना रखी हैं, कुछ रेस्टोरैंटस बना रखे हैं और अब एक नया मोटल बनाने के लिये 50 लाख रू. और मांग रहे हैं। (शोर)

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री (चौ. गजराज बहादुर नागर): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि टूरिजम कार्पोरेशन और टूरिजम डिपार्टमैंट एशिया में नम्बर एक पर आया है और ये उसके बारे में नुक्ताचीनी कर रहे हैं। सारे एशिया ने यह कंसीड किया है कि हरियाणा का टूरिजम सारे एशिया में टौप पर है। जो यह मोटल की बात कर रहे हैं, उसके बारे में शायद ये भूल रहे हैं कि इस साल एशियन गेम्ज हो रही हैं, इसलिये बनाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः जहां तक टूरिजम पर पैसे खर्च करने का सवाल है, आप उसे बड़ी फरखदिली से डिस्कस कर सकते हैं लेकिन मैंने भी देखा है कि चीन जैसा देश भी हमारे टूरिजम की तारीफ करता है। मैं एक डैलीगेशन के साथ चीन गया था और जब मुझे वहां के प्रधानमंत्री के साथ इन्ट्रोडयूस करवाया गया तो

उनके प्रधानमंत्री ने तीन बार कहा कि हरियाणा is very progressive State.

श्री जय नारायण वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। एक इशू को लेकर एक मंत्री महोदय ने यहां कहा कि टूरिजम के मामले में सारे एशिया में हमारी चर्चा है। चर्चा इसलिए तो नहीं कि सारे हिन्दुस्तान की राजनीति में भजन लाल और 39 एम.एल.एज. की चर्चा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मूल चन्द जैन: रूलिंग पार्टी वाले स्वीकार करें या न करें। मुझे भगवान ने जितनी शक्ति दी है, मैं उतनी शक्ति से कहता हूं कि एक तरफ तो हमारे देहाती कालेजों में विज्ञान के विशय का प्रबन्ध करने का सवाल है और दूसरी तरफ 50 लाख रू. की लागत से नये मोटल बनाने का सवाल है। अगर यह काम मैंने करने हो तो मैं पहले कालेजों में विज्ञान के विशय की पढ़ाई का प्रबन्ध करूंगा और बाद में मोटल बनाने की बात सोचूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अगली बात मैं यह कहना चाहता हं कि इन्होंने एक और होशियारी की है। हरियाणा भवन, दिल्ली, चण्डीगढ़ में गैस्ट हाउस और एम.एल.ए. कन्टीन तथा एक दो दूसरी संस्थाएं जिनको हासपिटैलिटी आर्गेनाईजेशन चला रही है, इन्होंने हर एक संस्था के लिये 4–5 लाख रू. अब और मांग लिये है। देखने की बात यह है कि ये खर्च किस तरीके से कर रहे हैं।

एक तरफ तो साढ़े सात लाख रू. तक कालेज में विज्ञान का विशय पढ़ाने के लिये नहीं हैं ओर दूसरी तरफ इनको असैंशियल सेवा डिकलेयर करके यह लौस नहीं दिखाना चाहते हैं। यह पैसा इसलिये ले रहे हैं कि उनको रा–मैटिरियल चाहिए। मैं इनसे पूछता हूं कि आप हरियाणा भवन में डाइट का खर्च क्यों नहीं बढ़ा देते? एक तरफ तो यह बात है कि हम रिसोर्सिज को किस तरह से मोबालाइज करें .....(घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने तो अभी शुरू ही किया है और आपने घंटी बजा दी।

श्री उपाध्यक्ष: बाबू जी कल आप 20 मिनट बोले थे और 12–13 मिनट अब आपको बोलते हुए हो गये हैं। आप 5 मिनट और बोल लें।

श्री मूल चन्द जैन: दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने ओवर ड्राफ्ट के बारे में कहा कि स्टेटस की 1215 करोड़ रूपए की ओवर ड्राफ्ट हो गयी है। मैंने भी हरियाणा के फाइनैंस मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी कि हरियाणा में 60–70 करोड़ रू. से से भी ज्यादा ओवर ड्राफटिंग हो गई है, इसका क्या कारण है? उनका जवाब आया कि हमारी ओवर ड्राफटिंग साठ करोड रू. से ज्यादा नहीं पहुंची है। अब सप्लीमैंटरी ग्रांटस आने से पता चला कि हमारी ओवर ड्राफटिंग 68 करोड़ रू. से भी ऊपर पहुंच गई है। (विघ्न) फाइनैंस मिनिस्टर ने जो 1981–82 का बजट पेश किया था उसमें 42 लाख रू. रिजर्व बैंक को सूद देने के लिये मांगे थे और मैं हाउस के मैम्बरों को बताना चाहता हूं कि अब

सरकार की पोजीशन क्या है? अब ये सप्लीमैंटरी ग्रांटस के जरिये तीन करोड़ रू. के करीब रिजर्व बैंक को सूद देने के लिए हमसे मांग रहे हैं। अगर सारी स्टेटस की ओवर ड्राफ्ट 1215 करोड़ रू. हो तो आबादी के हिसाब से हमारे हरियाणा की ओवर ड्राफटिंग 20–25 करोड़ रू. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा को ओवर ड्राफ्ट 67–68 करोड़ रू. तक पहुंच चुका है। जो कसौटियां प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्टेट की कारगुजारी के लिये रखीं थीं। उन कसौटियों के ऊपर मैंने ये आंकड़े दिये हैं। अब मै। इस विशय को छोड़ते हुए वीकर सैक्शंज के विशय पर आता हूं। वीकर सैक्शंज के लिए इन्होंने बड़ी दुहाई दी है ओर राज्यपाल से इन्होंने यह कहलवाया है कि हम चौपालों के लिए 35 लाख रू. खर्च कर रहे हैं। इन्होंने 1981–82 के बजट में इस काम के लिये केवल 5 लाख रू. रखा था। एक सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस तो पहले पेश हो चुके हैं। इनमें हरिजन चौपालों के लिए एक भी पैसा नहीं है। तो यह समझ नहीं आती कि 5 लाख रू. की बजाए अब 35 लाख रू. कैसे खर्च करेंगे? जब मैं फाइनैंस मिनिस्टर था तो मैंने 95 लाख रू. हरिजन चौपालों के लिए रखा था। (विघ्न) मलिक साहब ने मेरे से भी ज्यादा रखा था। मेरे बाद भजन लाल जी की सरकार पावर में आ गई। पावर में आकर इन्होंने वह 95 लाख रू. खर्च नहीं किया और उसमें से 25 लाख रू. बचा लिया। जो बजट लाला बलवन्त राय तायल ने पेश किया था उसमें इस काम के लिए 25 लाख रू. रखा गया था और खुरशीद साहब ने केवल 5 लाख रू. रखा। फिर ये दुहाई किस मुहं से दे रहे हैं कि

हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। वर्क चार्ज सरकारी कर्मचारियों के लिये भी इन्होंने बड़ी बातें कहीं हैं। देहातों में जब हम लोग जाते हैं तो वे कर्मचारी कहते हैं कि यह सरकार घोशणा मन्त्रियों की सरकार है। डिप्टी स्पीकर साहब, वर्क चार्ज कर्मचारी सारे हरियाणा में सबसे गरीब तबके से आए हुए कर्मचारी हैं। उनके लिये यह सरकार क्या कर रही है? इस सरकार ने एक बार यह एलान किया कि दिसम्बर, 1978 को जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों की सर्विस 5 वर्श की हो जाएगी उनकी सर्विस रैगुलर कर देंगे। मैंने एक क्वैश्चन के जरिए इनसे पूछा था कि जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों की सर्विस साल 79, 80, 81 में पांच साल की हो गई है क्या उनको रैगुलर कर दिया गया है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जैन साहब हमने चीफ इंजीनियरों की एक कमेटी बना दी है अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। हमने खुद एलान किया था कि दिसम्बर, 1978 को जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों की सर्विस पांच साल की हो जाएगी उनको रैगुलर कर देंगे। डिप्टी स्पीर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1978 में जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों की सर्विस पांच साल पूरी हो गई थी वे तो रैगुलर हो गए लेकिन 31.12.1979 को या 31.1.2.1980 को जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों की पांच साल की सर्विस पूरी हो चुकी है या 31.12. 1981 को जिनकी सर्विस पांच साल पूरी हो चुकी है वे आटोमैटिकली रैगुलर हो जाने चाहिएं थे। लेकिन यह सरकार कहती है कि हमने चीफ इंजीनियरर्ज की एक कमेटी बना दी है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये काफी जगह

जलसौं में एक–एक, दो–दो करोड़ रूपए की घोशणा करके आते हैं और उनमें से कुछ घोशणाएं इम्पलीमैंट होती हैं और कुछ नहीं होती। जो घोशणा इम्पलीमैंट होती है वह भी बड़े–बड़े कारखानेदारों के लिए होती है। लेकिन वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए इनकी घोशणा आज तक क्यों नहीं इम्पलीमैंट हुई। चीफ मिनिस्टर साहब एक कदम और आगे बढ़े। इन्होंने रोहतक में एलान यिका कि जिनकी सर्विस पांच वर्श की बजाय चार वर्श की भी पूरी हो गई है उनको भी रैगुलर कर देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि आपने चार वर्श की सर्विस के बाद तो कया रैगुलर करना था जिनकी पांच साल की सर्विस पूरी हो गई है वे भी अभी तक रैलूकर नहीं हुई हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों के ग्रेड बढ़ गए लेकिन वर्क चार्ज कर्मचारियों पर वह रिपोर्ट लागू ही नहीं होगी। जो डेली वेजिज कर्मचारी है और वर्क चार्ज कर्मचारी हैं, वह हरियाणा की आबादी का गरीब से गरीब आदमी है और उनको डेली वेजिज या वर्क चार्ज की नौकरी भी मुश्किल से मिलती है। उन पर पे कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती लेकिन जो बड़े–बड़े आफिसर हैं और हरियाणा सरकार के जितने भी कर्मचारी को वही 1970–71 के हिसाब से तनखाह मिलती है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक ड्राईवर या टयूबवैल आप्रेटर यदि रैगुलर है तो उसको वर्क चार्ज ड्राईवर या टयूबवैल आप्रेटर से डेड़ या दो गुणा ज्यादा तनखाह मिलती है जबकि उनकी डिरूटी एक जैसी होती है। इन वर्क चार्ज

कर्मचारियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जिसके कारण यह सरकार उनकी तनखाहें नहीं बढ़ा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं। डिप्टी स्पीक साहब सी.एम. स्टेट का फर्स्ट सीटिजन होता है फर्स्ट सीटिजन का कर्तव्य ळै कि वह सारे हरियाणा की जनता को एक आंख से देखे। मैंने फाइनैंस मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी और मेरे पास इनका जवाब आया हुआ है। मैंने इनको यह लिखा था कि मेरे नोटिस में यह बात आई है कि घरौन्डा के अन्दर बिल्डिंग एंड रोजन पर 80 लाख रूपए खर्च हो रहे हैं और आदमपुर के अन्दर 43 लाख रूपए खर्च हो रहे हैं। इन कामों के लिये सारे प्रान्त का केवल 15 करोड़ रूपए का बजट है यदि इसको सारे हल्कों में बांटा जाए तो एक हल्के से हिस्से में 16–17 लाख रूपए आते हैं। मैंने उस चिट्ठी में फाइसैंस मिनिस्टर साहब को लिखा कि आप घरौन्डा में 80 लाख रूपए और आदमपुर में 43 लाख रूपए खर्च करके बाकी हल्कौं के साथ कनी बांट क्यों कर रहे हैं? ऐसा काम तो चौ. बंसी लाल जी ने भी नहीं किया। चौ. बंसी लाल जी के समय में जो बिजली हरियाणा को मिली तो उन्होंने किसी भी हल्के के साथ ऐसा नहीं किया कि यह हल्का कांग्रेस का है और यह हल्का बे–कांग्रेसी का है और न ही ऐसा किया कि यह गांव कांग्रेसी का है और यह गांव–बे कांग्रेसी का है। उनके समय में हरियाणा के अन्दर जब सड़कें बनी उस समय भी उन्होंने यह नहीं देखा कि यह गांव कांग्रेसी एम.एल.ए. का है और यह गांव बे–कांग्रेसी एम.एल.ए. का है उन्होंने सभी गांवों के

अन्दर एक जैसा काम किया। लेकिन यह सरकार उस पर नहीं चल रही है। मैं इनसे कहता हूं कि आप कांग्रेस की जो परम्परा है उसको ठुकरा रहे हो, उसको मलियामेट कर रहे हो। यह सरकार स्कूल अप–ग्रेड करने में, हस्पताल खोलने मे, मवेशियों का हस्पताल खोलने में औश्र सड़कें बनाने में, यानि हर मामले में अपोजीशन के सदस्यों के साथ दुर्भात का व्यवहार कर रही है। यह सरकार रूलिंग पार्टी के कुछ सदस्यों के साथ भी दुर्भात कर रही है। सिर्फ इनके नजदीकी सदस्यों के हल्कों में काम हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब मेरे साथी जगदीश जी के सवाल के जवाब से सिद्ध है कि वह सड़क जो चौ. देवी लाल जी के जमाने में बन रही थी उस सड़क का बाकी पोरशन बनाने के लिये यह सरकार अपने अढ़ाई साल के अर्से में लैंड एक्विजीशन की प्रोसीडिंग्ज भी पूरी नहीं कर सकी। फिर यह सरकार कहती है कि आप कब्जा दिलवा दें हम काल से ही काम भुरू कर देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मांग करता हूं कि आप एक जुडीशियल कमीशन बैठा दें। मैं यह साबित कर दूंगा कि इस सरकार ने, जो साल 1980–81 में 246 करोड़ रूपए का प्लान बजट था उसमें और पिछले साल का जो 290 करोड़ रूपए का प्लान बजट था उसके खर्च करने में गलत तरीके से अन्याय के तरीके से पक्षपात किया है। यदि मैं यह साबित नहीं कर सका तो आप मुझे जो मर्जी सजा दें। मैं वह मानने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जैन साहब, आप दो मिनट में खत्म करें।

श्री मूल चन्द जैन: ठीक है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार ने को आप्रेटिव कर्जे की वसूली में जो धांधली मचाई है उसका जिक्र गवर्नर एड्रैस में नहीं किया गया है। इस वसूली में सरकार ने 700 आदमी गिरफ्तार किये माने हैं। यह बात इस सरकार ने खुद मानी है लेकिन मैं यह कहता हूं कि कम से कम 10 हजार आदमी आपने गिरफ्तार किए हैं। यह तो सिर्फ 500 हजार या 200 हजार रूपए कर्जे की वसूली की बात है लेकिन जिन बड़े बड़े कारखानेदारों की तरफ 50–50 लाख रूपया बिक्री टैक्स का बाकी है उनमें कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। जिनकी तरफ बिजली के बिलों के भुगतान के लाखों रूपए बाकी हैं उनके बिजली के कनैक्शन भी नहीं काटे गए हैं। दूसरी तरफ किसान खेती करने वाला छोटा आदमी है यदि उसकी तरफ दो–चार हजार रूपए कर्जे के बाकी हैं उसकी यह सरकार गिरफ्तारी करके वसूली कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर एड्रैस का विरोध करता हूं और इसकी जितनी निन्दा की जाए, थोड़ी है।

डा. मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, सोमवार 15 मार्च, 1982 को 2.00 बजे राज्यपाल महोदय ने औपचारिकता निभाने के लिये इस सदन में अपना अभिभाशण दिया उसके बारे में हमने राज्यपाल महोदय को पहले ही बता दिया था कि हमारा दल इसका बाईकाट करेगा। राज्यपाल महोदय से हमारा व्यक्तिगत कोई द्वेश नहीं है, न ही उनके लिये हमारे मन में कोई अनादर है

और न ही हमारा उनमें कोई मतभेद है। राज्यपाल महोदय संविधान में स्थिति रखते हैं। लोकतान्त्रिक प्रणाली में उनकी पूरी आस्था है लेकिन उन्होंने इस सरकार की, जोकि कानूनी तौर पर नाजायज सरकार है, इखलाकी तौर पर गैर इखलाकी सरकार है, अनैतिक सरकार है क्योंकि जनता ने इस सरकार को नहीं चुना था की औपचारिकता निभाते के लिए ही तारीफ की है। यह सरकार कांग्रेस के टिकट पर नहीं चुनकर आई थी बल्कि जनता पार्अी के टिकट पर चुनकर आई थी। डिप्टी स्पीकर साहब, हम जहां पर भी हैं अपनी जुबान पर कायम हैं। लेकिन चौ. भजन लाल जी, जिनको आपने बुरा कहा था जिनको गलत कहा और जिनको आपने यह कहा कि इन्होंने देश में तानाशाही ला दी है, हम तो आज भी उनको तानाशाह कहते हैं और पहले भी कहते थे आप उनके दरबार में हाजिर हो गए और आपने कहा कि माता जी हम आपके पास आ गए हैं। इसलिये मैं यह कहता हूं कि आपके अन्दर नैतिकता हो तो नैतिकता का एहसास होता है लेकिन चौ. भजन लाल जी अभी तक आपके रक्त में वह बात है ही नहीं। डिप्टी स्पीकर सहाब, इनके बारे में तो सभी जानते हैं। इसलिये मैं ज्यदा नहीं कहना चाहता। यह दलबदलू सरकार है। इस सरकार की कोई नीति नहीं है। हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाशण का इसलिये विरोध किया था क्योंकि वह तो सिर्फ इस सरकार की पालिसी स्टेटमैंट थी। हमारे राज्य का जैसा मुख्यमंत्री है उसको सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं। ये बड़े अच्छे कलाकार हैं। एक अच्छे हरफनमौला हैं। जिस समय ये जनता पार्टी में थे उस समय

से चुपके चुपके श्रीमती इन्दिरा गांण्यी से मिला करते थे। अब जब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं तो बाबू जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दल बदलू हैं। इनकी एक ही मंजिल है कि कुर्सी कैसे बचाई जाये।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): कुर्सी का ही तो सारा मामला है।

डा. मंगल सैन: जगन नाथ जी आप चुप रहें। आपका और मेरा तो एग्रीमेंट हो चुका है। डिप्टी स्पीकर साहब, 18 तारीख को ये बड़े ठाठ–बाट के साथ राजीव गांधी को हरियाणा के अन्दर आदमपुर हल्के में लाये। (शोर व व्यवधान)

चौ. भजन लाल: आपको अभिभाशण पर ही बोलना चाहिए।

डा. मंगल सैन: यदि मैं कोई इररैलवैंट बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो आप हमें रोक सकते हैं। आप मेरे बीच में न बोलें। आपने कहा था कि हम बीच में नहीं बोलेंगे। यदि आप बीच में बोलेंगे तो हम भी आपको बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। हां, तो मैं कह रहा था कि ये राजीव गांधी को यहां पर लाए। वे प्रधान मंत्री के बड़े होनहार सपुत्र हैं। इन्होंने हरियाणा के तमाम ट्रक वालों को आदेश दिया कि हाजरी बढ़ानी है, इसलिये लोगों को इक्ट्ठा करके आदमपुर लायें। इन्होंने यहां पर 50 लाख रूपये के करीब बर्बाद किया है। हमें इस बात का कोई एतराज नहीं कि

कौन नेता आता है और कौन नेता जाता है। अच्छी बात है किसी भी नेता को ये लाएं। लाखों आदमियों को उनके भाशण सुनाए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि सरकारी प्रैस के अन्दर उनको फोटो छापा जायें। (शेम शेम की आवाजें) यह इनका अपना खजाना नहीं हैं। हरियाणा के गरीब लोगों का, गरीब मजदूरों का पैसा है। ये इस पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। यह पैसा गरीब किसानों का है। जनता का पैसा नियमानुसार खर्च होना चाहिए। नियम से बाहर जाकर पेसा खर्च नहीं होना चाहिए। बाबू जी ने इनको कहा था कि अगर तुम सी.एम. ने होते तो तुम्हारी मेरे पास आने की क्या हैसियत होती?

चौ. भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, ये हैसियत की बात कर रही हैं। जब चौ. देवी लाल जी ने इनको ठुकरा दिया था तो ये मेरी शरण में आए थे।

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इनको अपनी हैसियत मालूम ही नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। डिप्टी स्पीकर साहब, इनके बारे में मैं और ज्यादा क्या कहूं। इन्होंने तो बन्द कमरे के अन्दर अपने दो बच्चों की कसम उठा कर कहा था (व्यवधान) जान दो इस बात को। यह पर्दे की बात है इस बात को पर्दे में ही रहने देना चाहिए। इसी मे इनका भला है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बोलने के लिए सिर्फ 25 मिनट का ही समय मिला है। नहीं तो मैं आपको बताता कि ये किस तरह से पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज ला एण्ड आर्डर की प्रान्त में

क्या स्थिति है? इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। आज हरियाणा के अन्दर कोई सुरक्षित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज की एक कर्मचारी बलविन्दर कौर के साथ वह सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसकी बात जब हम सुनते हैं तो हमारा शर्म के मारे सिर नीचे झुक जाता है। एक लड़की रोड़वेज के अन्दर नौकरी करती थी। उसका कई महीनों से पता ही नहीं। ये कहते हैं कि उसने आत्महत्या की है। अगर उसने घिनौने जीवन से तंग आकर आत्म हत्या की है तो उसका पता लगाना चाहिए कि वह कौन आदमी है जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या की है? सरकार को उस दोशी आदमी का पता लगाना चाहिए। लड़की की मां उस का कद 5 फुट 3'' बताती है। यह उस लड़की का कद साढ़े चार फुट बता रहे हैं। आज अम्बाला की हर गली गली के अन्दर हरेक की जुबान पर यही चर्चा है। डिप्टी स्पीकर मुझे तो ऐसा लगता है कि इस केस में बड़े बड़े व्यक्ति शामिल हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पश्ट करनी चाहिए। सरकार चुप क्यों बैठी है?

चौ. भजन लाल: इसका भी जवाब दे देंगे।

डा. मंगल सैन: अब तक चुप क्यों बैठे थे। अब आप क्या उत्तर देंगे? डिप्टी स्पीकर साहब, आज एक रिपोर्ट स्वामी आदित्यवेश जी के बारे में हाउस में पेश हुई है।

खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री (श्री लच्छमन सिंह): डा. साहब, स्वामी जी का पीछा छोड़ दें।

डा. मंगल सैन: सरदार जी आप कह रहे हैं तो मैं इनका पीछा छोड़ देता हूं। मैं स्वामी जी को ज्यादा ने कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आपने दी जगह से भत्ता लिया है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। यदि आप इस्तीफा देकर चले जाते हैं तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। डिप्टी स्पीकर साहब, करनाल में इनके एक ऐसे व्यापारी रहते हैं जिसने दो लाख धानों की बोरियां इकट्ठी कर ली और फिर उन बोरियों को स्टेट से बाहर निकल दिया। सरकार ने बाद में नोटिफिकेशन कर दिया कि कोई आदमी धान की इतनी बोरियों से अधिक नहीं रख सकता।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार की और बातें मैं आपके जरिये हाउस को बताना चाहता हूं। रोहतक के अन्दर इनके इशारे पर इनके एक दोस्त ने गरीबों की जमीन छीन ली। यह जमीन वहां के धोबियों की थी। कुछ माले तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं लेकिन बेचारे धोबियों ने क्या कसूर किया था? ये बेचारे दो लाख आदमियों का मैल धोते हैं। यह जमीन इनके दोस्त ने ली है।

चौ. भजन लाल: मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। आप किस की बात कह रहे हैं।

डा. मंगल सैन: उसका नाम भी मैं आपको बताता हूं। उसका नाम रत्न सिंह है। आप उसके यहां सैनी धर्मशाला का उद्घाटन करने भी गए थे। आपने एक आदमी के लिए यह सब कुछ किया। वहां पर काफी आबादी है और ये धोबी उन सबका मैल धोते हैं। ऐसा करके आपने उनके पेट पर लात मारी है। उनके बच्चों के पेट पर लात मारी है। उस जमींन पर बर्छो से, बन्दूकों से और पिस्तौलों से जरिये कब्जा किया गया है। (शेम शेम की आवाजें) यदि मैं गलत कह रहा हूं तो इस बात का पता करवालें।

चौ. भजन लाल: क्या आपने मुझे कभी लिख कर दिया या कभी इस संबंध में आप मुझसे मिले।

डा. मंगल सैन: मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी। अगर गवर्नर साहब ने आपको इन्फर्मेशन नहीं भेजी तो it is most unfortunate that the head of the State has not informed you. अगर वहां से आपको इन्फर्मेशन नहीं पहुंची तो इसमें मेरा क्या दोश है। पता नहीं कहीं फाईलों में पड़ी होगी। यह बात तो मैंने रोहतक के बारे में आपको बताई थी। इसी प्रकार से आपने फतेहाबाद के अन्दर किया हैं। फतेहाबाद के अन्दर वक्फ बोर्ड की जमींन थी। म्युनिसिपल कमेटी के साथ उस जमीन का झगड़ा चल रहा था। डिप्टी स्पीकर साहब उस जमीन पर भी उमेद सिंह एस. डी.एम. के थ्रू कब्जा कर लिया गया हैं डिप्टी स्पीकर साहब इसी प्रकार से एक और जमींन पर 1930 से पी.डब्ल्यू.डी. का कब्जा थ

जिसके बारे में इनके आदमी कोशिश कर रहे हैं। यह जमींन किसी उग्रसैन नाम से हरदवारी लाल और हेतराम ने ली है। जिनकी जमीन थी, वे अब उसे खाली नहीं करवा सकते। उसे एक पैट्रोल पम्प के केयर आफ दिखा कर कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आदमपुर की मंडी में 60 गज की दुकान बिकी 60 हजार रूपये में, 100 गज का शौप–कम–फ्लैट बिका 120000 रूपये में लेकिन इनके एक रिश्तेदार को सिनेमा का प्लाट मिला लगभग दो लाख रूपये में। (शोर व व्यवधान) यह औक्शन मिली भगत से हुई। आज अगर दुबारा औक्शन करवाई जाए तो कई लाख रूपए में वह सिनेमा का प्लाट बेचा जा सकता है और अगर वह जगह पर शौप–कम–फ्लैट बनाए जाएं तो कम से कम 20 लाख की इन्कम हो सकती है। (विघ्न) चौ. भजन लाल जी अचिंत राम जी आपके दोस्त के दामाद हैं। उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलैक्ट किया गया फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। (विघ्न) उस असामी के लिए शर्त यह थी कि पांच साल का गवर्नमैंट सर्विस का ऐक्सपीरियन्स होना चाहिए लेकिन इन्होंने लिख दिया कि कौमर्शियल ऐस्टेब्लिशमैंट का ऐक्सपीरियन्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कहां से लिया? अपनी ही दुकान से श्री पोकरमल से ले दिया। सबसे बड़ी ताज्जुक की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी तो इन बातों को कोई महत्व नहीं देते लेकिन बड़े अधिकारीगण भी जब इन बातों को दरगुजर कर जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता

है। फिर एक ओर मजे की बात देंखे। उनकी डेट औफ बर्थ 13 जून 1950 थी लेकिन डिप्टीमैडिकल आफिसर से ऐग्जामिन करवाया गया उनसे 27–11–1951 के हिसाब से सर्टिफिकेट लिया गया क्योंकि वैसे वे क्वालिफाइ नहीं हो सकते थे। तो मेरा निवेदन है कि इस मामले की छानबीन के लिए इस सदन की एक कमेटी बैठाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। (विघ्न) फिर साहब इन्होंने बार कौंसिल में ऐप्लीकेशन दे दी। ऐप्लीकेशन दी 9 फरवरी को और कहा कि मुझे वकालत का लाईसैंस दिया जाए। लाईसैंस भी मिल गया और उन्होंने फतेहाबाद में प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी। डिप्टी स्पीकर साहब, ताज्जुब यह है कि दो डेट औफ बर्थ बताई गई जो कि बड़ी गलत बात है। इसके अलावा आप देंखे कि बार कौंसिल को एक ऐफिडेविट देना पड़ता है कि मैं कहीं नौकरी नहीं करता जबकि इन्होंने अपनी ही दुकान से पांच साल के ऐक्सपीरियन्स का सर्टिफिकेट उन्हैं दिलवा रखा है कि वे नौकरी करता रहा है।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब मैं चौ. भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि पंचकूला की बात तो ये छोड़ें क्योंकि वह मामला तो सुप्रीम कोर्ट मे ंगयाहुआ है परन्तु यह बता दें कि फरीदाबाद में ये क्यों इतने निहाल हो रहे हैं? यहां त्रिपता सेठी की 5 प्लौटस, विजय लक्षमी को 5 प्लौटस, श्रीमती सरोज मलिक को 2 प्लौटस एक जहग और 3 प्लौटस एक जगह, मालती देवी जी को 2 प्लौटस और सैन्टर के एक वजीर को 9 प्लौटस दे रखे

हैं। (विघ्न) अगर आप कहें तो मैं यह कागज सदन के पटल पर रख सकता हूं ताकि आपको जवाब देने में सुविधा हो जाए। (विघ्न व शोर)

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी–अभी नागर साहब तारीफ कर रहे थे कि हमरे टूरीज्म ने न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि एशिया भर में नाम कमाया है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा दूध दही का प्रदेश है लेकिन अगर यहां टूरीज्म का महकमा * * * * खिलाने के इश्तहार छपवा कर जनता में बांटे तो इसे ज्यादा लानत की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? (विघ्न व शोर) नागर साहब आप गऊ भगत हो, चौ. भजन लाल जी आप भी गऊ भगत हो, चौ. शिव राम जी तो इस मामले में काफी आगे रहे है। लेकिन आप सबके गवर्नमैंट में होते हुए अगर इस तरह से इश्तहार छप जाएं तो इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? (विघ्न) यह मार्च के महीने का न्यूज बुलेटिन है जिस महीने में आप यहां बैठ कर सैशन कर रहे हैं। (विघ्न) अगर यह बात गलत साबित हो जाए तो जो भी सजा सारा सदन मुझे देना चाहे दे, उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं लेकिन अगर यह बात सही साबत हो तो मुख्यमंत्री जी क्या सजा लेने के लिए तैयार हूं लेकिन अगर यह बात सही साबत हो तो मुख्यमंत्री जी क्या सजा लेने के लिए तैयार है, यह ये बता दें। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, फिर नागर साहब ने काह कि हमने जो कमरे बनाए हैं वे विश्राम स्थला हैं, आरामगाह हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूं।

पांच स्टार होटल के पैटर्न पर बड़े बड़े होटल बनाना हरियाणा का मजदूर और किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपने मजदूर और किसान की दशा सुधार ली होती, उन गरीबों को सिर छिपाने के लिए मकान बना दिये होते फिर तो आरामगाह बनाने की बात भी कुछ जंच जाती वरना यह सरासर फजूलखर्ची है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने अपने आप ही अपनी पीठ ठोकी है कि मैं बड़े गजब का आदमी हूं। कहते हैं कि हम एस.वाई.एल. का पानी ला रहे हैं आप चिराग जलाएं और दीवाली मनाए। इनकी इस बात को सुनकर मुझे एक मिसाल यादि आ गई। अगर आप मेरे समय मे से एक मिनट न कार्टे तो मैं उेस सुना देता हूं। (विघ्न) किस्सा इस प्रकार है कि तीन आदमी थी। उन तीनों का एक सा कसूर था लेकिन सजा अदालत ने उन्हें अलग अलग दी एक की तो पगड़ी उतारी गई, दूसरे की पगड़ी उतारी गई तथा साथ ही मार कुटाई भी हुई और तीसरे की नाक काट दी। जिस आदमी की पगड़ी उतारी गई वह बहीं दम तोड़ गया। जिसकी पगड़ी उतरी थी और थोड़ी पिआई हुई थी उसकी नब्ज कभी चलती थी तो कभी बन्द होती थी लेकिन जिसकी नाक कटी थी वह कहता था कि मैं बरी होकर आ गया हूं। (हंसी) तो चौ. भजन लाल जी आप भी यहीं हैं और हम भी यही हैं। मैं आपको बधाई दू दूंगा जिस दिसा आप इस नहर को खुदावा देंगे।

चौ. भजन लाल: इस देश की मजान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी 8 तारीख को उदघाटन करेगी।

डा. मंगल सैन: हमें भी बुला लेना, हम भी आ जाएंगे लेकिन यह भी बता देना कि 8 तारीख कौन से सन की होगी।

चौ. भजन लाल: अगले महीने की 8 तारीख है।

13 बजे

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, यहां एक बात की बड़ी चर्चा हुई। मांगे राम गुप्ता जी यहीं कहीं बैठे होंगे। उनके पास इन्होंने बहुत महकमें दे रखे हैं। ये आजकल जींद की गलियों में घूम–घूम कर उदघाटन कर रहे हैं लेकिन नगरपालिकाओं के सुधार की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में कहा है कि हरियाणा को बिउटीफाई किया जा रहा है लेकिन आज ही मुझे रोहतक से टेलीफोन आया है कि सिविल रोड रोहतक पर डेढ़ फुट पानी खड़ा है। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां सीवरेज के लिए 10 लाख रूपये बंसी लाल सरकार ने दिए थे, 8 लाख रूपये बनारसी दास सरकार ने दिए थे और इन्होंने कुछ नहीं दिया लेकिन उस पैसे को भी सीवरेज वाले पी गए, पब्लिक हैल्थ वाले पी गए। आज सारे हरियाणा में शहरों की बहुत बुरी हालत है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप रोहतक में जाएं। वहां पशुओं की एक मार्किट है। डेरीज उसका नाम है। तब तक उस मोहल्ले में आप चल नहीं सकते जब तक आपकी पैन्ट खराब न हो जाए। वहां के लोग लाखों रूपया आपको टैक्स के रूप में देते हैं लेकिन फिर भी आप

उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। सरकार को सैल्ज टैक्स और इन्कम टैक्स देते हैं लेकिन फिर भी उनकी सुविधाओं की ओर आप कोई ध्यान नहीं देते। म्युनिस्पिल कमेटी भी आपको सारे डयू देती है लेकिन सरकार की और से उन कमेटियों को कोई पैसा नहीं दिया जाता। इस सरकार ने तो कुछ भी नहीं दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार ने वायदा किया था कि म्युनिस्पिल कमेटियों के चुनाव कराये जायेंगे परन्तु इस सरकार ने अपने उस वायदे को पूरा नहीं किया। वह वायदा ही क्या जो पूरा हो जाये। (हंसी) अब ये कहते हैं कि असैम्बली के चुनाव करवायेंगे। अगर आप असैम्बली के चुनाव करा देंगे तो कमेटीज के हम ही चुनाव करवा लेंगे। आपकी आवश्यकता नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में ही मैडिकल कालेज है। उसके बारे में कहने के लिए तो कई बातें हैं परन्तु मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। समय थोड़ा है इसलिए मोटी–मोटी बातों के विशय में जिक्र करूंगा। जो लड़के बड़ी मेहनत करके और रात–दिन जाग कर अच्छे नम्बर लेते हैं उनका मैडिकल कालेज में एडमिशन में नम्बर नहीं आता है लेकिन चौ. भजन लाल जी एक चिट भेज देते हैं कि फलां लड़के को एडमिशन दे दो। इस तरह सात–सात लड़के एम.बी.बी.एस. में और बी.डी.एक. में दाखिल हो जाते हैं लेकिन जो अच्छे नम्बर लेते हैं उनकी एडमिशन नहीं होती। इतना ही नहीं जो लड़के वहां होस्टल में दाखिल हैं उन्हें खाना अच्छा नहीं दिया जाता। वे आम बाजार में खाना खाने के

लिए जाते हैं। आप ही देखिए कि लड़के होस्टल में दाखिल हैं लेकिन उनकी रोटियों के बारे में कोई प्रबन्ध नहीं है और न ही उनकी कोई सुनने वाला है।

डिप्टी स्पीकर साहब, रेडक्रौस मेले में जो जुआ पहले खिलाया जाता था वह बन्द हो गया था लेकिन इस साल फिर मंजूरी दे दी गई। मैंने वहां के पुलिस कप्तान से पूछा कि आप यहां जुआ खेलने की इजाजत क्यों दे रहे हो तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं क्या कर सकता हूं ऊपर से हुक्त है। लाखों रूपये का जुआ खेला गया लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

आप यह जान कर हैरान होंगे कि आज राशन की दुकानों पर गेहूं नही मिल रहा है। लोग परेशान हैं, सरकार कोई परवाह नहीं करती है कि आम जनता किस प्रकार से दु:खी हो रही है। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब आपने एक घंटे का समय मोशन मूवर को दिया था इसलिए आप मुझे भी उतना ही समय दें। कल जब चौ. हरस्वरूप बूरा बोल रहे थे तो उन्होंने मेरे बारे में कहा कि इन्होंने एक थानेदार की बदली के बारे में बड़ा जोर लगाया। मैं चौ. हरस्वरूप बूरा की इज्जत करता हूं। चौ. साहब आपको वह जमाना नहीं भूलना चाहिए जब आप हमारे पास आते थे। अब फिर वह वक्त आने वाला है। आप फिर आयेंगे।

चौ. हरस्वरूप बूरा: आपको दो हजार रूपये दिये थे।

डा. मंगल सैन: जो मेरे से 15 हजार रूपये लेकर गये थे कहां गये। उनका कोई जिक्र नहीं। आप चिन्ता न करो। आपको भी समय आने पर देख लेंगे। जब चौबिसी में वोट मांगने के लिये जाओंगे तब पता चलेगा। मेरे बारे में तो कहते हैं कि मैंने होम मिनिस्टर होते हुए किसी थानेदार को बलवाने की कोशिश की लेकिन उनको आज की ला एंड आर्डर की हालत का पता है। बूरा सहाब मेरे हल्के रोहतक के थाने में 28 मई, 1981 को जब थाने में बैठे थे और आंसू वहा रहे थे, तो वहां से एक लड़की को अगवा किया गया और युवा कांग्रेस के एक नेता को थाने में बुरी तरह पीटा गया परन्तु बुरा साहब कुछ भी नहीं कर सके। उस थानेदार के बारे में चुप रहे लेकिन मैंने उस युवा कांग्रेस के सदस्य के हक में पब्लिक मीटिंग की मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस नौजवान लउ़की का कत्ल किया गया था, उसका आज तक भी पता नहीं लगा। छाज तो बोले छालनी भी क्या बोले? डिप्टी स्पीकर साहब कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी बहुत बुरी हालत है। वहां पर कुटप्पन साहब लगा रखे हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो ज्ञान हो सकता है लेकिन एजुकेशन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वहां के प्रोफैसर, विद्यार्थी व नान–टीचिंग स्टाफ परेशान है लेकिन यह सरकार कुछ भी उन लोगों के बारे सुनायी नहीं कर रही है। चौ. भजन लाल जी वायदा करते हैं लेकिन वायदे को पूरा नहीं करते। अगर इनसे बीस मांग करो तो 22 मांगे मंजूर कर देते हैं लेकिन पूरी एक भी नहीं करते हैं। आज पी.डब्ल्यू.डी. के इम्पलाइज इनकी जान को रो रहे हैं।

उन गरीबों को झांसा दे रखा है कि तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर कर देंगे लेकिन दिक्कत कोई दूर नहीं कर रहे हैं। उनको रोहतक के छोटूराम पार्क में आश्वासन दे दिया कि तुम्हारी तन्खाह में वृद्धि कर देंगे लेकिन बेचारे इन्तजार करते करते थक गये। आज वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब वे कहते हैं कि हम लोगों को क्या पता था कि भजन लाल ऐसे झांसा देंगे मैंने उनसे कहा कि जब वे हम से बदल गये तो आपके साथ कैसे रह सकते हैं। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहब आजकल भजन लाल जी ने शिलान्यास रखने की बाढ़ लगा रखी है लेकिन पता नहीं कि उन पत्थरों पर गधे अपनी खाज मिटायेंगे या जिस मकसद के लिए पत्थर रखा गया है वह पूरा भी हो सकेगा। हमें तो आशा नहीं कि वह मकसद पूरा हो सकेगा।

उप श्रम मंत्री (चौ. लाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डा. मंगल सैन जी तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। उन्हें इस बात को मान कर चलना चाहिए कि जितना काम इस सरकार ने किया है उतना किसी और ने आज तक नहीं किया होगा।

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की सरकार, महात्मा गांधी का नाम लेने वाली सरकार आज शराब के ठेकों की तादाद बढ़ा रही है और शराब की डिग्री भी बढ़ा रही है। इनका

यह कहना कि दुकानें बढ़ेंगी तो सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी, डिप्टी स्पीकर साहब इससे ज्यदा दुःख की बात और क्या हो सकती है। स्वर्ग में बैठे हुए महात्मा गांधी की आत्मा इनको क्या कहेगी? क्या आप इसी तरह से मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हो?

चौ. भजन लाल: * * * *

डा. मंगल सैन: * * * *

डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ये दुबारा आयेंगे तो इस बार सांसबन्दी कर देंगे। आपको याद है कि पिछली बार तो इस गवर्नमैंट ने लोगों की चमड़ी उधेड़ कर नसबन्दी कर दी थी और इस बार सांसबन्दी करने में कोई कसर नहीं रखेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों ये पढ़वाल इलैक्शन में गये थे। वहां पर इन्होंने पोलिंग बूथस पर हस्तक्षेप करके बैलेट पेपर छीने थे। इसी तरह से यहां पर भी ये लोग करेंगे। मेरा कहने का मकसद यह है कि यहां पर चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलेगा लेकिन मेरे ख्याल में ये लोग उन्हें अधिकार से वंचित रखेंगे। इसलिये हरियाणा में चुनाव के दौरान इनकी सत्ता नहीं होनी चाहिए और यहां पर राश्ट्रपति राज होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह (तोशाम): डिप्टी स्पीकर साहब डा. मंगल सैन जी ने अपनी तकरीर के दौरान राज्यपाल के अभिभाशण

पर चर्चा की है। उनकी चर्चा से ऐसा लगता है कि वह पोलिटिकल तकरीर थी और अगर राज्यपाल के अभिभाशण को वे पढ़ते तो वे फैक्ट और फिगर्ज पर बोलते और हरियाणा के लोगों को भी यही उम्मीद थी कि वे गवर्नर साहब के अभिभाशण को पढ़ने के बाद बोलेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डिप्टी स्पीकर साहब पिछले पांच साल से मैं इस दसन में देख रहा हूं कि जब वे अढ़ाई साल तक हकूमत में थे, तब भी और अब जब वे विरोधी दल में हैं, इन्दिरा गांधी के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप उस समय को याद करो जब सन् 1977 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ कामयाब हुई थी और इन्होंने अपनी सरकार बनायी थी। मैं इस वक्त कोई पोलिटिकल तकरीर नहीं करना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग विरोधी दल में बैठे हैं वे दोस्त कहा करते थे कि अब भूल जाओ कि इन्दिरा जी भी हिन्दुस्तान में कभी ताकत में आयेंगी। शक–शुबह था। इन्होंने बड़ी–2 योजनायें बनायीं। एक योजना यह बनायी कि इस आपसी मन–मुटाव को यानी डिफरैन्स आप ओपीनियन को कैसे ठीक किया जाये। इन सबने एक रोज इक्ट्ठे होकर राजघाट पर गांधी जी की समाधि पर जाकर इस बात की कसमें खायीं कि हम सब इक्टठे जियेंगे इक्ट्ठे मरेंगे। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब यहां तक ही नहीं, ये लोग एक बात की हर वक्त और हर तकरीर में चर्चा किया करते थे। उस वक्त इनके दिमाग में ऐसी कोई बात

नहीं थी कि यह देश की डिवैल्पमैंट का कोई काम कैसे करंगे, इनकी क्या फौरेन पालिसी होगी या दूसरे महकमे की नीतियां क्या होगी या खेतीबाड़ी के लिये एक्स्ट्रा साधन कैसे जुटायेंगे। यह जहां कही पर जिस स्टेज पर बोलते थे, यही बोलते थे, इन्दिरा जी को मार दो संजय को मार दो और बंसी लाल को मार दो। इस किस्म की इनकी अकसर तकरीरें हुआ करती थीं। इन्होंने कभी लोगों को यह बात नहीं बतायी कि हम तुम्हारे लिये कौन कौन से भलाई के काम करेंगे? आपको याद होगा एक बार चिकमगंलूर का बाई–इलैक्शन था। तमाम हिन्दुस्तान से हकूमत पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे। जो भाई इस वक्त अपोजीशन में बैठे हैं, वह उस वक्त पोजीशन में थे। बजाये इसके कि वह कांग्रेस की पालिसीज की बात करते या लोगों को अपना कार्यक्रम बताते सभी मंत्री जनता पार्टी के इन्दिरा जी के प्रति केवल इन्तकाम की ही भावना को उगलते रहे। यही उनका एक कार्यक्रम था। हमारे एक सीनियर बुजुर्ग मैम्बर यहां पर बैठे हुए हैं– श्री हरिचन्द हुड्डा, वह गांधी जी को क्रिटीसाईज करते थे। मेरे कुछ विरोधी दल के भाई पूछने लगे कि भई, क्या आप चिकमगंलूर गये थे। तो मैंने यह कहा कि भाई मैं तो वहां किसी को नहीं जानता इसलिये मैं नहीं गया। मैंने उनसे पूछा क्या आप गये थे। कहने लगे, हां गये थे। वहां पर जो नारे लगते थे, वह बहुत बढ़िया थे। मैंने पूछा क्या? तो कहने लगे –

चिकमगलूर भई चिकमगलूर,

एक शेरनी, सौ लंगूर।

उसके बाद इनके दिमाग में यह बात भी नहीं आयी कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चुनावों के बाद इनका क्या होगा। हमारे लोक दल के भाई, बी.जे.पी. और जनता पार्टी के भाई भी यहां पर बैठे हैं। इनको किसी को भी पता नहीं था कि कर्नाटक के चुनावों के बाद इनका क्या हाल होगा। नतीजा यह निकला कि उस वक्त जो इनकी जनता पार्टी थी उसके 76 लोग चुनकर आये थे और हम केवल चार थे आज स्थिति बिल्कुल उलट है। अब जनता पार्टी के केवल चार आदमी ही उधर बैठे हैं। लोगों ने इन्दिरा जी की शख्सीयत का और उनके नेतृत्व का विश्वास किया है, वह देश के हित में किया है। यह देश के हित की बात थी। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में हरियाणा के निर्माण का जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो मैं इसको लूंगा कि 14 जनवरी, 1982 को इन्दिरा गांधी जी ने नया 20 सूत्री कार्यक्रम देश को दिया है। उस 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहले खेतीबाड़ी का जिक्र यिका गया है कि हिन्दुस्तान में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को जितने साधन है – पानी और बिजली इत्यादि, वह उपलब्ध ज्याद मात्रा में करवाये जायें ताकि हिन्दुस्तान में प्रोडक्शन बढ़े। हरियाणा में 4 ड़ी लिफट इरीगेशन स्कीमज हैं। एक तो सबसे बड़ी जवाहर लाल नेहरू कैनाल है, दूसरी लोहारू कैनाल, तीसरी सिवानी कैनाल और चौथी जुई कैनाल है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा गवर्नमैंट की तरफ से

एक पम्फलैट इशू हुआ है छोटा सा, उसमें यह जिक्र किया गया है कि पिछले 2 महीने में एक कैबिनेट की सब–कमेटी कहिये या कोई एक अलग कमेटी, जिसमें 3–4 वजीर शामिल हैं उनके द्वारा दिये गये फैसले को मदेनजर रखते हुए जो मेन कैनाल के आउटलैटस हैं, उनको हटाया जा रहा है। मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जितने भी मेन कैनाल के आउटलैटस हटाये गये हैं, उनको दोबारा वहीं पर लगाया जाये। मेरी इत्तलाह के मुताबिक परसैंटेज आफ एक्चुअल इरीगेशन घटी ळ। इन आउटलैटस के हटाने की वजह से इरीगेशन बढ़ी नहीं है जैसे कि महकमे के एक्सपर्टस बताते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब यही नहीं जो माईनर्ज या सब माईनज में आउटलैटस लगे हुए हैं, उनको जिनका पहले साईज 6 ईच था, उसको तो इन्होंने 2 ईच का कर दिया और जिसका पहले साईज 9 ईच था, उसको इन्होंने 4 ईच कर दिया है। नतीजा क्या निकला है? नतीजा यह निकला है कि जिन इलाकों में बालू रेत के टिब्बे हैं, उन इलाकों में पानी आखिर तक नहीं पहुंचता। मेरा सुझाव यह है कि इस बारे में सरकार अच्छी तरह से तहकीकात कर ले और महकमें के अफसरान के साथ मौके पर जाकर चैक करे। मैंने तो मौके पर जाकर चैक यिका है, इसलिये मैं कह रहा हूं। आपके चीफ इंजीनियर या एस.ईत्र अरग यह कहें कि इससे इरीगेशन बढ़ी है, तो यह बात गलत है। अगर पहले 50 किल्ले तक पानी पहुंचता था, तो अब वहां पर 5 किल्ले तक ही पानी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। बाकी एरिया को पानी नहीं मिल रहा है। इसके बो मैं

एम.आई.टी.सी. की बात करूंगा। भिवानी जिला में लाइनिंग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। यह काम वहां पर हो रहा है जहां पर कन्सौलीडेशन हो चुकी है। जो मैटीरियल लाइनिंग में लग रहा है, उससे तो 3–4 बार अगर उस खाल से पानी चला जाये तो किसान को पांचवी बार पानी नहीं मिलता क्योंकि उनमें सीमेंट बहुत कम लग रहा है और ईटें भी घटिया किस्म की लग रहीं हैं। निचले लैवल पर इस मामले में बहुत धांधली हो रही है। मेरी सारकार से यह गुजारिश है कि वह इस बात की तहकीकात करवाये और जो आदमी इसमें दोशी पाये जायें, उनको उचित सजा दें। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे जिलें में लाइनिंग का जो काम हो रहा है, वह जमीन के लैवल से यानि खेत के लैवल से 10–15 फुट नीचे जो खालें हैं, उनको पक्का करके किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचता लेकिन महकमें के अफसर उनसे बराबर आबियाना चार्ज करते हैं। कुछ शरीफ भाई तो देते हैं लेकिन कुछ भाई अदालत में चले जाते हैं और वहां से स्टे ले आते हैं। अल्टीमेटली अदालत ने यह हुक्त दिया कि सरकार उन लोगों से आबियाना ले सकती है जिनको पानी पहुंचा है, उनसे आबियाना नहीं ले सकती जिनको पानी नहीं मिला है। इसका नतीजा क्या निकला है। इसका नतीजा यह निकला है कि हजारों दरख्वास्तें महकमें के पास आयी हैं। मैंने मिनिस्टर साहब से पर्सनली भी रिक्वैस्ट की थी कि इस बारे में जरूर गौर किया जाना चाहिए। मैं अब भी सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी गौर किया

जाना चाहिए। इसके अलावा मैं बिजली की बाबत भी कहना चाहता हूं। जहां तक बिजली का सवाल है, मुझे बाकी के जिलों का तो पता नहीं है। लेकिन हमारी जिले भिवानी में तो हालत यह रही है कि अगर वहां पर किसानों केा 8 या 10 घंटे बिजली देने के लिये कहा गया है तो उनको 4 घंटे ही बिजली मिल पायी है। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस ओर भी ध्यान करे और हमारे जिले को बिजली जरूर मिलनी चाहिए।

चौ. भजन लाल: आजकल तो कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं भी अब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी आज से दो महीने पहले की बात बता रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जब भी किसान को बिजली की जरूरत हो तो उसे पूरी बिजली दी जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने मेरी इतला के मुताबिक पिछली बार स्टेट गवर्नमैंट को यह हिदायत दी थी कि अपनी स्टेट से तीन हजार टन चावल अपनी कोआप्रेटिव ऐजेन्सीज के द्वारा ऐक्सपोर्ट करे। पंजाब की असैम्बली में भी इस किस्म का सवाल आया था और similar instructions were issued to Punjab Government also. वह राइस बजाए गवर्नमैंट ऐजेन्सीज के थ्रू ऐक्सपोर्ट करने के, सुनने में ऐसा आया है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्ज को दे दिया गया और उसमें तीन चार करोड़ रूपए का घपला हुआ है।

चौ. भजन लाल: प्राईवेट किसी को नहीं दिया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह: इसक अलावा करीब दो साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि जितनी भी जमीन का मुआवजा है चाहे वह नहर में आई है और चाहे सड़क में आई है छः महीने के अन्दर भुगतान कर देंगे। लेकिन हालत यह है कि वह भुगतान आज भी पूरा नहीं हुआ है। मेरी मुख्यमंत्री से दरखास्त है कि इस बात को जल्दी ऐक्सपीडाइट करवाएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में एक मसला और है जो कई बार आया है और वह है बौंडिड लेबर का। डिप्टी स्पीकर साहब, बीस सूत्री कार्यक्रम में जो छटा सूत्र है वह बधंवा मजदूरों को बसाने के बारे में है। पिछली बार सैशन में मुख्यंमत्री महोयद ने कहा था कि हरियाणा मे ंएक भी बौडिंग लेबर नहीं है लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बौंडिड लेबर को पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इन मजदूरों को रिहा यिका जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर कोई * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए।

चौ. गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिकी को अगर बहका का कोई ले जाए

तो हमारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेन्ज किया है। इनको सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से ऐसपरशन नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या सदन में बैठकर या खड़े होकर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई हल्की बात कह सकता है?

चौ. भजन लाल: मैंने कोई हल्की बात नहीं कही है। हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

स्वामी अग्निवेश: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे श्रम मंत्री ने यह कहा था कि ब्लैक मैल करने के लिए इस प्रकार के मामले सुप्रीम कोर्ट के अन्दर उठाए जाते हैं और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बहकाकर लोगों को ले जाया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था पर यह एक लांछन है। इनको ये शब्द वापिस लेने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड पर तो कुछ भी नहीं है। (Interruptions) This is not on record Swamiji. Please take your seat.

Sh. Baldev Tayal: On a point of Order. Mr. Deputy Speaker. If you do not entertain the point raised by Swami

Agnivesh, that means you are giving a licence to the Ruling Party to say anything they like. (Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Tayal, I am observing that whenever you address the Chiar, your tone is very harash. I take objection to this.

Sh. Baldev Tayal: I make it mild, Sir (Interruptions) Again, my submission to the hon'ble Chair is .....

Mr. Deputy Speaker: On what point you submission is? (Noise & Interruptions) When Swami Agnivesh raised his point, I said that there was nothing on record as alleged by him. Therefore, thre was no point of order.

Sh. Baldev Tayal: Then It is all right, Sir.

श्री सुरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम का जो दसवां सूत्र है वह है झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले तथा आर्थिक दृश्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान की सुविधा देना तथा जमीन की कीमत में अंधाधुंध बढ़ौत्तरी को रोकना। डिप्टी स्पीकर साहब, आज जमीन की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है इससे लोगों के अन्दर बहुत ज्यादा बेचैनी है। हमारी सरकार ने जो किताब बीस सूत्री कार्यक्रम की अचीवमैंट के बारे में लिखी है उसमें दसवें सूत्र के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि जो आफिसर्ज हैं और जो मुख्यमंत्री के बाई तरफ बैठे हैं, वे यह ख्याल रखें कि जो सरकार की अचीवमैंटस हैं उनको ठीक तरह से पब्लिक के सामने लाएं क्योंकि मिनिस्टर्ज को बहुत सी बातों का ख्याल नहीं रहता और उनको पता नहीं लगता। बीस

सूत्री कार्यक्रम में सरकार मकान तथा जमीन की कीमतों को कैसे कन्ट्रोल करेगी आजकल यह चर्चा का विशय है। डिप्टी स्पीकर साहब, गुड़गांव और कुतुब के बीच में जो जमीन है उसके लिये प्राइवेट कालोनइजरों को लाइसैंस दिए हुए हैं और वे अंधाधूंध तरीके से ब्लैक मैल करते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि जो आम आदमी सौ गज, दो सौ गज या चार सौ गज जमीन अपने मकान के लिए खरीदना चाहता है वह दर–दर भटकता है। डिप्टी स्पीकर सहाब, इस सम्बन्ध में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं जिससे कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब आदमी को रहने के लिए मकान मिल सके। सरकार या तो सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम शुरू करे ताकि आम आदमी कंस्ट्रक्शन का खर्चा दे दे और कोई गवर्नमैंट ऐजेन्सी उसके लिये मकान बना दे या दूसरी बात यह है कि कोआप्रेटिव सोसायटीज रजिस्टर करके उनको जमीन दे दी जाए जिससे कि जमीन की ब्लैक न हो और कोआप्रेटिव सोसायटी के मैम्बर अपने लिये वहां पर मकान बना लें। मेरी एक सजैशन यह है कि जिस शहर की आबादी एक लाख है वहां पर रैन बसेरा बनाए जाएं। अरग किसी शहर में रैन बसेरा होगा तो जैसे रिक्शावाले हैं या दूसरे गरीब आदमी हैं जिनको रहने का कोई सहारा नहीं है वे रात को वहां रूक सकते हैं। (घंटी) ऐसा करने से जो जमीन की कीमत बए रही हैं वह भी रोकी जा सकती हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप खत्म करिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः आप मुझे दस मिनट और दे दीजिए या मैं कल कंटीन्यू कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्षः नहीं। आपका समय समाप्त हो चुका है। अब रण सिंह मान शुरू करें।

श्री रणसिंह मान (बाढड़ा): डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन कल दिनांक 18 मार्च, 1982 का प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***13.30 बजे**

(तत्पश्चात सदन वीरवार, दिनांक 18.3.1982 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए *स्थगित हुआ)।

Annexure

Constituency-wise Water Supply Schemes in the State

***2711. Rao Ram Narain**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) the constituency-wise number fo water supply schemes undertaking in the State after June, 1977 to date;

(b) the constituency-wise expenditure incurred on the schemes as referred to in part (a) above;

(c) the progress so far made in the water supply schemes in Sahlawas constituency; and

(d) the present position of Jhamri Water supply scheme together with expenditure incurred thereon?

खादय एवं पूर्ति मंत्री (श्री लच्छमन सिंह):

(क) एवं (ख) इस सम्बन्ध में विवरण सदन–पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) 39 गांवों में जल वितरण सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं तथा 10 अन्य गांवों की जल वितरण योजनाओं का कार्य भी शुरू है।

(घ) जब वितरण योजना दिनांक 22.2.82 से कार्य कर रही है तथा इस पर 1.64 लाख रूपये की धनराशि व्यय हो चुकी है।

विवरणी

राज्य में जून 1977 से अब तक आरम्भ की गई जब विवरण योजनाओं तथा उन पर किए गए खर्चे का चुनाव क्षेत्रवार विवरण

क्र.	जिले का नाम	चुनाव क्षेत्र का नाम	जून 1977 से अब तक राज्य में शुरू की गई जल वितरण योजनायें	जून 1977 से अब तक योजनाओं पर किया गया खर्चा
1	2	3	4	5
1	अम्बाला	नारायणगढ़	37	140.35
		कालका	53	144.13
		छछरौली	5	27.53
		जगाधरी	1	9.08
		सढौरा	2	0.45
		नागल	12	33.49
		मुलाना	10	33.86

		अम्बाला शहर	1	0.80
			121	388.97
2	भिवानी	भिवानी खेड़ा	7	91.88
		भिवानी	1	11.69
		मुंढाल	5	63.34
		बादरा	5	25.54
		दादरी	4	36.23
		लोहारू	6	15.26
			28	243.94
3	फरीदाबाद	बल्लभगढ़	8	13.75
		मेवला महाराजपुर	12	22.43
		हसनपुर	3	24.05
		हथीन	13	91.88

		पललव	2	9.60
			38	161.71
4	गुड़गांव	गुड़गांव	9	45.74
		तारू	9	51.17
		नूहू	9	36.88
		फिरोजपुर झिरका	6	23.20
		सोहना	11	19.71
		पटौदी	11	23.71
			55	200.41
5	हिसार	आदमपुर	9	214.59
		बरवाला	6	51.10
		नारनौद	15	129.78
		धिराय	6	106.62
		हांसी	8	85.91
		फतेहाबाद	9	86.85

		भटटू	16	231.59
		रतिया	2	15.26
		टोहाना	11	85.59
		हिसार	3	23.35
		दरबां कलां	3	22.64
			88	855.28
6	जीन्द	जीन्द	2	1.29
		जुलाना	6	22.34
		सफीदों	11	94.82
		उचाना	7	36.67
		नरवाना	10	26.86
		राजौंद	4	1.83
		कलायत	7	36.41
			47	220.22
7	करनाल	जुन्दला	6	16.57

		नीलोखेड़ी	3	11.40
		नोलगि	11	27.57
		समालखा	11	25.29
		घरौंडा	1	2.96
			32	83.79
8	कुरूक्षेत्र	गुलहा	1	7.02
		कैथल		
		पुन्डरी	7	10.31
		पाई	2	3.22
		पेहवा	12	8.25
		रादौर		
		शाहबाद	10	10.44
		थानेसर	29	22.98
			61	62.22
9	महेन्द्रगढ़	जाटूसाना	1	10.91

		महेन्द्रगढ़	10	117.79
		बावल	6	76.83
		रिवाड़ी	5	61.88
		अटेली	7	76.94
		नारनौल	16	85.53
			45	429.93
10	रोहतक	हसनगढ़	5	15.84
		कलोई	4	37.76
		मेहम	6	38.41
		कलानौर	6	28.28
		बेरी	8	37.70
		साहलावास	5	14.37
		झज्जर	6	10.42
		बादली	16	91.59
		बहादुरगढ़	15	139.56

			71	413.93
11	सिरसा	दरबां कलां	14	123.90
			9	181.68
			3	31.49
			15	164.56
			41	501.63
12	सोनीपत	सोनीपत	2	6.61
		बरोदा	3	48.71
		केलाना	8	17.50
		रोहाट	6	60.75
		गोहाना	4	12.81
		राई	2	4.69
			25	151.07